लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खंड २७, १९५९/१८८० (शक)

[६ से १९ मार्च १९५९/१५ से २८ फाल्गुन १८८० (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

सातवां सत्र, १९५९/१८८० (शक)

(खण्ड २७ में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय मात्रा, खंड २७, अंक २१ से अंक ३०—६ से १९ मार्च, १९५९
१५ से २८ फाल्गुन १८८० (शक)]

पृष्ठ

अंक २१—शुक्रवार, ६ मार्च, १९५९/१५ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ९६४ से ९७०, ९७३ से ९७५ और ९७७ से ९८१ . . . २४३७—६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९७१, ९७२, ९७६ और ९८२ से १०१२ . . . २४६२—७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४८२ से १५३८ और १५४० से १५४५ . . . २४७५—२५०१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

अमरीका पाकिस्तान प्रतिरक्षा संधि . . . . . २५०१—०३

आयव्ययक पत्रों का समय से पहले प्रकट हो जाने के बारे में . . . २५०३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २५०४

विशेषाधिकार समिति

नवां प्रतिवेदन २५०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आसाम में विद्रोही नागाओं का उपद्रव . . . २५०५-०६

महेश्वरी देवी जूट मिल्स के बंद होने के बारे में वक्तव्य . . . २५०६-०७

सभा का कार्य २५०७

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पुरःस्थापित . . . २५०८

कार्य मंत्रणा समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन २५०८

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९५८-५९ . . . २५०८—२१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन २५२२

विधेयक पुरःस्थापित . . . २५२२, २५२४-२५

(१) तेलों का जमाना (अपराध) विधेयक २५२२

(२) बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक २५२४

(३) बैंक ऑफ पटियाला विलय विधेयक . . . २५२५

सहकारी समितियां विधेयक—

पुरःस्थापन की अनुमति नहीं दी गयी . . . . २५२२—२४

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—वापिस लिया गया . . . २५२५—३६

भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक . . . . . . २५३७—३९

दैनिक संक्षेपिका . . . . २५४०—४६

पृष्ठ

अंक २२—सोमवार, ६ मार्च, १६५६/१८ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१३ से १०१६, १०१८, १०२०, १०२२ से १०२६, १०२८ और १०२६ . . . २५४७–७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १०१६, १०२१, १०२७, १०३० और १०३२ से १०४६ . . . २५७१–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या १५४६ से १६३८ . . . २५८०—२६१६

स्थगन प्रस्ताव

पंजाब में सुधार शुल्क . . २६१६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २६१६-२०

सभा का कार्य

अनुदानों की मांगों के लिये समय का आवंटन . २६२०-२१

विधेयक पुरःस्थापित किये गये . . २६२१-२२

(१) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक . २६२१

(२) भारतीय प्रकाश-स्तम्भ (संशोधन) विधेयक २६२२

विनियोग (रेलवे) विधेयक—पारित . . २६२२

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा २६२२–६४

दैनिक संक्षेपिका २६६५–७०

अंक २३—मंगलवार, १० मार्च, १६५६/१६ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४७ से १०५६, १०७५ और १०५७ से १०६० २६७१–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६१ से १०७४ और १०७७ से १०६६ २६६६–२७१३

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३६ से १७०६ . . २७१३–४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ११६ दिनांक १६-११-५८ के उत्तर में शुद्धि २७४१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में २७४१-४२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २७४२

राज्य सभा से सन्देश . . २७४२

विशेषाधिकार का प्रश्न

मनीपुर आयव्ययक प्राक्कलनों का समय से पहले पता लग जाना २७४३–४५

सामान्य आयव्ययक के बारे में विशेषाधिकार का कथित उल्लंघन २७४५–४७

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

गिरिडीह कोयला खान में अग्निकांड . . . २७४७—४९

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पारित . . . २७४९

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . २७४९—८५

दैनिक संक्षेपिका . . . २७८६—९१

अंक २४—बुधवार, ११ मार्च, १९५९/२० फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९७ से ११०५, ११०७ से ११०९ तथा ११११२ से १११५ . २७९३—२८१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६, १११०, ११११, १११६ से ११२५, ११२७ से ११३७ तथा ११३९ से ११४५ . . . २८१७—३१

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०७ से १७७८ . . . २८३१—६१

डा० एम० आर० जयकर का निधन . . . २८६२

सरकारी कर्मचारी आचार नियमों के बारे में . . . २८६२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २८६३

सदस्य की गिरफ्तारी . . . २८६३

सदस्य को सजा . . . २८६३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सैंतीसवां प्रतिवेदन . . . २८६४

सरकारी समवायों के प्रतिवेदन के बारे में घोषणा . . . २८६४

आसाम सीमा पर गोली वर्षा के बारे में वक्तव्य . . . २८६४—६५

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . २८६५—९४

दैनिक संक्षेपिका . . . २८९५—२९००

अंक २५—गुरुवार, १२ मार्च, १९५९/२१ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४६ से ११५३, ११५५ से ११५८, ११६० से ११६२ और ११६४ . . . २९०१—२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५४, ११५९, ११६३ और ११६५ से ११९० . . . २९२६—३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७७९ से १८६५ . . . २९३९—७५

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव

सीमा पर गोली वर्षा . . . . . २९७६—८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २९८०—८१

सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . २९८१—३०२२

लेखानुदानों की मांगें . . . . . ३०२२—२७

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पुरःस्थापित . . . ३०२८

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पारित . . . ३०२८

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ३०२९—३२

स्थगन प्रस्ताव—

पूर्वी सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा गोली वर्षा . . ३०३२—४२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३०४३—४९

अंक २६—शुक्रवार, १३ मार्च, १९५९/२२ फागुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९२ से ११९४, ११९६, ११९८ से १२०१, १२०३, १२०५, १२०८, १२०९, १२१२, १२१३, १२१६, १२१८, १२२० तथा १२३० . . . . . . ३०५१—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९१, ११९५, ११९७, १२०४, १२०६, १२०७, १२१०, १२११, १२१४, १२१५, १२१७, १२१९, १२२१ से १२२९ तथा १२३१ से १२३५ . ३०७६—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८६६ से १९३३ . . . ३०८७—३११५

स्थगन प्रस्ताव—

पंजाब में सुधार शुल्क ३११६-१७

अमरीका और टर्की, ईरान और पाकिस्तान के बीच सैनिक सहायता के लिये हुए करार के बारे में वक्तव्य . . . ३११७—२१

सभा पटल पर रखे गये पर ३१२१-२२

सभा का कार्य ३१२२-२३

अधिकृत लेखापाल (संशोधन) विधेयक . . . . ३१२३—३७

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३१२३—३५

खण्ड २ से २६, १ और अधिनियमन सूत्र ३१३६-३७

पारित करने का प्रस्ताव ३१३७

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सैंतीसवां प्रतिवेदन ३१३७

नये औद्योगिक एककों को अनुज्ञप्ति देने की नीति के सम्बन्ध में संकल्प ३१३८—५५

सहकारी कृषि के सम्बन्ध में संकल्प . . . ३१५५–५६

दैनिक संक्षेपिका . . . ३१५७—६३

अंक २७—सोमवार, १६ मार्च, १९५९/२५ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३६ से १२४२, १२४४, १२४६, १२४८, १२४९, १२५१ से १२५३ और १२५६ से १२५९ . . ३१६५—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२४३, १२४५, १२४७, १२५०, १२५४, १२५५, १२६० से १२८७ और १२८९ . . . ३१९०—३२०७

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३४ से १९५९, १९६१ से १९९३ और १९९५ से १९९९ . ३२०७—३७

श्री काशीनाथ राव वैद्य का निधन ३२३७

सभा पटल पर रखा गया पत्र . ३२३७

राज्य सभा से सन्देश . ३२३८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३२३८

सदस्य का निकाला जाना ३२३८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पुनर्वास विभाग का बन्द किया जाना . . ३२३८—४२

घरेलू कर्मचारियों की मांगों के बारे में वक्तव्य . . ३२४१

अनुदानों की मांगें . . . ३२४२—९४

अणु शक्ति विभाग . . . ३२४२—५६

वैदेशिक कार्य मंत्रालय . . . ३२५६—९४

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२९५—३३००

अंक २८—मंगलवार, १७ मार्च, १९५९/२६ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९१ से १२९८, १३००, १३०१, १३०४, १३०७, १३०९, १३१०, १३१३, १३१४, १३१६, १३१८, १३१९, १३२१ और १३२२ . . . ३३०१—२८

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२६०, १२६६, १३०२, १३०३, १३०५, १३०६, १३०८, १३११, १३१२, १३१५, १३१७, १३२०, १३२३ और १३२४ . . . ३३२८—३३

अतारांकित प्रश्न संख्या २००० से २०६३ ३३३४—५६

स्थगन प्रस्ताव—

मालद्वीप में रायल एअर फोर्स स्टेशन . ३३५६—६०

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . ३३६१

चिनाकुरी खान दुर्घटना के बारे में वक्तव्य . ३३६१

अनुदानों की मांगें . ३३६२—३४२७

वैदेशिक कार्य मंत्रालय ३३६२—७४

शिक्षा मंत्रालय ३३७५—३४२७

दैनिक संक्षेपिका . . ३३२८—३२

अंक २६—बुधवार, १८ मार्च, १६५६/२७ फाल्गुन, १८८० (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२६ से १३२८, १३३० से १३३४, १३३६, १३३७, १३३६ से १३४१, १३४५, १३४८ और १३४७ . ३४३३—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३२५, १३२६, १३३५, १३३८, १३४२ से १३४४, १३४६ और १३४६ से १३६३ . . ३४५६—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या २०६४ से २१३५ ३४६५—६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३४६५

राज्य सभा से सन्देश ३४६६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन . ३४६६

लोक लेखा समिति

तेरहवां प्रतिवेदन . ३४६६

प्राक्कलन समिति—

बयालीसवां प्रतिवेदन ३४६६—६७

अनुदानों की मांगें ३४६७—३५३६

विधि मंत्रालय . . . . ३४६७—३५३६

मध्य प्रदेश में धान के मूल्यों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३४३७—४२

दैनिक संक्षेपिका . ३५४३—४८

पृष्ठ

अंक ३०—गुरुवार, १९ मार्च, १९५९/२८ फाल्गुन, १८८० (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६४ और १३७३, १३६५ से १३६७, १३६९ से १३७२, १३९४, १३७४, १३७५ और १३७७ से १३८१ . ३५४९—७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३६८, १३७६, १३८२ से १३९३ और १३९५ से १४०४ . . . . ३५७९—९०

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३६ से २१७९ . . . ३५९०—३६०८

उत्तर प्रदेश विधान सभा के एक सदस्य के निलम्बन के बारे में . . ३६०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६०९

अनुदानों की मांगें . . . . . ३६१०—६४

गृह-कार्य मंत्रालय . . . ३६१०—६४

दैनिक संक्षेपिका . ३६६५—६८

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार ६ मार्च, १९५९

१५ फाल्गुन, १८८० (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सीमेंट का उत्पादन

+

†*९६४. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सीमेंट का उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार नहीं हो रहा है; और

(ख) यदि ऐसा है, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१९५८ में देश में सीमेंट की निर्धारित क्षमता तथा वास्तविक उत्पादन के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

निर्धारित क्षमता : . . . . . ६,८१२,५६७ टन
उत्पादन : . . ६,०६५,११८ टन (उपयोग की जाने वाली उत्पादन क्षमता का ८९ से ९० प्रतिशत)

उत्पादन में कमी के कारण ये हैं—विद्युत् शक्ति की कमी, कभी बिजली का और मशीनों का खराब हो जाना, समय समय पर की जाने वाली मरम्मत के कारण भट्टों में काम बन्द हो जाना और

† मूल अंग्रेजी में

आर्डरों की कमी। फिर भी निर्धारित क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है और इस दृष्टि से स्थिति संतोषजनक है। इस समय बाजारों में अस्थायी रूप से सीमेंट की अधिकता है, आशा है शीघ्र ही यह स्थिति भी सुधर जायेगी।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या आगामी वर्ष में अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि कर दी जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां। हमें आशा है कि चालू वर्ष में वह बढ़ कर ८५ लाख टन हो जायेगी और द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक वह १०० लाख टन तक बढ़ जायेगी।

†**श्री पाणिग्रही** : विवरण में यह बताया गया है कि विद्युत् शक्ति की कमी के कारण सीमेंट के उत्पादन में कमी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि देश के किस भाग में विद्युत् शक्ति की कमी के कारण उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : तीन फैक्टिरियों अर्थात्, मद्रास, सवाई माधोपुर तथा बिहार की एक एक फैक्टरी में बिजली के अस्थायी रूप से बन्द हो जाने के कारण १५ दिन से एक मास तक की अवधि के लिये इन फैक्टरियों में उत्पादन-कार्य बन्द रहा है।

†**श्री पी० रा० राम कृष्णन्** : द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सीमेंट के लिये निर्धारित लक्ष्यों में से कितना अंश नयी फैक्टिरियों द्वारा पूरा किया जायेगा और कितना अंश वर्तमान फैक्टरियों के विस्तार द्वारा पूरा किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सरकार द्वारा स्वीकृत ५९ योजनाओं में से ३१ नई फैक्टरियों द्वारा और २८ पुरानी फैक्टरियों के विस्तार द्वारा पूरी की जायेंगी।

†**श्री दासप्पा** : क्या नयी परियोजनाओं के लिये जिन फैक्टरियों को मंजूरी दी गई है, वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही स्थापित की जायेंगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, नहीं। इन ५९ योजनाओं में से १४ तो कार्यान्वित की जा चुकी हैं, १७ योजनायें आयात-लाइसेंसों के द्वारा पूरी की जायेंगी और २८ अभी कार्यान्वित की जानी हैं। सरकार हर छः मास उपरान्त स्थिति पर विचार करती है क्योंकि बाजारों में अस्थायी रूप से सीमेंट की बहुतायत है, इस लिये इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि कितनी क्षमता के लिये अनुमति दी जाये।

सेठ गोविंद दास : अभी तक सीमेंट का जितना उत्पादन बढ़ गया है और जो बढ़ने वाला है, उस से क्या यह आशा की जाती है कि हमारे देश में सीमेंट की कोई कमी नहीं रहेगी, और सीमेंट का कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ?

श्री मनुभाई शाह : सीमेंट की कमी तो नहीं है। दो लाख टन हम ने एक्सपोर्ट करने का सोचा था, जिस में से १,३१,००० टन का सौदा हो चुका है और हम ज्यादा एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।

†**श्री दासप्पा** : स्थिति पर आगामी पुनरीक्षण कब किया जायेगा और क्या १२०० मील राज्य पथों के निर्माण के लिये निर्धारित किये गये कार्यक्रमों को पूरा करने और इस्पात आदि के उत्पादन से सीमेंट की मांग बढ़ जायेगी ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : हमें आशा है कि मांग और निकासी दोनों में ही वृद्धि होगी। इस समय बाजारों में सीमेंट की अस्थायी रूप से बहुतायात है। वैसे स्थिति का पुनरीक्षण प्रत्येक लाइसेन्स अवधि के प्रारम्भ में किया जाता है। आगामी पुनरीक्षण अप्रैल, १९५९ में किया जायेगा।

†**श्री रंगा** : माननीय मंत्री ने सीमेंट की अस्थायी रूप से बहुतायत का उल्लेख किया है, परन्तु इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार गृह-निर्माण आदि की विभिन्न योजनायें तैयार कर रही है, सरकार इस कथित अस्थायी बहुतायत को इतना अधिक महत्व क्यों दे रही है, और इस प्रकार से फैक्ट्रियों के निर्माण के लिये आवश्यक मशीनरी मंगवाने के लिये लोगों को विदेशी मुद्रा देने में क्यों आनाकानी कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : बात यह है कि सम्पूर्ण स्थिति पर उपयुक्त दृष्टि से विचार करना होगा। वर्तमान निर्धारित क्षमता को ७४ लाख टन से ३० या ४० लाख टन और अधिक बढ़ा देना कोई मामूली बात नहीं है। इस में से १० लाख टन की वृद्धि तो हम पहले ही कर चुके हैं। इसलिये हमें इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि कुल अधिष्ठापित क्षमता इतनी न बढ़ जाय कि अन्त में उन का बुरा परिणाम हो।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सच है कि राज्यों ने अभी तक अपने कोटों के अनुसार सीमेंट नहीं उठाया है ? ऐसे राज्य कौन कौन से हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मेरे पास अलग अलग राज्यों के आंकड़े तो नहीं हैं, परन्तु यह सच है कि सम्पूर्ण देश में उत्पादन में जितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया था उतनी निकासी नहीं हुई है। केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता के अनुसार निकासी में भी काफी कमी हुई है।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जब सीमेंट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो क्या उस की कीमत घटने की सम्भावना है ?

श्री मनुभाई शाह : सीमेंट की कैपेसिटी जिस तरह बढ़ रही है, उस को ध्यान में रख कर टैरिफ़ कमिशन ने उस की कीमत फ़िक्स की थी। इसलिये उस को घटाने का सवाल पैदा नहीं होता है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या सरकारी क्षेत्र में भी कोई सीमेन्ट की फैक्टरी स्थापित की जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : फिलहाल तो यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि अधिष्ठापित क्षमता पहले से ही पर्याप्त है। हम सामान्यतः उन्हीं संसाधनों की वृद्धि करते हैं जिन की कमी होती है तथा प्राथमिकता देने वाली परियोजनाओं को ही आरम्भ करते हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : विवरण में यह बताया गया है कि सीमेन्ट के लिये कम आर्डर आने के कारण उत्पादन में कमी हुई है। आर्डरों में कितने प्रतिशत कमी का अनुभव किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस प्रकार का कोई प्रतिशत तो नहीं निकाला गया है परन्तु यह निश्चित है कि सीमेंट की उपलब्धि की तुलना में उस की निकासी बहुत कम है।

†**श्री नरसिंहन** : क्या यह सच नहीं है कि प्रशुल्क आयोग ने यह सुझाव दिया है कि सीमेन्ट के भाव कम कर देने से उस की निकासी बढ़ जायेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : इस सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग से मंत्रणा प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि भाव कम कर दिये गये तो उस से निकासी तो बढ़ जायेगी, परन्तु हम आर्थिक स्तर से और अधिक भाव नहीं घटा सकते ।

जहाज़ों के डीज़ल इंजन

+

†*९६५. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जहाज़ों के डीजल इंजनों के निर्माण के लिये फैक्टरी स्थापित करने की दिशा में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

जहाज़ों के डीज़ल इंजनों के निर्माण में सहयोग देने के सम्बन्ध में सम्बन्धित तीन विदेशी सार्थों से प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त हुई है और उस पर विचार किया जा रहा है । चूंकि परियोजना मूल परियोजना नहीं है, इसलिये योजना आयोग ने उसे उन योजनाओं में सम्मिलित नहीं किया है जिन के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में संसाधन आवंटित किये जायेंगे । सरकार इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ही कार्यान्वित करने की दृष्टि से इस के बारे में विस्तृत अनुसन्धान प्रारम्भ करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है ?

†**श्री स० चं० सामन्त** : उन तीन विदेशी फर्मों के क्या क्या नाम हैं और वे किस किस प्रकार का सहयोग दे रही हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। एक फर्म जर्मन की है, दूसरी डेन्मार्क की और तीसरी इटली की है। उनके टेण्डरों में से कौन सा टेंडर चुना जाये इस की अच्छी प्रकार से जांच पड़ताल करने के बाद ही उन के सहयोग का प्रश्न उत्पन्न होगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या उन की सहायता से यह काम गैर-सरकारी क्षेत्र में प्रारम्भ किया जा सकता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उसे सरकारी क्षेत्र में ही प्रारम्भ करने का विचार है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या इसे तृतीय पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करने की दृष्टि से इस बारे में कोई प्रारम्भिक जांच पड़ताल की गई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रारम्भिक जांच पड़ताल के उपरांत ही हम ने टेण्डर मंगवायें हैं । प्रत्येक प्रारम्भिक आंकड़ा निकाला गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वारियर : क्या इन परियोजना पर अन्तिम निर्णय करने से पूर्व मछली पकड़ने के छोटे जहाजों की आवश्यकता पर भी विचार किया जायेगा ?

†श्री मनुभाई शाह : यह तो जहाजों आदि के लिये बड़े आकार के डीज़ल इंजनों के बारे में है ।

चमड़ा उद्योग के लिये विशेषज्ञों की तालिका

+

†*९९९. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० चं० माझी :
श्री सोनावने : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चमड़ा तथा चमड़े की बनी वस्तुओं के उद्योग के लिये विशेषज्ञों की एक तालिका तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस तालिका की स्थापना करने का क्या प्रयोजन है ; और

(ग) क्या उन्हों ने सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) तालिका इसलिये बनाई गई है कि चमड़े के उद्योग की मांग के सम्बन्ध में वास्तविक जानकारी प्राप्त की जा सके, इस के सम्बन्ध में सरकार को वास्तविक स्थिति से अवगत करा सकें, इस सम्बन्ध में समस्याओं को हल करने के लिये सिफ़ारिश दे सके और उद्योग के विकास तथा विस्तार के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये सुझाव दे सके । आशा है कि सभी बातों पर विचार करने और सिफ़ारिशें करने के लिये समय समय पर तालिका की बैठकें हुआ करेंगी ।

तालिका ने उद्योग के सभी पहलुओं पर विचार करने और सरकार को उपयुक्त सिफ़ारिशें करने के लिये निम्नलिखित उप समितियां स्थापित की हैं :—

(१) खाल तथा चमड़ा सम्बन्धी उपसमिति

(२) जूते तथा चमड़े की बनी वस्तुओं सम्बन्धी उपसमिति

(३) निर्यात सम्बन्धी उपसमिति

(४) चमड़ा कमाने के लिये वानस्पतिक सामान सम्बन्धी उपसमिति ।

(५) चमड़ा कमाने तथा जूते बनाने की मशीनों के सम्बन्ध में उपसमिति ।

(६) रसायन सम्बन्धी उपसमिति ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तालिका ने चमड़े और खालों के सम्बन्ध में शीघ्रता से पता लगाने के लिये एक तदर्थ उपसमिति भी स्थापित की है। इस उपसमिति की बैठकें हुई थीं और उस ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है।

†**श्री सुबोध हंसदा :** विवरण में बताया गया है कि तालिका ने उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिये कई उपसमितियां नियुक्त की हैं। क्या उन उपसमितियों ने विभिन्न पहलुओं पर विचार कर लिया है और इस सम्बन्ध में सिफारिशें भी की हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** उन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, इसलिये वे अभी अपना काम कर रही हैं। उन से रिपोर्ट प्राप्त होने पर तालिका उन पर विचार करेगी और फिर सरकार के पास अपनी सिफारिशें भेजेगी।

†**श्री स० म० बनर्जी :** विवरण में बताया गया है कि तालिका ने चमड़े और खालों के संबंध में शीघ्रता से अनुमान लगाने के लिये एक तदर्थ उपसमिति भी नियुक्त की है। क्या देश में प्लास्टिक की वस्तुओं के शीघ्र विकास हो जाने के कारण चमड़ा उद्योग को किसी संकट का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस की रक्षा के लिये क्या क्या उपाय कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** उद्योग के सामने कोई विशेष संकट नहीं है। परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस का एक कारण तो यह है कि हाल ही में पशु हत्या विरोधी अधिनियम पारित हुआ है जिस से अब अधिक मात्रा में चमड़ा और खाल प्राप्त नहीं होती। दूसरी बात यह है कि पहले खुली सामान्य अनुज्ञप्ति के आधार पर खालों और चमड़े का आयात किया जाता था, अब उसे नियंत्रित कर दिया गया है क्योंकि अब विदेशी मुद्रा में बड़ी कमी हो गई है। उन का चमड़ा उद्योग पर बुरा असर पड़ा है। परन्तु प्लास्टिक की वस्तुओं का उस पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा है।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक इन विशेषज्ञों का सवाल है, क्या ये लोग इस बात पर भी विचार करेंगे कि मरे हुए जानवरों के चमड़े की वस्तुयें किस प्रकार ठीक तरह से बनाई जा सकती हैं, क्योंकि मंत्री जी ने कहा कि गोवध बन्द होने के कारण चमड़ा मिलना कठिन हो गया है ?

श्री मनुभाई शाह : उस पर तो खास विचार किया जायेगा कि फ्लेइंग सैन्टर्ज में और नये तरीकों से काम लिया जाये जिस से चमड़े के खराब होने से पहले उस का अच्छी तरह से इस्तेमाल हो।

†**श्री स० चं० सामन्त :** नीदरलैण्ड से किये गये एक करार के अनुसार बक्शी के तालाब नामक स्थान पर एक प्रशिक्षण तथा उत्पादन केन्द्र स्थापित किया गया था। वहां पर नीदरलैण्ड के विशेषज्ञ विद्यमान हैं। क्या यह तालिका उन विशेषज्ञों से भी सलाह ले रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष केन्द्र के सम्बन्ध में अलग रूप से प्रश्न पूछें तो मैं उन्हें जानकारी दे सकूंगा।

रेलों में ठेके के मजदूर

+

†*९६७. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० माझी : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलों में नियुक्त ठेके के मजदूरों की वर्तमान काम करने की शर्तों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की मुख्य उपपत्तियां क्या-क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). सर्वेक्षण करने के लिये प्रारम्भिक आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह सर्वेक्षण सभी रेलों में किया जा रहा है ?

†**श्री आबिद अली** : फिलहाल तो १२ स्थानों पर सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : इन मज़दूरों की काम करन की अवस्था का सर्वेक्षण करते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखा जा रहा है ?

†**श्री आबिद अली** : इस का मुख्य उद्देश्य यही है कि मज़दूरों की काम की शर्तों को नियमित कराया जाये और उन के रोजगार की स्थिति में सुधार किया जाये ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : रेलों में इस समय कुल कितने मजदूर ठेकों के अधीन काम कर रहे हैं और क्या उन्हें न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अनुसार मजूरी दी जाती है ?

†**श्री आबिद अली** : इस के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

सेठ गोविंद दास : क्या यह सही है कि अभी भी मध्य प्रदेश और कुछ दूसरे प्रदेशों के स्टेशनों पर जो सामान उठाने वाले कुली हैं वे ठेके पर रहते हैं और उन की कोई नीचे की मजदूरी की दर मुकर्रर नहीं है, उन को बहुत कम पैसा मिलता है और ज्यादातर पैसा जो ठेकेदार होते हैं वे ले जाते हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री आबिद अली : यह सवाल तो रेलवे मिनिस्ट्री से किया जाना चाहिये ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या कार्मिक संघों को प्राप्त अधिकार ठेके के मजदूरों को भी उपलब्ध हैं और यदि नहीं तो क्या सरकार उन्हें भी वही अधिकार देने का विचार रखती है ?

†**श्री आबिद अली** : अवश्य । उन्हें भी वही अधिकार प्राप्त हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : उस दिन माननीय रेलवे मंत्री ने यह कहा था कि ठेके के उन मजदूरों पर भी न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू होता है । श्रम मंत्रालय ने इस बात की जांच करने के लिये कोई व्यवस्था की है कि क्या वह अधिनियम उन पर उचित प्रकार से कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं ?

†**श्री आबिद अली** : प्रस्तुत प्रश्न का सम्बन्ध सर्वेक्षण से है । इसलिये यह अनुपूरक प्रश्न यहां उत्पन्न ही नहीं होता ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

†*९६८. **श्री केशव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की सौंडा कोयला खान के प्रबन्ध-कार्य में मज़दूरों को शामिल करने के बारे में क्या कोई प्रयत्न किया गया है ;

(ख) क्या उस में सफलता मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी सीमा तक ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) से (ग). सौंडा एक नई कोयला खान है जो मार्च, १९५८ में खोली गई थी इसलिये इस के प्रबन्ध-कार्य में मजदूरों को शामिल करने का प्रश्न अभी उत्पन्न ही नहीं होता ।

†**श्री केशव** : क्या इस सम्बन्ध में गैर-सरकारी क्षेत्र में निगम के अधीन किसी और यूनिट में भी उस के लिये प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : हमने अभी तक केवल आरगाडा की कोयला खान में इसे लागू किया है । जहां तक कोयला खानों के अतिरिक्त अन्य यूनिटों का सम्बन्ध है हम ने इस पद्धति को १८ यूनिटों पर लागू किया है । आशा है कि शीघ्र ही १९ अन्य यूनिटों में भी इसे लागू कर दिया जायेगा ।

†**श्री केशव** : क्या इसे लागू करने के पश्चात् उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इस का अनुमान इतनी जल्दी नहीं लगाया जा सकता । परन्तु आशा है कि इस से पर्याप्त लाभ होगा, पर्याप्त अच्छे परिणाम निकलेंगे ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इस परिषद् के मुख्य कार्य क्या-क्या हैं ? क्या वह लाभांश तथा मजूरी के सम्बन्ध में भी चर्चा कर सकती है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : इन संयुक्त परिषदों के कार्य निम्नलिखित तीन प्रकार के हैं :—

(१) सन्तुलन-पत्र तथा आयोजन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना ।

(२) वैज्ञानिकन तथा उत्पादन कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य करना ।

(३) कल्याण सम्बन्धी उपाय जैसे कि सुरक्षा और परिवहन सम्बन्धी कार्य करना । वे इन कार्यों में सीधा ही हिस्सा ले सकते हैं । जहां तक वित्तीय प्रश्न का सम्बन्ध है, परिषद् इस पर विचार नहीं कर सकती ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या संयुक्त परिषद् में अभिस्वीकृत संघों के प्रतिनिधि नाम निर्देशित किये गये हैं अथवा उन का मजदूरों में से चुनाव किया गया था ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : अधिकांश सदस्यों का तो चुनाव किया गया है, परन्तु केरल में कुछ संघों ने अपने प्रतिनिधियों का नाम निर्देशित किया है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की शेष १९ यूनिटों में उस पद्धति को अभी तक क्यों नहीं लागू किया गया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : उन्हें लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है । आशा है कि वहां शीघ्र ही यह पद्धति लागू हो जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय

+

†*९६९. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी अफ्रीका की सरकार ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा की गई सिफारिश के अनुसरण में दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय तथा पाकिस्तानी उद्भव के लोगों के साथ व्यवहार के सम्बन्ध में भारत तथा पाकिस्तान से बातचीत करने के लिये कोई प्रयत्न किया है ; और

(ख) क्या बातचीत प्रारम्भ की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). जी, नहीं ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के पास कोई शिकायत भेजी है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हम इस सम्बन्ध में कई शिकायतें भेज चुके हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ के १२ वें वार्षिक अधिवेशनों में संघ का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जा चुका है ।

श्री रामकृष्ण गुप्त : दक्षिणी अफ्रीका ने भारतीयों को किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जातीय भेदभाव की नीति ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान सरकार ने हिन्दुस्तान की सरकार को कोई प्रार्थना की है कि अफ्रीका की सरकार के साथ इस संबंध में बातचीत की जाय ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : इस बारे में आम तौर से पाकिस्तान की हुकूमत और हिन्दुस्तान का शासन एक साथ काम करते हैं, मश्विरे से काम करते हैं, यानी इस बारे में कोई मुखालफत नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस गतिरोध को समाप्त करने के लिये किसी राष्ट्रमण्डल के देश से सहायता मांगी गई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस के लिये उन से सहायता लेने का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता । गत १२ वर्षों से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है और उस में दक्षिणी अफ्रीका की सरकार की निन्दा होती है । राष्ट्रमण्डल के दो देशों ने इस प्रश्न पर विचार करने का विरोध किया था अन्य सभी देशों ने हमारे पक्ष में मत दिये थे ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : अफ्रीका के कुछ राज्य अभी हाल ही में स्वतंत्र हुए हैं । कुछ और शीघ्र ही स्वतंत्र होने वाले हैं । क्या हम उन से इस संबंध में बातचीत करने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस सम्बन्ध में बातचीत करने का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता, क्योंकि वे सभी राज्यों का एक ही मत है ।

†**श्री आचार** : क्या इस सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान दोनों मिल कर प्रयत्न कर रहे हैं, अथवा अलग अलग ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस सम्बन्ध में केवल यही कार्यवाही की जा सकती है कि हम या तो संयुक्त राष्ट्र संघ को लिख सकते हैं या सम्बद्ध सरकार को । हमने अफ्रीका को अलग रूप से पत्र लिखे हैं, परन्तु इस सम्बंध में दोनों सरकारें आपस में परामर्श कर लेती हैं । पाकिस्तान ने भी लगभग इसी प्रकार के पत्र अफ्रीका की सरकार को भेजे हैं ।

†**श्री द्वी० चं० शर्मा** : क्या सरकार का ध्यान अफ्रीका के एक प्रमुख नेता डा० बाड़ा के इस बयान की ओर आकृष्ट किया गया है कि भारतीयों को अफ्रीका देश छोड़ देना चाहिये क्योंकि वे अपने आप को अफ्रीकनों से महान समझते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं । मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं किया गया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र में कोई ऐसा उपबन्ध है जिससे भारतीय और पाकिस्तानी इस समस्या को हल करने के लिये दक्षिण अफ्रीका की सरकार से बातचीत कर सकें ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्या माननीय सदस्य किसी कार्यवाही की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जी हां, कार्यवाही की ओर ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र में इस प्रकार के कुछ अनुच्छेद हैं, और जब भी अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का कहीं उल्लंघन होता है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है । अथवा इस सम्बन्ध में संकल्प पास किये जा सकते हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ ने दक्षिणी अफ्रीका के व्यवहार के प्रति संकल्प पारित किये हैं । उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रयत्न किया ही नहीं गया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रिटोरिया में १०० लाख पौंड और डर्बन में ३०० लाख पौंड भारतीय पूंजी है, सरकार ने इन विस्थापित हुए भारतीयों को पर्याप्त मात्रा में प्रतिकर प्राप्त करने के लिये क्या-क्या उपाय किये हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य बार-बार 'भारतीय' शब्द का प्रयोग कर रहे हैं । परन्तु दक्षिणी अफ्रीका में रहने वाले वे भारतीय नागरिक नहीं हैं । वे अफ्रीकी राष्ट्रजन हैं । वे भारतीय उद्भव के अफ्रीकी राष्ट्रजन हैं । इसलिये वैधानिक तथा संवैधानिक रूप से हम उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते । यह सच है कि पुराने सम्बन्धों के कारण तथा मानवता के आधार पर हम उनकी समस्या को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु हम उन्हें प्रतिकर देने का प्रश्न नहीं उठा सकते ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†श्री वे० रा० पट्टाभिरामन : क्या इस कथन में कोई सचाई है कि दक्षिणी अफ्रीका की सरकार का दृष्टिकोण अब कुछ नर्म होता जा रहा है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे तो इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली है ।

सूती कपड़ा मिलें

†६७०. श्री रामेश्वर टांटिया : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा अपने हाथ में ले ली गयी कुछ कपड़ा मिलों के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले परिणाम प्रकाशित कर दिये गये हैं ; और

(ख) क्या सरकार अन्य बन्द कपड़ा मिलों को भी अपने हाथ में ले लेने का विचार रखती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है । केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक कोई भी मिल अपने हाथ में नहीं ली गयी है । राज्य सरकारों द्वारा चार मिलें चलायी जा रही हैं—दो बम्बई में और दो केरल में ।

(ख) जी, नहीं । प्रत्येक मामले के गुणावगुणों पर विचार करने के बाद फैसला किया जाता है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया गया है कि कुछ सरकारी और गैर-सरकारी मिलें अपने 'साइज्ड बीम' बिना लाइसेंस प्राप्त बिजली से चलने वाले करघों को बेच दिये हैं और यदि नहीं तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में नजर रखेगी ।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि प्रस्तुत प्रश्न का सम्बन्ध तो बन्द होने वाली मिलों से है । जहां तक बीम्ज का सम्बन्ध है कोई भी मिल कपड़ा कमिश्नर से अनुमति लिये बिना किसी भी बिना लाइसेन्स वाले हथ करघों को बीम बेच नहीं सकती ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या राज्य द्वारा चलायी गई मिलों के मजदूरों को अन्य मिलों के मजदूरों के समान ही भविष्य निधि, छुट्टी आदि की सुविधायें दी जाती हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : संविहित आधार में तो कोई भी छट नहीं की गयी है, परन्तु संभव है कि किसी भी मिल को अपने हाथ में लेते समय मजदूरों से कोई समझौता किया गया हो ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : पहले एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह बताया था कि संभवतः उत्तर प्रदेश की सरकार कानपुर की अथेरटन वेस्ट मिल को अपने हाथ में ले ले । क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां। इस बारे में हम ने सिफारिश कर दी है। सर्वेक्षण पार्टी ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर दी है और उस पर दोनों सरकारें विचार कर रही हैं।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने यह कहा है कि वह किसी भी मिल को अपने हाथ में नहीं लेगी, भले ही कोई मिल किसी भी कारण से बन्द हुई हो ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक हमें मालूम है, मद्रास सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। वास्तव में एक प्रक्रम पर तो वे कालीस्वरार मिल में दखल देने के लिये तैयार हो गये और जहां तक हमारा, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, हम समझते हैं कि यदि हम इसे लाभदायक समझें तो बड़ी खूबी से कोई भी मिल चला सकते हैं।

†**श्री प्र० चं० बोस** : जब एक बन्द मिल का भार सरकार द्वारा ले लिया जाता है तो बकाया मजूरी के भुगतान के लिये कौन उत्तरदायी होता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मजूरी भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत बकाया नये पट्टधारी द्वारा दी जाती है चाहे व सरकार हो या कोई गैर-सरकारी सार्थ। अतः सरकार के दखल देने से मजूरी की बकाया अथवा श्रमिकों को देय भुगतान की हानि का कोई प्रश्न नहीं है।

†**श्री सोनावने** : क्या यह सच नहीं है कि बम्बई सरकार द्वारा अधिकार में ली गयी मिलें कुशलता से चल रही हैं और उनसे लाभ भी हो रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि मैं उत्तर में बता चुका हूं कि अभी हमारे पास सांख्यकीय विश्लेषण नहीं है परन्तु हमें इस बारे में कोई शंका नहीं है कि जब हम पर्याप्ति सोच समझ कर कोई निश्चय करते हैं तो हम अपनी शक्ति के अन्दर इसको मितव्ययता पूर्वक और लाभप्रद रूप से चलाने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्री दासप्पा** : क्या केन्द्र की रुचि राज्य सरकारों को केवल यह सुझाव देने में है कि वे मिलों पर अधिकार कर लें अथवा इसका यह तात्पर्य ' कि वह उनको कोई सहायता देने को तैयार हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हर प्रकार से उनको सहायता देना।

†**श्री दासप्पा** : किस तरह से ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम राष्ट्री औद्योगिक विकास निगम से ऋण देते हैं। कभी कभी हम उनकी औद्योगिक वित्त निगम से सिफारिश करते हैं और इस बात की भी सिफारिश करते हैं कि प्रत्येक मामले में किस प्रकार वित्तीय और टेक्निकल सहायता दी जाये। उदाहरणतः अर्थटन वेस्ट मिल्स के मामले में, हमने कुछ टेक्निकल व्यक्तियों का भी सुझाव दिया जो उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता कर सकें। अतः मामले के हर पहलू पर विचार किया जाता है और अधिकतम सम्भव सहायता दी जाती है।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कालीस्वरार मिल्स का उल्लेख किया और बताया कि मद्रास सरकार ने इसको अपने अधिकार में लेने

†मूल अंग्रेज़ी में

के लिये कहा था । क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने इसको अपने अधिकार में नहीं लिया है और उसका कारण बताया है कि उनके पास इसे चलाने के लिये व्यक्ति नहीं हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह इसलिये नहीं हुआ परन्तु उनके विचार में यह यूनिट इतना लाभप्रद न था कि वे अपने हस्तक्षेप को न्यायसंगत सिद्ध कर सकते और इसको सफलतापूर्वक चला सकते, क्योंकि सरकार को जनता को उत्तर देना पड़ता है और जब तक वे इसे लाभप्रद रूप में न चला सकें, तो इससे राज्य और केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप से श्रमिकों अथवा उद्योग को कोई लाभ नहीं होगा।

†**श्री वाजपेयी :** क्या यह सच है कि गुजरात में कुछ मिलें संकट का सामना कर रही हैं, और यदि हां, तो क्या उन मिलों को सहायता देने का सरकार का कोई विचार है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जहां तक बम्बई का सम्बन्ध है, यह सच है कि यहां पर सब से अधिक, अर्थात् समूचे देश में बन्द हुई ३५ मिलों में से ११ मिलें बन्द हुई हैं । यह भी इसलिये है कि यहां पर सब से अधिक मिलें चल रही हैं और जैसा कि माननीय सदस्य ने सुझाया कि कोई नया संकट का सामना किया जा रहा है, ठीक नहीं है । इसके प्रतिकूल पिछले वर्ष से स्थिति बराबर सुधर रही है और सभा को यह जान कर हर्ष होगा कि भारत सरकार के हस्तक्षेप के फलस्वरूप उस दिशा में और हमारे सक्रिय कार्य के परिणामस्वरूप १७ बन्द मिलें फिर से चालू हो गयी हैं ।

†**श्री काशीनाथ पांडे :** क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर की कुछ मिलों को अपने अधिकार में ले रही है ? क्या सरकार इस बात को देखेगी कि सब पुराने कर्मचारियों को काम पर ले लिया जाये।

†**श्री मनुभाई शाह :** वह तो कार्य करने का प्राकृतिक रूप होगा क्योंकि जो वास्तव में काम कर रहे थे और उन को अस्थायी काल के लिये बेरोजगार कर दिया गया था, उन को तो पुनः चालू मिल में रोजगार के लिये प्राथमिकता मिलनी चाहिये ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** १६५८-५६ में कितने टैक्सटाइल मिलों को, जो आधुनिकीकरण और फिर से चलाई जाने के लिये बन्द की गई थीं, कुल कितना ऋण अथवा सहायता दी गई और उन मिलों की क्या संख्या है जिन्हों ने वास्तव में सहायता प्राप्त की ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह एक पृथक प्रश्न क्यों नहीं पूछते ?

†**श्री स० म० बनर्जी :** यह वास्तव में ऋण अथवा सहायता के बारे में है । वह यह पहले ही बता चुके हैं । मैं ने प्रश्न की जांच नहीं की है । यह अनुपूरक प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, नहीं । श्री सोनावने ।

†**श्री सोनावने :** क्योंकि वर्तमान मिलें गैरसरकारी उद्योगपतियों के परामर्श पर चलाई जाती हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकारी मिलों को चलाने के लिये मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : देश में ४८२ मिलें हैं। सम्भवतः विश्व के किसी भी देश की तुलना में सूती तकुओं और करघों की अधिकतम संख्या यहां है और हमारे पास प्रशिक्षित कार्यपालक अधिकारी पहले ही पर्याप्त मात्रा में हैं। अगर हम किसी गैर-सरकारी उद्योग से कोई कार्यपालक अधिकारी लेना चाहें तो उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी।

†श्रीमती पार्वती कृष्णन् : बन्द हुई मिलों का अधिकार सरकार द्वारा लिये जाने के बारे में, बहुत सी ऐसी मिलें हैं जोकि अन्दरूनी प्रशासनिक झगड़ों के कारण बन्द की जा रही हैं और वर्तमान विनियमों के अनुसार सरकार द्वारा उन को अधिकार में लिया जाना कुछ कठिन और कष्टकारक हो जाता है। क्या सरकार ऐसा कोई विधान लाने पर विचार कर रही है जिस से वह (सरकार) ऐसे मामलों में समय रहते हस्तक्षेप कर सके ?

†श्री मनुभाई शाह : जहां तक उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम की धारा १५, १६, १७ और १८ का सम्बन्ध है, सरकार की शक्ति यथासम्भव विस्तृत है। परन्तु जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा, यह सच है कि जब प्रबन्धकों में झगड़े के फलस्वरूप मिलों का परिसमापन होता है, तो इस में बातों के निबटारे में अत्यधिक समय लगता है। अतः सरकार की वर्तमान नीति एक न्यायालय द्वारा एक आदाता नियुक्त करने की है जिस को मिलों का अधिकार लेने के लिये आवेदन पत्र दिया जायेगा यदि मिल का कार्यकरण लाभप्रद मालूम हो। परन्तु हम यह भी माहसूस करते हैं कि इस में कुछ और कार्यवाही करना भी आवश्यक है कि परिसमापन कार्यवाही के दौरान ऐसी अच्छी मिलों को चलाने के लिये सरकार द्वारा अधिकार ले लिये जायें जोकि केवल परिसमापन कार्यवाही के कारण नहीं चलाई जा रही हैं। उस की जांच की जा रही है।

सूती कपड़ा सम्बन्धी औद्योगिक समिति

+

†*९७३. { श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री अ० क० गोपालन : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूती कपड़ा सम्बन्धी औद्योगिक समिति की सूती कपड़ा उद्योग के सम्मुख समस्याओं पर विचार करने के लिये १९५९ में बैठक होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो बैठक कब और कहां होगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री स० म० बनर्जी**: भाग (क) के उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि 'नहीं'। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह बैठक १९५९ में बिल्कुल नहीं होगी।

†**श्री आबिद अली** : इस की एक बार बैठक हुई थी।

†**श्री स० म० बनर्जी** : कपड़ा उद्योग संकट का सामना कर रहा है। इसी कारण यह बैठक आवश्यक हुई। प्रश्न का यही आशय था।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई दूसरी बैठक करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री आबिद अली** : इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है । समिति की पहली बैठक १९४८ में हुई थी तब से बैठक बुलाने का कोई अवसर नहीं आया है और न ही हमारे पास बैठक में विचार के लिये कोई कार्यावलि थी और न ही किसी दल ने बैठक बुलाने की मांग की थी ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मुझे आश्चर्य है कि मंत्री जी का कहना है कि कोई कार्यावलि नहीं है । कपड़ा उद्योग संकट का सामना कर रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ने बताया कि इस वर्ष एक बैठक हुई थी ।

†**श्री आबिद अली** : जी, नहीं । मैं ने यह प्रश्न सुना था कि क्या इस समिति की कभी बैठक हुई और मैं ने कहा कि इस की एक बार बैठक हुई ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : १९४८ में ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि श्रम मंत्रालय में क्या हो रहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या १९५९ में इस की बैठक होने की सम्भावना है । मंत्री महोदय ने बताया कि नहीं । इस की बैठक क्यों नहीं हो रही है इत्यादि बातें माननीय सदस्य आयव्ययक पर सामान्य बहस में उठायें ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या हम यह नहीं पूछ सकते कि समिति की बैठक क्यों नहीं बुलाई जा रही है ? अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की प्रथा के अनुसार, इन सब औद्योगिक समितियों की सामयिक बैठक होनी चाहिये और इन की कार्यवाही अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को भी भेजी जायें । अतः हम ने पूछा कि गंभीर स्थिति को देखते हुए भी इस की बैठक क्यों नहीं हो रही है ?

†**श्री आबिद अली** : पहले तो हम इन समितियों में प्रत्येक उद्योग से सम्बन्धित प्रश्नों को ले रहे थे । परन्तु जब से भारतीय श्रम सम्मेलन का क्षेत्र बढ़ा है, उद्योगों सम्बन्धी अधिकांश बातों पर वहां विचार किया जाता है । जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि जब हमारे पास समिति के सामने विचारार्थ रखने को कोई बात नहीं थी और किसी दल ने इस की बैठक बुलाने की मांग नहीं की तो बिना किसी कार्यक्रम के बैठक करने का कोई प्रयोजन नहीं था ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : समस्या क्या है ? यह अनोखी बात है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या कपड़ा उद्योग की सब समस्याओं पर केवल भारतीय श्रम सम्मेलन अथवा स्थायी श्रम समिति में विचार किया जायेगा, औद्योगिक श्रम समिति में नहीं ?

†**श्री आबिद अली** : यदि कार्मिक संघ संगठन अथवा व्यवस्थापकों द्वारा इस समिति द्वारा विचार के लिये किसी बात का सुझाव दिया जाता है तो निश्चय ही बैठक बुलाई जायेगी ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : सोलहवें भारतीय श्रम सम्मेलन में कपड़ा मिलों की तालाबन्दी और कपड़ा संकट के प्रश्न पर विचार किया गया था .

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न को किसी ने नहीं उठाया है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अखिल भारतीय संगठन अथवा केन्द्रीय कार्मिक संघ संगठन ने उन को बिल्कुल नहीं लिखा है, अथवा उन को इसके लिये कोई कार्यावलि भेजने के लिये नहीं कहा गया है, और यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री आबिद अली** : मुझे ऐसी कोई कार्यावलि नहीं मिली है ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या मंत्री महोदय ने उन को लिखा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं शिकायतें आमंत्रित करने के लिये क्यों लिखूं ? क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि सरकार अपने खिलाफ व्यक्तियों से शिकायतें आमंत्रित करती फिरे ? अगला प्रश्न ।

पंजाब में तकुए और करघे

†*९७४. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कितने तकुए और करघे स्थापित किये जायेंगे ;

(ख) वहां पर कितने तकुए और करघे स्थापित किये जा चुके हैं ; और

(ग) क्या योजना काल के बाकी समय में लक्ष्य पूरा हो जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में किसी भी राज्य में तकुओं और करघों की स्थापना के लिये कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं है । तथापि १.११ लाख तकुओं और ४७४ करघों की स्थापना के लिये लाइसेंस दिये गये हैं जिस में से ५९००० तकुए और १२ करघे स्थापित किये जा चुके हैं । इस बात की सम्भावना है कि उपरोक्त अनुज्ञप्ति बाकी तकुओं और करघों को द्वितीय योजना काल के अन्त तक स्थापित कर दिया जायेगा ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या सहकारी समितियों को प्राथमिक रूप से लाइसेंस दे कर प्रोत्साहन देने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसाकि सभा को ज्ञात है जब चार वर्ष पहले समूची कपड़ा नीति बनाई गई थी तब केवल तीन वर्गों को प्राथमिकता दी गई थी. पहली सहकारी समितियों के लिये थी ; दूसरी शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये थी और तीसरी अलाभप्रद यूनिटों को लाभप्रद यूनिटों के स्तर पर लाने की थी ।

एम्बुलेंस गाड़ियां

†*९७५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोयला खानों में नियोजित श्रमिकों के संख्या के अनुपात से एम्बुलेंस गाड़ियों की व्यवस्था करने के लिये कोई नियम बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ग) यह कब से लागू किया जायेगा ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो उस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा-सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) खान अधिनियम की सम्बन्धित धाराओं में, यह व्यवस्था करने के लिये संशोधन करने का विचार है, जिससे हर खान में काम पर लगे व्यक्तियों को शारीरिक चोट लग जाने पर या उनके बीमार हो जाने पर अस्पताल ले जाने के लिये व्यवस्था तुरन्त तैयार मिले । अधिनियम में संशोधन किये जाने के पश्चात् खान नियमों, १९५५ में उचित संशोधन किये जायेंगे ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : करीब ढाई वर्षों से भी अधिक से खान अधिनियम में संशोधन करने का प्रश्न उठ रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस सभा में विधेयक कब उपस्थापित किया जायेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : हमें इसे जल्दी ही उपस्थापित करने की आशा है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस विधेयक को उपस्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सरकार ने उन कोयला खानों का कोई सर्वेक्षण किया है जहां श्रमिकों को प्रयोग के लिये और विशेषतः गैर-सरकारी क्षेत्र में यूरोपीय मालिकों द्वारा गाड़ियां रखी गई हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : जी, हां । बहुत सी कोयला खानों में गाड़ियां हैं । इनकी संख्या लगभग ४०० है ।

†**श्री प्र० चं० बोस** : क्या अस्पतालों के पास कोयला खानों से घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाने के लिये काफी संख्या में एम्बुलेंस गाड़ियां हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : बहुत से अस्पतालों के पास गाड़ियां हैं । विशेषतः कोयला खान कल्याण आयुक्तों द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों और बड़े कोयला खान स्वामियों के पास जिन्होंने ५०० से अधिक श्रमिक काम पर लगाये हुए हैं, एम्बुलेंस गाड़ियां हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या सरकार ने समूचे भारत में विभिन्न खानों और विशेषतः लौह अयस्क और कोयला पट्टी में, उपलब्ध एम्बुलेंस सुविधा का कोई परिगणन किया है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, और हम समझते हैं कि स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है और हमें आशा है कि बहुत जल्दी ही कुछ और खानों में भी गाड़ियां हो जायेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लंका में भारतीय उद्भव के व्यक्ति

†*९७७. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री महन्ती :
श्री सम्पत् :
श्री सिद्धनंजप्पा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लंका सरकार ने भारतीय उद्भव के उन व्यक्तियों के लिये सुरक्षित रखे विशेष निर्वाचक-वर्ग को भंग कर दिया है जो लंका के पंजीबद्ध नागरिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) जी, हां।

(ख) यह लंका की सरकार और नागरिकों का घरेलू मामला है कि किस प्रकार से लंका के एक विशेष वर्ग के नागरिकों का विधान-मण्डल में प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या ऐसे सब विशेष निर्वाचक-वर्ग समाप्त किये गये हैं या केवल लंका में भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के लिये निर्वाचक-वर्ग समाप्त कर दिया गया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मैं प्रश्न समझ नहीं सकी।

†**अध्यक्ष महोदय :** उनका प्रश्न है कि क्या सब निर्वाचक-वर्गों को समाप्त कर दिया गया है। सब निर्वाचक-वर्ग किस प्रकार समाप्त किये जा सकते हैं ?

†**श्री दी० चं० शर्मा :** मैं यह जानना चाहता था कि क्या कुछ व्यक्तियों के लिये ऐसे सब सुरक्षित विशेष निर्वाचक-वर्ग समाप्त कर दिया गया है या केवल भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के लिये सुरक्षित विशेष निर्वाचक-वर्ग को ही समाप्त किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता परन्तु मेरा यह ख्याल है कि वहां पर कोई पृथक निर्वाचक-वर्ग नहीं हैं। वास्तव में, यह हुआ कि लगभग पांच वर्ष पहले जब वहां के प्रधान मंत्री यहां आये तब इस प्रश्न पर कुछ बात हुई थी और लंका सरकार की ओर से उनका एक यह सुझाव था कि भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के लिये, जिनको नागरिक रजिस्टर किया गया था, उनको अवसर देने के लिये उन्हें दस वर्षों के लिये एक निर्वाचक-वर्ग बनाना चाहिये। यह हमारा प्रस्ताव नहीं था। क्योंकि उन्होंने इसका प्रस्ताव किया था अतः हमने उनको कहा कि जब वे ऐसा चाहते हैं तो हम सहमत हैं। और बाद में इस बारे में उस अधिनियम में व्यवस्था कर दी गयी परन्तु यह कभी क्रियान्वित नहीं किया गया। और हाल ही में उन्होंने उस उपबन्ध को हटा दिया है।

मेरे साथी द्वारा दिये गये कारण, कि यह एक घरेलू मामला है, के अतिरिक्त हम पृथक निर्वाचक-वर्ग का समर्थन नहीं कर सकते और न ही हमने सामान्यतः ऐसा कहीं किया है। अतः जब लंका के

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री ने मुझे सूचित किया कि वे ऐसा कर रहे हैं तो मैंने केवल वह बात नोट कर ली। न ही मैंने उसका विरोध किया और न ही उस पर कोई मत प्रकट किया।

†**श्री सम्पत्** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की दशा बहुत खराब हो रही है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या लंका सरकार द्वारा उठाये गये इस कदम से उनकी हालत और नहीं बिगड़ जायेगी और यदि हां, तो इस स्थिति को संभालने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : लंका सरकार द्वारा उटाये गये इस विशेष कदम से वहां पर भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के जीवन के खराब और अच्छा होने पर कोई असर नहीं पड़ता है। उनको वह सुविधा कभी नहीं दी गयी थी। यदि यह सुविधा उनको दी गयी होती, तब भी उससे इन पर बहुत कम असर होता क्योंकि लगभग १२,००० से १३,००० व्यक्तियों तक को मत प्राप्त हुए। अर्थात् नये अधिनियम के अन्तर्गत लगभग १,००,००० व्यक्ति रजिस्टर किये गये हैं उनमें से १३,००० व्यक्तियों को जो वयस्क थे और जिनको इनके अन्तर्गत मत प्राप्त होता छोटे छोटे दलों में सारी लंका में विभाजित कर दिया गया। इसका कोई निर्वाचन सम्बन्धी असर नहीं हुआ है। उनको यह अधिकार कभी प्राप्त नहीं था और अब उन्होंने इसे परिनियम-पुस्तक में से निकाल दिया है। अतः इसका प्रत्यक्ष कोई असर नहीं हुआ है।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : यह सुझाव नहीं है। परन्तु मैं इसकी व्याख्या करना चाहता हूं कि मेरे दिमाग में जो नक्शा है उसमें लंका 'आर्यों' की श्रेणी में आता है। सांस्कृतिक रूप से लंका बौद्ध देश है। अतः मैं पूछता हूं कि क्या प्रधान मंत्री महोदय ने इस ख्याल से लंका सरकार से पहुंच की है, क्योंकि जब हम उनको विदेशी कहते हैं, 'हम भारतीय और आप, लंकावासी', तो वे हमारी बात नहीं सुनते हैं परन्तु यदि हम उनसे बौद्धों के रूप में पहुंच करें जिनकी संस्कृति समान है और दोनों आर्य हैं, तो मैं समझता हूं कि इससे इस प्रश्न का निबटारा हो जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह करने के लिये एक सुझाव है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : पांच बरस पहले सीलोन के प्रधान मंत्री ने हमारे प्रधान मंत्री को कहा था कि हम इस इलेक्टोरेट के सिस्टम को दस साल तक रखेंगे लेकिन वह अब उसको इतनी जल्दी बदलना चाहते हैं। क्या इस बारे में उनसे कोई लिखापढ़ी नहीं की गयी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ने अभी आप से अर्ज किया कि उन्होंने एक तजवीज की थी जिसको हमने न मंजूर किया था और न नामंजूर किया था। वह एक चीज करना चाहते थे, तो करें। अब वह उसको हटा रहे हैं। हमारी राय में उससे किसी को बहुत फायदा या नुकसान नहीं होता है।

†**श्री थानू पिल्ले** : करार में बहुत सी बातें हैं जिनमें एक इस निर्वाचिक-वर्ग के बारे में है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लंका सरकार इसमें परिवर्तन कर रही है, क्या हमारी सरकार अन्य खंडों के निराकरण पर विचार करेगी जिनसे हम उन नागरिकों को रजिस्टर करने के लिये बाध्य हैं जो भारतीय नागरिक बनने के लिये लंका के वाशिन्दे रहना चाहते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य का सुझाव है . . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतिशोध।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : क्या वे प्रतिशोध का सुझाव दे रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री थानू पिल्ले:** प्रतिशोध नहीं । हम करार के अनुसार कुछ कार्य करने को बाध्य हैं । अब वे उस करार से पीछे हट रहे हैं । केवल हम ही क्यों करार की बातों का अनुसरण करते रहें ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** मैं इस बारे में माननीय सदस्य के विचारों की सराहना करता हूं । परन्तु इस अनुपूरक का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । भारत और लंका के बीच भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के बारे में समस्या है । किये गये करार के अनुसार, उनको उन्हें रजिस्टर करना था जो उनके नागरिक बनने की शर्तें पूरी करते हों और हमें उनको रजिस्टर करना था जो हमारे नागरिक बनने की शर्तें पूरी करते हों । हमारे कहने का कोई प्रश्न नहीं है और हमारे लिये यह कहना अनुचित है कि हम उस व्यक्ति को रजिस्टर नहीं करेंगे जिसको हम भारतीय नागरिक समझते हैं । यह प्रतिशोध नहीं है । हम यह कभी भी नहीं कह सकते । जिस बात पर हमने जोर दिया है वह यह है कि हम केवल उन्हीं को रजिस्टर करेंगे जो शर्तें पूरी करते हों और लंका सरकार के दबाव से कुछ नहीं करेंगे । हमारी यह स्थिति है और इस बात पर ध्यान दिये बिना कि और क्या कहते हैं, हम उस पर दृढ़ हैं । खैर; उसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

आन्ध्र प्रदेश मे उर्वरक कारखाना

+

†*९७८. { **श्री रामी रेड्डी:**
श्री इ० मधुसूदन राव:

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये कई बार अभ्यावेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उस विषय में कोई निर्णय कर लिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) और (ख). जी, हां । अतिरिक्त उर्वरक कारखानों की योजना बनाते समय आन्ध्र प्रदेश में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर अन्य उचित स्थानों के साथ साथ विचार किया जायेगा ।

†**श्री रामी रेड्डी:** इस विषय में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

†**श्री सतीश चन्द्र:** इसमें कुछ समय लगेगा । अगली योजना में नये उर्वरक कारखानों को सम्मिलित किया जायेगा । उर्वरक कारखानों की स्थापना करने के लिये उचित स्थानों का अध्ययन करने के लिये एक टेक्निकल समिति बना दी गयी है । यह संसाधनों पर की उपलब्धता पर भी निर्भर होगा ।

†**श्री रामी रेड्डी:** क्या समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने के बारे में कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है ?

†**श्री सतीश चन्द्र:** तीसरी योजना के प्रारूप पर अन्तिम रूप दिये जाने से पहले ही टेक्निकल समिति अपना प्रतिवेदन देगी ।

†**श्री रामी रेड्डी:** मंत्री जी का कहना है कि इसमें कुछ समय लगेगा । इसी समय में, यदि आंध्र प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार से गैर-सरकारी क्षेत्र में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना करने की पहुंच करती है तो क्या वे उन को सहायता देने के लिये विचार करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सतीश चन्द्र : आंध्र सरकार केन्द्रीय सरकार को बार बार लिख रही है। इसी प्रकार और भी बहुत सी राज्य सरकारें लिख रही हैं। समूचे विषय पर, परिवहन समस्या, कच्चे माल और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता, उपभोग क्षेत्र इत्यादि को ध्यान में रख कर विचार किया जायेगा।

†श्री रामी रेड्डी : मेरा प्रश्न यह था कि क्या केन्द्रीय सरकार आन्ध्र प्रदेश सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने के लिये सहायता देगी।

†श्री सतीश चन्द्र : ऐसा कोई आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है। यदि कभी प्राप्त हुआ तो इस पर विचार किया जायेगा।

†श्री तिरुमल राव : उपमंत्री महोदय द्वारा दी गई इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए कि इस विषय पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्रों में विचार किया जायेगा और जब कि आंध्र देश उर्वरक का उपभोग करने वाले बड़े प्रदेशों में है और वहां अधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है तो यदि गैर-सरकारी क्षेत्र में से कोई जिसके पास पूंजी और उपकरण हों, कारखाना चालू करने को कहे तो क्या सरकार उसको कोई सहायता देगी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : उर्वरक कारखाने के आवंटन में आंध्र प्रदेश को उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी। समय समय पर आंध्र प्रदेश सरकार से कोई बहुत ठोस प्रस्ताव नहीं आये हैं। चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हों या गैर-सरकारी क्षेत्र में, हम उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये आंध्र राज्य की पर्याप्त सहायता करेंगे।

†श्री तिरुमल राव : क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में छपी इस बात की ओर दिलाया गया है कि आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने आंध्र प्रदेश विधान सभा में एक घोषणा की कि वह सरकार एक गैर-सरकारी दल को प्रोत्साहन दे रही है और यह निकट भविष्य में कारखाने की स्थापना का कार्य आरम्भ कर देंगे।

†श्री मनुभाई शाह : यह ठीक है। वे एक या दो दलों को सहायता दे रहे हैं जिन्होंने हम से भी परामर्श किया है और हमें आशा है कि शीघ्र ही कोई ठोस बातें निकलेंगी।

श्री इ० मधुसूदन राव : सन् १९५४ में एक टेक्निकल कमेटी बनायी गयी थी। मैं जानना चाहता हूं कि उसने आंध्र प्रदेश में किन किन स्थानों में फरटिलाइजर फैक्टरी रखने की सिफारिश की थी ?

श्री सतीश चन्द्र : जो कमेटी १९५४ में बैठी थी उसने तो सोचा था कि विजयवाडा में फरटिलाइजर फैक्टरी हो सकती है। इसके अलावा रामगुंडम व कोठागुडियम के लिये हैदराबाद स्टेट और आंध्र गवर्नमेंट ने सिफारिश की थी। लेकिन अब तो नये सिरे से गौर हो रहा है और एक नई टेक्निकल कमेटी बिठायी गयी है कि जो आयन्दा की जरूरियात को देखते हुए सिफारिश करेगी कि कहां कहां फरटिलाइजर फैक्टरियां लगायी जायें।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : दूसरी टेक्निकल समिति की क्या आवश्यकता थी और उसके सदस्य कौन हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : दूसरी टेक्निकल समिति के सभापति वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ, औद्योगिक मंत्रणाकार (कैमिकल्ज) हैं। यह समिति नियुक्त करने का यह कारण था

†मूल अंग्रेजी में

कि हाल ही में संसार की स्थिति को देख कर सरकार को यह विश्वास हो गया है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने की बड़ी परियोजनाओं के साथ साथ छोटी और मध्यम वर्ग की योजनाओं का भी प्रोत्साहन किया जाना चाहिये। समिति इन सब पहलुओं पर विचार करेगी और अधिक से अधिक जितने कारखानों की व्यवस्था की जा सकती होगी उनके बारे में समिति विचार करेगी।

†**श्री रामी रेड्डी**: अब सरकार सरकारी क्षेत्र में तीन कारखाने खोलना चाहती है। यदि किसी कारण इन में से किसी कारखाने के निर्माण में विलम्ब हो गया तो क्या सरकार विदेशी मुद्रा और मशीनरी आंध्र प्रदेश को सौंप देगी ?

†**श्री मनुभाई शाह**: सरकारी क्षेत्र के किसी कारखाने के निर्माण में विलम्ब नहीं होगा। हमने इनके पूरे होने की असल तिथियां सभा में बता दी हैं और हमें आशा है कि १९६१ की समाप्ति तक हम द्वितीय पंच वर्षीय योजना के लिये प्रति वर्ष ४ लाख टन नाइट्रोजन युक्त उर्वरक तैयार करने के निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लेंगे।

भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार समझौता

†*९७९. **श्री रघुनाथ सिंह**: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-इंडोनेशिया व्यापार करार की अवधि एक वर्ष के लिये और बढ़ा दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों देशों में व्यापार को बढ़ाने के लिये करार में कोई नया खंड अथवा सुझाव जोड़ा गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) व्यापार करार ३० जून, १९५९ तक बढ़ाया गया है;

(ख) जी नहीं।

श्री रघुनाथ सिंह: मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो ट्रेड ऐग्रीमेंट हुआ है, इसमें मोड आफ पेमेंट क्या होगा, रुपये में पेमेंट होगा या स्टरलिंग में ?

श्री सतीश चन्द्र: कोई नया ट्रेड ऐग्रीमेंट नहीं हुआ है। सन् १९५३ से एक ट्रेड ऐग्रीमेंट चला आता है जिसकी अवधि ३१ दिसम्बर, १९५८ को खत्म हो गयी। उसको ६ महीने के लिये और बढ़ा दिया गया है।

श्री रघुनाथ सिंह: आपने जो इसको ६ महीने के लिये बढ़ाया है, मैं जानना चाहता हूं कि आपने इसमें रुपी पेमेंट का सवाल रखा है या नहीं ?

श्री सतीश चन्द्र: उसमें कोई तबदीली नहीं हुई है और न रुपी पेमेंट का सवाल है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी**: क्या इस बात की जांच की गई है कि इंडोनेशिया में किन वस्तुओं का निर्यात किया जाये जितनी खपत अधिक हो ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सतीश चन्द्र** : विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषद् समय समय पर विभिन्न देशों के बाजार का सर्वेक्षण करती हैं। इंडोनेशिया में चीन और जापान की प्रतिस्पर्धा के कारण हमारे निर्यातिकारों को अधिक सफलता नहीं मिली है। हमारे वाणिज्य मंत्री जो आस्ट्रेलिया में इकैफे सम्मेलन में भाग लेने गये हैं, वापसी पर जकार्ता में व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाओं पर विचार तथा बातचीत करेंगे।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या वर्तमान करार पर कार्यवाही करने के विषय में पुनर्विचार किया गया है और यदि हां, तो क्या व्यापार करार का पुनरीक्षण करने का कोई विचार है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : जी हां। करार का पुनरीक्षण किया जाने वाला है। परन्तु प्रतिस्पर्धा बढ़ने और हमारे व्यापार के कम होने के कारण अभी बातचीत शुरू नहीं की गई है। हम निर्यात बढ़ाने की सम्भावनाओं पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास** : दोनों देशों के बीच व्यापार की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**श्री सतीश चन्द्र**: गत एक वर्ष में इंडोनेशिया के साथ व्यापार काफी कम हो गया है। इंडोनेशिया को मुख्यतः यहां से सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था जो अब चीन और जापान के हाथ में चला गया है। जनवरी और नवम्बर के बीच हम ने लगभग २ करोड़ रुपये का माल भेजा लगभग २$^1/_2$ करोड़ रुपये का माल मंगवाया।

†**श्री वारियर** । क्या उन वस्तुओं के निर्यात में प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिये कोई बातचीत हुई थी जो भारत और इंडोनेशिया दोनों के द्वारा निर्यात की जाती हैं ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : चीन और जापान से आयात करके इंडोनेशिया को भाड़े में भी कुछ बचत होती है। दूसरे, इसे चीन से बहुत ऋण मिला है। इन सब कारणों से हमारा इंडोनेशिया के साथ व्यापार कम हो गया है।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** : पश्चिमी योरूप में जिस प्रकार आर्थिक बन्धन हटाये जा रहे हैं क्या उसी प्रकार हम एशिया में विशेषकर इंडोनेशिया के साथ प्रतिबन्ध हटायेंगे ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : भारत में कुछ इंजीनियरिंग वस्तुएं बनती हैं जिनकी खपत इंडोनेशिया में हो सकती है। क्या व्यापार करार में इसकी व्यवस्था करने के लिये कोई खंड बढ़ाया गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : करार में ये वस्तुएं शामिल हैं। इंजीनियरिंग वस्तुओं का हम थोड़ा निर्यात करते भी रहे हैं परन्तु इंजीनियरिंग वस्तुओं के लिये भी जापान और जर्मनी को प्राथमिकता दी जाती है। अब सब बातों का पुनरावलोकन किया जा रहा है और हम इंडोनेशिया से अपना व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री वारियर** : क्या करार का पुनरीक्षण करते समय काली मिर्च आदि के बारे में, जो भारत और इंडोनेशिया द्वारा संसार में निर्यात की जाती है, कोई बातचीत हुई थी।

†**श्री सतीश चन्द्र** : निर्यात के सम्बन्ध में इंडोनेशिया से हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम इंडोनेशिया से मुख्यतः खनिज तेल का आयात कर रहे हैं। गरम मसालों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में इंडोनेशिया के साथ हमारी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह :** इंडोनेशिया के साथ हमारे व्यापार को बहाल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : हमारे वाणिज्य मंत्री कुछ दिनों में वहां जा रहे हैं और हमें जून से पूर्व करार का पुनरावलोकन करना है क्योंकि वह जून में समाप्त हो जायेगा। तब सारी स्थिति का पुनरावलोकन करने का अवसर मिलेगा। इंडोनेशिया के साथ हमारा व्यापार बढ़ सकता है। इसलिये नया करार अवश्य किया जायेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इंडोनेशिया को जाने वाला समुद्री मार्ग सरकारी क्षेत्र अर्थात् ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन के लिये खुला है। क्या निर्यात जहाज भाड़ा सहित के आधार पर हमारे अपने जहाजों में भेज कर और भाड़े में समायोजन करके किया जा सकता है जिससे कि हम प्रतिस्पर्धा कर सकें ?

†**श्री सतीश चन्द्र** : भाड़े के अतिरिक्त अन्य बातें भी हैं। इंडोनेशिया को चीन ने बहुत सी ऋण सुविधायें दी हैं। इंडोनेशिया को रूस से भी ऋण मिला है जिसे वह अपने ढंग से प्रयोग कर रहा है। इन सब कारणों से यह मामला पेचीदा हो गया है। हम इंडोनेशिया की सरकार से कोई प्रबन्ध करना चाहते हैं।

कपास का व्यापार

+

†*९८०. { **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
श्री नागी रेड्डी :
श्री वासुदेवन् नायर : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इसका अध्ययन किया है कि वस्त्र उद्योग में आतंक फैलने से कपास के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या यह सच है कि कपास की बढ़ती हुई खपत इसके फलस्वरूप रुक गई है ;

(ग) क्या भारतीय कपास के मूल्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) यदि हां, तो उत्पादकों की सहायता के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) १९५७-५८ की तुलना में १९५८-५९ में अधिक खपत होने की संभावना है।

(ग) देश में लम्बे और दरम्याने रेशे वाली कपास का मूल्य बढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई देती है।

(घ) कपास की पैदावार करने वाले को अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है इसलिये कोई विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†सरदार इक़बाल सिंह : क्या यह सच है कि कपास के मूल्य गिरने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है ?

†श्री मनुभाई शाह : नहीं, बल्कि रेशों की किस्मों का विकास होने के साथ-साथ मूल्य भी बढ़ गये हैं।

†श्री आचार : क्या यह सच नहीं है कि अधिक लम्बे रेशे वाली कपास के आयात लाइसेंस मिलने पर कपास के मूल्य गिर गये ?

†श्री मनुभाई शाह : कुछ गलतफहमी हो गई है। आयात उसी वस्तु का किया जाता है जो देश में पैदा नहीं होती।

†सरदार इक़बाल सिंह : क्या इसमें कमी नहीं हुई है ?

†श्री मनुभाई शाह : जी नहीं।

†सरदार इक़बाल सिंह : माननीय मंत्री कह रहे हैं कि मूल्य कम नहीं हो रहे हैं। इस समय पंजाब में कपास का मूल्य ३५ रुपये प्रति मन है जब कि दिसम्बर और नवम्बर में मूल्य ४० और ४१ रुपये था।

†श्री मनुभाई शाह : हमारे पास जो आंकड़े हैं उनसे तो यही पता चलता है कि घटिया कपास को छोड़ कर शेष सभी किस्मों के मूल्य कुछ बढ़े हैं।

टायरों का उत्पादन

+

†*६६१. { **श्री कोडियान :**
श्री पुन्नूस :
श्री वें० प० नायर : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोटे तौर पर कोई प्राक्कलन तैयार किये हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक साइकल और मोटरों के टायरों का कितना उत्पादन होने लगेगा; और

(ख) सर्वोत्तम स्थानों पर नये कारखाने लगाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं। अभी तृतीय पंच वर्षीय योजना के लिये औद्योगिक लक्ष्यों सम्बन्धी निर्णय नहीं किये जायेंगे।

(ख) नये कारखाने लगाने के लाइसेंस देते समय केवल स्थान का ही नहीं बल्कि यह भी ख्याल रखा जाता है कि किन क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों की कमी है।

†**श्री कोडियान** : क्या सरकार का उद्देश्य तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में साइकलों और मोटरों के टायरों के उत्पादन के सम्बन्ध में आत्म निर्भर होना है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री मनुभाई शाह** : स्वाभाविक है कि जब चारों ओर प्रगति हो रही है तो हमें अपने औद्योगिक लक्ष्यों जिन में टायर भी शामल हैं का विस्तार करना पड़ेगा।

†**श्री कोडियान** : क्या नये कारखानों की स्थापना करते समय उस राज्य का भी ख्याल रखा जायेगा जहां रबड़ काफी मात्रा में होता है।

†**श्री मनुभाई शाह** : सब बातों का ध्यान रखा जाता है। माननीय सदस्य का आशय केरल से था। वहां टायर बनाने के एक बहुत बड़े कारखाने के लिये लाइसेंस दिया गया है और वहां के साइकल उद्योग के विस्तार के लिये भी।

†**श्री पुन्नूस** : सरकार किसी बड़े समवाय को केरल में एक कारखाना खोलने के लिय क्यों राजी नहीं कर सकी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : औद्योगिक विकास में सभी पक्षों को अपना-अपना कर्त्तव्य पूरा करना होता है। यदि उद्योगपति, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार अपना-अपना कर्त्तव्य पूरा करें तो सभी जगहों पर बहुत से उद्योगों की स्थापना हो सकती है।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : माननीय मंत्री ने इस अनुपूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या सरकार का यह उद्देश्य है कि साइकल और मोटरों के टायरों के सम्बन्ध में देश आत्मनिर्भर हो जाये ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम ने मोटरों के १० लाख टायरों के उत्पादन का लाइसेंस पहले दिया था और ११ लाख का और दे दिया है। इससे उत्पादन आवश्यकता से अधिक होने लगेगा और टायर फालतू हो जायेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तांबे का आयात और वितरण

†***९७१. श्री श्रीनारायण दास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तांबे के आयात और वितरण पर नियंत्रण के संचालन का पुनरावलोकन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ;

(ग) क्या भारत में इस धातु के प्रयोग का कोई प्राक्कलन तैयार किया गया है; और

(घ) इस में से कितनी मांग देशीय उत्पादन से पूरी हो जाती है और कितनी आयात द्वारा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३७]

---

†मूल अंग्रेजी में

हथकरघा उद्योग

†*६७२. श्री वें० प० नायर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हथकरघा उद्योग को विशेषकर दक्षिण भारत में कृत्रिम रेशम का धागा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग की सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) कुछ अभ्यावेदन मिले थे कि हथकरघा उद्योग के लिये कृत्रिम रेशमी धागा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है ।

(ख) कृत्रिम रेशम का धागा बनाने वाले चार उपक्रमों से यह प्रबन्ध किया गया है कि वे अपने उत्पादन का कुछ भाग देश के हथकरघा बुनकरों में बांटें ।

पूर्वी योरुप के देशों को शिष्टमंडल

†*६७६. { श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री किस्तैया :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी योरुप के देशों में निर्यात बाज़ारों का सर्वेक्षण करने वाले शिष्टमंडल ने राज्य व्यापार निगम के कर्त्तव्य का परीक्षण करने और ग्राहकों के लिये निगम की उपयोगिता बढ़ाने के बारे में किस प्रकार के सुझाव दिये हैं ; और

(ख) इन सुझाओं पर विस्तृत रूप से विचार करने में क्या प्रगति हुई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) १७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के सम्बन्ध में सभा-पटल पर रखे गये विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ख) राज्य व्यापार निगम धीरे-धीरे अपना कारोबार बढ़ा रहा है और अपने ग्राहकों के लिये सन्तोषजनक सिद्ध हो रहा है ।

कस्टोडियन के विभाग को बन्द करना

*६८२. श्री सरजू पांडे : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कस्टोडियन के विभाग को बन्द करने का प्रश्न विचाराधीन है ;

(ख) इसका कितने कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) क्या सरकार उन्हें और जगह काम दे देगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां। कस्टोडियन के विभाग का काम समाप्त हो रहा है। इसलिये यह विभाग धीरे धीरे बन्द किया जा रहा है।

(ख) १०२२ ।

(ग) उन लोगों को जिन की नौकरी छूट जाती है, अपने नाम स्थानीय एमप्लायमेंट एक्सचेंज में दोबारा नौकरी पाने के लिये दर्ज कराने पड़ते हैं। एमप्लायमेंट एक्सचेंजों को हिदायतें दी जा चुकी हैं कि इन लोगों को रोज़गार के मामले में ऊंची प्रायरटी दी जाये।

आन्ध्र प्रदेश में बुनकर सहकारी समितियां

†*६८३. { **श्री दे० वें० राव :**
श्री नागी रेड्डी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में बुनकर सहकारी संस्थाओं को हथकरघों पर दी जाने वाली राजसहायता की बकाया राशि का केन्द्र द्वारा भुगतान करने में बिलम्ब के बारे में सरकार को कोई शिकायत मिली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) १६५८ की समाप्ति तक बकाया भुगतान कितना था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). अवहार योजना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा उपबंधित राशि के कम होने के बारे में कुछ अभ्यावेदन मिले थे। राज्य सरकार ने मार्च, १६५८ की समाप्ति तक अवहार खर्च के लिये ४२·४२ लाख रुपये की बकाया राशि का दावा भेज दिया था। दावे का निरीक्षण समाप्त होने से पूर्व उन्हें तुरन्त ६-१-१६५६ को २५ लाख रुपये की मंजूरी दे दी गई थी।

चालू वर्ष में अवहार पर खर्च के बारे में राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की पुनरीक्षित प्रक्रिया लागू की गई है जिस से राज्य सरकारों को बुनकर संस्थाओं के दावों का भुगतान करने में सुविधा रहेगी।

द्विपक्षीय संयुक्त परामर्श व्यवस्था

†*६८४. { **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में एक द्विपक्षीय संयुक्त परामर्श व्यवस्था की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). रेलवे और प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में पहले से द्विपक्षीय संयुक्त परामर्श व्यवस्था की गई है। डाक व तार विभाग, पत्तनों और कुछ अन्य उपक्रमों में विभिन्न स्तरों पर सावधिक बैठकें होती रहती हैं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पहले से श्रमिक समितियां हैं।

इंजन आदि चलाने का तेल

†*९८५. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९-६० में देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये इंजन आदि चलाने के तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : आगामी कुछ वर्षों में इंजन आदि चलाने के तेल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये देशीय उत्पादन पर्याप्त है और इसे और भी बढ़ाया जा रहा है।

कॉफ़ी का उत्पादन

†*९८६. **काज़ी मतीन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष कॉफ़ी का उत्पादन अधिकतम ६०,००० टन होने की आशा है; और

(ख) सरकार इस के लिये क्या प्रयत्न कर रही है कि कॉफ़ी का उत्पादन बढ़ाया जाये और शेष की खपत देश में बढ़ाई जाये ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी नहीं। कॉफ़ी बोर्ड ने अनुमान लगाया है कि इस वर्ष उत्पादन ४४,१०४ टन होगा। पिछले रिकार्डों को देखते हुये वास्तव में उत्पादन शायद कुछ अधिक होगा। फिर भी यह सम्भव नहीं कि उत्पादन ६०,००० टन हो।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३८**]

धर्म सम्बन्धी अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का प्रतिवेदन

†*९८७. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने धर्म सम्बन्धी अधिकारों में भेदभाव के बारे में जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था उसे संयुक्त राष्ट्र के अल्पसंख्यक वर्ग संरक्षण तथा भेदभाव निवारण उप-आयोग ने स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). अभी कोई प्रतिवेदन मंजूर नहीं हुआ है। इस वर्ष जनवरी में उप-आयोग ने अपनी ११वीं बैठक में प्रारूप प्रतिवेदन

---

†मूल अंग्रेजी में

पर विचार किया था। उप-आयोग ने यह प्रार्थना की है कि १९६० में होने वाले आगामी सत्र में विचार करने के लिये अन्तिम प्रतिवेदन तैयार किया जाये।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति

*९८८. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विस्थापित व्यक्ति बहुत बड़ी संख्या में अब भी स्यालदह स्टेशन पर पड़े हुये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनको बसाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) हाल ही में राज्य सरकार द्वारा की गयी सर्वे के मुताबिक १०२२ परिवार स्यालदह स्टेशन में रह रहे हैं। इन में से ६१२ परिवार शरणार्थी और बाकी ४१० परिवार गैर-शरणार्थी हैं।

(ख) शरणार्थी परिवारों को दूसरी जगहों पर बसाने के लिये कार्यवाही की जा रही है। पिछले ६ महीनों में लगभग २६० परिवार भेजे जा चुके हैं।

दण्डकारण्य परियोजना

†*९८९. **श्री संगण्णा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य परियोजना के लिये १$^1/_2$ करोड़ रुपये की मशीनरी का आयात किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मशीनों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या मशीनरी का आयात प्रविधिक सहकारिता मिशन के अधीन किया जाता है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कारतूस बनाना

†*९९०. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बारह बोर के कारतूस का आयात करने पर प्रति वर्ष कुल कितनी राशि खर्च होती है ;

(ख) देश में उनका उत्पादन न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग). माननीय सदस्य कृपया १८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०८८ के उत्तर को देखें । निकट भविष्य में जब बारह बोर कारतूसों का उत्पादन पूरी तरह से होने लगेगा तब देश की मांग पूरी हो जायेगी । गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ शस्त्र विक्रेता भी १२ बोर कारतूसों को पुनः भरने का काम करने के लिये तैयार हैं । अधिक मांग होने पर उत्पादन बढ़ाने के उपाय किये जायेंगे ।

१२ बोर के कारतूसों (खाली अथवा भरे हुये) के आयात के कुल मूल्य के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

सीमेंट उद्योग के लिये मशीनें

†*९९१. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री अरविन्द घोषाल : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट बनाने की मशीनें भारत में तैयार करने में काफी प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी और किस प्रकार की प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या देश की सीमेंट बनाने की मशीनें बनाने की आवश्यकता को पूरा करने के बारे में भारत के आत्मनिर्भर होने की कोई सम्भावना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). सीमेंट की मशीन और उनके पुर्जे बनाने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत छः फर्में रजिस्टर की गई हैं अथवा उन्हें लाइसेंस दिये गये हैं । इन में से दो को सीमेंट बनाने के पूरे संयंत्र तैयार करने के लाइसेंस दिये गये हैं । एक ने कुछ एक वस्तुओं का उत्पादन आरम्भ कर दिया है जब कि दूसरा १९६१ में उत्पादन आरम्भ कर देगा । आशा है कि तृतीय योजना के पहले और दूसरे वर्ष में हमारा देश सीमेंट की मशीनरी के मामले में कुछ एक पुर्जों को छोड़ कर जो आयात करने पड़ेंगे, आत्मनिर्भर हो जायेगा ।

जनरल अयूब खां के साथ जनरल करियाप्पा की बातचीत

†*९९२. { **श्री नि० बि० माईति :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनरल के० एम० करियाप्पा, भारतीय सेना के भूतपूर्व कमांडर-इन-चीफ और एशियन-अफ्रीकन गुडविल सोसाइटी के सभापति, हाल ही में भारत पाक विवादों के बारे में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खां से बातचीत करने कराची गये थे ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या जनरल करियाप्पा ने भारत सरकार को इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन भेजा ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग). भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में समाचार पढ़े हैं। जनरल करियाप्पा निजी तौर पर कराची गये थे और इससे भारत सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

वीरापांडी (मद्रास) में सरकारी प्रेस

†*९९३. **श्री नंजप्पा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास राज्य के कोयम्बटूर जिले के वीरापांडी नामक स्थान में एक सरकारी प्रेस के निर्माण में कहां तक प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल० कु० चन्दा)**: निर्माण कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है ।

रियाती सिनेमा शो पर प्रतिबन्ध

†*९९४. **श्री वाजपेयी** :
श्री आसर :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री ई० मधुसूदन राव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन की जन सम्पर्क समिति ने रियायती दर पर मध्याह्न में होने वाले सिनेमा शो पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये आग्रह किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) बताया जाता है कि दिल्ली प्रशासन की जन सम्पर्क समिति ने इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने के लिये आग्रह किया है ।

(ख) सिनेमा शो के बारे में नियम बनाना स्थानीय प्रशासन के अधिकार में है, दिल्ली प्रशासन के साथ भी यही चीज़ लागू है। बताया जाता है कि इस सिफारिश का अध्ययन दिल्ली प्रशासन द्वारा किया जा रहा है ।

नमक पर उपकर

†*९९५. **श्री सुब्बया अम्बलम्** :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री वारियर :
श्री कोडियान :
श्री तंगामणि :
श्री सम्पत :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ५,००० से १५,००० मन से अधिक नमक बनाने पर एक आना प्रति मन और १५,००० मन से अधिक पर दो आने प्रति मन उपकर लगाने का विचार करती है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो १० एकड़ से कम में छोटे पैमाने पर नमक बनाने के लिये उपकर लगाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में छोटे निर्माताओं के पास से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ?

†**उद्योग उपमंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख): जी नहीं ।

(ग) और (घ): जी हां । अभ्यावेदन में लिखित बातों पर उचित विचार किया जा रहा है ।

उद्योगों के लिये क्षेत्रीय लघु समितियां

†*६६६. **श्री सिद्धनंजप्पा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री मं० रं० कृष्ण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उचित प्रबन्ध के बारे में परामर्श देने के लिये विशेषज्ञों की 'क्षेत्रीय लघु समितियां' बनाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थापना कब की जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). प्रस्ताव पर विचार किया गया था किन्तु वह अधिक लाभदायक नहीं मालूम पड़ा इस कारण और आगे कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

मध्यम उद्योगों के लिये वित्त

†*६६७. **श्री वारियार :**
श्री कोडियान :
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों की केन्द्रीय मंत्रणा परिषद् की स्थायी समिति द्वारा नई निर्गमित पूंजी के अभिगोपन और ५० लाख रुपये से कम पूंजी वाले मध्यम उद्योगों के लिये वित्त की व्यवस्था करने के लिये बैंकों का एक संघ बनाने के बारे में विचार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). १७ फरवरी, १९५९ को उद्योगों की केन्द्रीय मंत्रणा परिषद् की स्थायी समिति की बैठक की सामान्य चर्चा के दौरान में कुछ सदस्यों ने मध्यम पैमाने के उद्योगों के लिये वित्त व्यवस्था करने के लिये बैंकों का एक संघ बनाने की आवश्यकता का निर्देश किया था । मध्यम पैमाने के उद्यागों के लिये वित्त व्यवस्था करने पर सरकार विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में स्कूटरों का निर्माण

***९९८. श्री भक्त दर्शन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सारे देश की मांग को ध्यान में रखते हुए भारत में दो सीटों वाले स्कूटरों का उत्पादन आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : दो सीटों वाले स्कूटरों का देश में पहले से ही निर्माण हो रहा है । चालू अवधि में इस उद्योग को कुछ अतिरिक्त विदेशी मुद्रा दी गयी है जिस से यह उत्पादन बढ़ा सकें । हालांकि स्कूटरों की अब भी कमी है लेकिन स्थिति सुधर जायेगी ।

रासायनिक उद्योगों के लिये संयंत्र और मशीनें

†*९९९. श्री विद्या चरण शुक्ल : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पहले जिस भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने, भारत की जापान मंत्रणादाता संस्था के अधीन जापान की यात्रा की थी उसने भारत के रसायनिक उद्योगों के लिये संयंत्र और मशीनों का संभरण करने के संबंध में जापानी निर्माताओं से जो बात-चीच हुई उसका क्या परिणाम निकला इसके बारे में भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). भारतीय प्रतिनिधि मंडल जो जापान गया था उसने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि यदि प्रत्येक उद्योगपति जापान के निर्माताओं से स्वयं इस बारे में पत्र-व्यवहार करें तो उन्हें अलकलीज और उससे सम्बन्धित उत्पादों के निर्माण के लिये उपयुक्त मशीनें प्राप्त हो सकती हैं । सम्बन्धित पक्षों के बीच प्रत्यक्ष पत्र-व्यवहार किया जा रहा है ।

भारतीय कागज का उचित मूल्य

†*१०००. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री किस्तैया :
श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री सरजू पांडे :
सरदार इक़बाल सिंह : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २९ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रशुल्क आयोग के पास से भारत में बने कागज के लिये थोक और फुटकर विक्रेताओं द्वारा उचित मूल्य वसूल किये जाने वाले उचित मूल्य निर्धारित कर देने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

---

†मल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). जी नहीं, प्रशुल्क आयोग से आशा की जाती है कि वह अपना प्रतिवेदन मई, १९५९ के मध्य तक प्रस्तुत कर देगा।

कच्चे पटसन का निर्यात

†*१००१. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री पांगरकर :
श्री बर्मन :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने विदेशों को कच्चे पटसन का निर्यात किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों ने इसका कैसा स्वागत किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) अभी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मांडले (बर्मा) में तिलक स्मारक

*१००२. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** ८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा की मांडले जेल में लोकमान्य तिलक के स्मारक का निर्माण कार्य इस बीच पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना धन व्यय हुआ है ; और

(ग) भविष्य में उसकी देख-भाल और मरम्मत आदि की व्यवस्था की गयी है ?

विदेश उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां, निर्माण का कार्य १० फरवरी, १९५९ को समाप्त हो गया था।

(ख) ४७,८२७ के० के कुल ठेके में से ठेकेदारों को अब तक ३५,००० के० की रकम दी जा चुकी है।

(ग) जब यह स्मारक भवन (मेमोरियल हाल) बर्मा सरकार को सौंप दिया जायेगा, तब भविष्य में उसकी देखरेख का जिम्मा बर्मा सरकार पर होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुर्सिया का प्रादेशिक अस्पताल

†*१००३. **श्री त० ब० विट्ठल राव**: क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरबा कोयला खान के कुर्सिया में तीस पलंगों वाला प्रादेशिक अस्पताल बनाने की क्या स्थिति है ;

(ख) अस्पताल पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ; और

(ग) इसके कब पूरे होने की संभावना है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) योजना और प्राक्कलन अन्तिम रूप से तैयार किया जा रहा है ?

(ख) लगभग ६,९९,३७२ रुपये ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता

कर्मचारी भविष्य निधि

†*१००४. **श्री तंगामणि** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नियोजकों पर जो भविष्य निधि बाकी है उसकी वसूली में शीघ्रता करने का निश्चय किया है ;

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि में इस समय नियोजकों पर उनके अंशदान के रूप में कितनी राशि बाकी है ; और

(ग) क्या सरकार उन नियोजकों के ऊपर कुछ दण्ड लगाने का विचार कर रही है जिन्होंने अभी तक देय राशि का भुगतान नहीं किया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) नवम्बर, १९५८ के अन्त तक लगभग पचहत्तर लाख रुपये ।

(ग) सामान्यत : जो दण्ड दिया जाता है उससे भी अधिक कठोर दण्ड देने का विचार है तथा बाकी राशि की वसूली में शीघ्रता करने का भी विचार है ।

कार्य-कुशलता और कल्याण संहिता

†१००५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्य-कुशलता और कल्याण संहिता बनाने का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). कार्य कुशलता और कल्याण संहिता का प्रारम्भिक प्रारूप उस पर आलोचना प्राप्त करने के लिये नियोजकों और मज़दूर संगठनों में परिचालित कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नाईलॉन

†१००६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नाईलॉन बनाने के लिये किस किस कच्चे माल की आवश्यकता होती है तथा भारत में प्रत्येक के बारे में क्या स्थिति है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३६]** ।

हथकरघे के कपड़े का निर्यात

†१००७. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६५८ में हथकरघे के कपड़े के निर्यात में काफी कमी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कमी कितनी हुई है और उसके कारण क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १६५८ में १६५७ की तुलना में निर्यात में कमी हुई है।

(ख) १६५७ में ३७० लाख गज़ कपड़े का निर्यात किया गया था जिसका मूल्य ५५६·३ लाख रुपये था। नवम्बर, १६५८ तक ३१० लाख गज़ कपड़े का निर्यात किया गया जिसका मूल्य ४५७.१ लाख रुपये था। कमी के प्रमुख कारण निर्यात को सामान्य धक्का एवं अन्य देशों से प्रतिद्वंदिता तथा अन्य देशों में हथकरघे के कपड़ों के आयात पर लगाये गये प्रतिबन्ध हैं।

भारतीय इंजीनियरों का प्रशिक्षण

†*१००८. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की कोई योजना भारतीय इंजीनियरों को उद्योग के प्रबन्ध के बारे में नवीनतम प्रविधियों में प्रशिक्षण देने के लिये विदेश भेजने की है ;

(ख) यदि हां, तो वे कब भेजे जाने वाले हैं और किन-किन देशों में उन्हें भेजा जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं, सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है किन्तु राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् की एक योजना उम्मीदवारों को टेक्निकल सहकारिता मिशन के अधीन औद्योगिक इंजीनियरिंग, औद्योगिक प्रबन्ध तथा औद्योगिक संबंध में विदेश में एक वर्ष के लिये प्रशिक्षण प्राप्त करने के बारे में है।

(ख) आगे का ब्योरा अभी तैयार किया जाना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चण्डीगढ़ राजधानी परियोजना

†*१००९. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री सिद्धनंजप्पा : }

क्या **योजना** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१५ के उत्तर के के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ राजधानी परियोजना के लिये अतिरिक्त व्यय के संबंध में किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ; और

(ख) परियोजना में शामिल किये गये नये मदों का ब्योरा क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). राज्य सरकार द्वारा चंडीगढ़ में १९५७ में नये निर्माण कार्यों के लिये प्रस्तावित ७.५६ करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय में से कार्यकारी दल ने १८९.२२ लाख रुपये के लिये अतिरिक्त उपबन्ध कराने की सिफारिश की है। जिसमें से २० लाख उच्च न्यायालय के लिये अतिरिक्त स्थान पर व्यय होंगे जैसी की पंजाब सरकार द्वारा सिफारिश की गई है, और ४२० लाख रुपये की राशि में से जैसा कि प्रस्ताव है १३५.११ लाख रुपये सरकारी कर्मचारियों के निवास स्थान बनवाने तथा ३४.११ लाख रुपये की राशि प्रस्तावित दर पर इन नये निर्माण कार्यों पर संस्थापन प्रभार के रूप में व्यय किये जायेंगे। योजना आयोग ने इसे स्वीकार कर लिया है।

भवन निर्माण में मितव्ययता

†*१०१०. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये भवन बनाने में भारतीय मानक संस्था और राष्ट्रीय भवन संगठन द्वारा मितव्ययतापूर्ण विशेष विवरणों, स्टैण्डर्ड, डिज़ाइन सामान के सुरक्षित रखने तथा 'लोअर सेफ्टी मार्जिन' के बारे में की गई सिफारिशों पर कहां तक विचार किया गया है ; और

(ख) इन सिफारिशों के कारण १९५८ में कितनी मितव्ययता हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : पता लगा है कि बहुत से सरकारी विभागों ने भवन निर्माण के सामान के संबंध में भारतीय मानक संस्था के विशेष विवरण स्वीकार किये हैं तथा यथासम्भव निर्माण करने वाले अभिकरणों द्वारा भी समय-समय पर राष्ट्रीय भवन संगठन द्वारा की गई सिफारिशें भी मानी गई हैं।

(ख) कितनी बचत हुई इसका ठीक-ठीक हिसाब लगा सकना बड़ा कठिन है किन्तु हम इसका सुनिश्चय करने के बारे में कार्यवाही कर रहे हैं कि जिससे हमें निर्माण के तरीकों और वैकल्पिक सामान आदि के इस्तेमाल से जितनी और जिस प्रकार की बचत होगी उसके बारे में हमें निर्माण करने वाले अभिकरणों से जानकारी प्राप्त हो सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार द्वारा खरीदा गया सीमेंट

†*१०११. **श्री वें प० नायर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने १९५७ की तुलना में १९५८ में सीमेंट अधिक भाव पर खरीदा है ; और

(ख) १९५७ और १९५८ में कुल कितना सीमेंट खरीदा गया और प्रत्येक वर्ष में कुल कितना मूल्य दिया गया ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है जो सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मद्रास में चीनी का सहकारी कारखाना

†*१०१२. **श्री तंगामणि** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २० नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में चौथा सहकारी कारखाना खुल गया है ;

(ख) इसके लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ;

(ग) यह कारखाना किस तारीख से उत्पादन आरम्भ करेगा ; और

(घ) कारखाने की क्षमता कितनी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (घ). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चीनी उद्योग की जितनी क्षमता निर्धारित की गई है, उतने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम के अधीन पहले से ही लाइसेंस दे दिया गया है। इसको और विदेशी मुद्रा की प्रचलित कमी को ध्यान में रखते हुये यह संभव नहीं हो सकता कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में मद्रास राज्य में एक चौथा सहकारी चीनी कारखाना खोला जाय।

परियोजना काम दिलाऊ दफ्तर

†१४८२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी परियोजनाओं के लिये अब तक (राज्य-वार) यदि कोई परियोजना काम दिलाऊ दफ्तर खोले गये हों तो उनकी संख्या कितनी है और उनके क्या नाम हैं ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अवशिष्ट काल में ऐसे कितने परियोजना काम दिलाऊ दफ्तर खोले जायेंगे और उनके क्या क्या नाम हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) नये परियोजना दफ्तर :

नदी घाटी परियोजना का नाम	दफ्तर का स्थान
१. नागार्जुनसागर बांध परियोजना . .	नागार्जुनसागर
२. रिहांड बांध परियोजना . . .	रिहांड
३. कोयना बांध परियोजना . . .	कोयना

इस्पात परियोजनायें :

१. रूरकेला इस्पात संयंत्र .	रूरकेला
२. भिलाई इस्पात संयंत्र . . .	दुर्ग
३. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र . . .	दुर्गापुर

विद्यमान दफ्तरों से जिन नदी घाटी परियोजनाओं की सेवा की जा रही है ।

१. दामोदर घाटी निगम . . .	१. दामोदर घाटी निगम परियोजनाओं के बिहार क्षेत्र के लिये कुमारधूवी । २. दामोदर घाटी परियोजनाओं के पश्चिमी बंगाल क्षेत्र के लिये आसनसोल ।
२. हीराकुड बांध परियोजना . .	सम्बलपुर ।
३. चम्बल बांध परियोजना . .	१. परियोजना के राजस्थान क्षेत्र के लिये कोटा का एक्सचेंज । २. परियोजना के मध्य प्रदेश के क्षेत्र के लिये ग्वालियर का एक्सचेंज ।
(ख) कोसी बांध परियोजना . .	बीरपुर
भाखड़ा नंगल बांध परियोजना .	नंगल

राज्य गृह-निर्माण बोर्डों की स्थापना

†१४८३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६९५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वे राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने मकान बनाने और मकानों का प्रबन्ध करने तथा राज्य में गृह-निर्माण संबंधी कार्यों के लिये वित्त व्यवस्था करने के लिये राज्य गृह-निर्माण बोर्डों की स्थापना करने के बारे में विधान बना लिया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त समाचारों से पता लगा है कि बम्बई और मद्रास राज्य में संविहित गृह-निर्माण बोर्ड पहले से ही काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने गृह-निर्माण बोर्ड बनाने के लिये विधान बनाया है और आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने भूतपूर्व हैदराबाद गृह-निर्माण बोर्ड अधिनियम, १९५६ को (जो अभी तक लागू नहीं किया गया है) सम्पूर्ण आन्ध्र प्रदेश में १ अप्रैल, १९५९ से लागू करने का निश्चय किया है। इसके साथ ही मद्रास की सरकार भी अपने असंविहित गृह-निर्माण बोर्ड को संविहित रूप देने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

औद्योगिक सम्बन्ध

†१४८४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २९ नवम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक सम्बन्धों को शासित करने वाले महत्वपूर्ण संविधियों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के प्रश्न की क्या स्थिति है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : बम्बई में १६ और १७ जनवरी, १९५९ को हुई स्थायी श्रम समिति की एक बैठक में औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ में संशोधन करने के सुझावों पर विचार किया गया था। इस समिति की सिफारिशें तथा औद्योगिक सम्बन्ध से सम्बन्धित अन्य विषयों पर विस्तार से भारतीय श्रम सम्मेलन के आगामी सत्र में विचार किया जायेगा।

पंजाब में प्रेस समाचार ब्यूरो के शाखा कार्यालय

†१४८५. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में प्रेस समाचार ब्यूरो के कितने शाखा कार्यालय पंजाब में खोले गये हैं।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : पंजाब में १९५८-५९ में प्रेस समाचार ब्यूरो का कोई भी शाखा कार्यालय नहीं खोला गया है।

चाय की खेती

†१४८६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में (राज्यावार) कुल कितने और अधिक क्षेत्र में चाय की खेती की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : चाय बागानों से न्यायसंगत जानकारी वित्तीय वर्ष के आधार पर प्राप्त की जाती है। १९५७-५८ में जितने अतिरिक्त क्षेत्र में चाय की खेती की गई उसके बारे में आंकड़े बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४०**]

---

†**मूल अंग्रेजी में**

इंजीनियरी के सामान का निर्यात

†१४८७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में इंजीनियरी के खास-खास कौन से सामान का निर्यात किया गया; और

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). वाणिज्यिक जानकारी तथा सांख्यिकी महानिदेशक द्वारा प्रकाशित सरकारी आंकड़ों में 'इंजीनियरी का सामान' कोई सामान वर्गीकरण नहीं है। यह शब्द बड़ा व्यापक है। भारत से निर्यात की गई प्रत्येक वस्तु के मूल्य के सम्बन्ध में जानकारी 'भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी' में नियमित रूप से प्रकाशित होती है।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

†१४८८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में (राज्य-वार) कुल कितने मैंगनीज अयस्क का निर्यात किया गया; और

(ख) इससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). निर्यात के राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। १९५८ में (जनवरी—नवम्बर) कुल ८,३६,००० टन मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात किया गया जिसका मूल्य १,४११ लाख रुपया था।

रेडियो सेटों का आयात

†१४८९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कितने रेडियो सेटों का आयात किया गया; और

(ख) इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). अक्तूबर १९५७ से रेडियो के वाणिज्यिक आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा है। जनवरी—नवम्बर, १९५८, में वैयक्तिक सामान के रूप में लगभग १,५०० रेडियो सेट आयात किये गये जिनका मूल्य ४ लाख रुपये था।

अमरीका के लिये पारपत्र

†१४९०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में (वर्ष-वार) अमरीका के लिये कितने पारपत्र जारी किये गये; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अमरीका में इस समय कितने भारतीय आप्रवाजी हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पिछले पांचवर्षों में (वर्ष-वार) अमरीका के लिये जितने पारपत्र जारी किये गये उनकी संख्या नीचे दी गई है :–

१९५४	४२५५
१९५५	३९८७
१९५६	५१४१
१९५७	४३३१
१९५८	३६५३

(ख) जून, १९५८ के अन्त तक अनुमान है कि अमरीका में भारती उद्भव के कुल २,९२४ आप्रवाजी थे ।

गोआ-बम्बई स्टीमर सेवा

†१४९१. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** १७ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गोआ और बम्बई के बीच स्टीमर सेवा चलाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : प्रस्ताव विचाराधीन है किन्तु फिलहाल इसके स्वीकार किये जाने की सम्भावना नहीं है ।

बर्मा में भारतीय

†१४९२. { **श्री वी० चं० शर्मा** :
श्री क० उ० परमार :

क्या **प्रधान मंत्री** १७ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बर्मा में भूमि राष्ट्रीयकरण अधिनियम से कितने भारतीय प्रभावित हुये हैं । और जिन्हें जुलाई, १९५८ से ३१ जनवरी, १९५९ के दौरान में प्रतिकर मिल गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा दैवैशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : बर्मा भूमि राष्ट्रीयकरण अधिनियम से कितने भारतीय प्रभावित हुये यह ठीक पता नहीं है । बर्मा की सरकार इस सम्बन्ध में राष्ट्रीयतावार कोई आंकड़े नहीं रखती है ।

अनौपचारिक रूप से इतना पता लगा है कि १ जुलाई, १९५८ से ३१ जनवरी, १९५८ के बीच २९८ भारतीय राष्ट्रजनों के दावे प्राप्त हुये थे जिसके लिये ५,३५,६५९ रुपये की राशि प्रतिकर के रूप में दी गई ।

†मूल अंग्रेजी में

पटसन की बनी वस्तुओं का निर्यात

†१४९३. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में अब तक भारतीय पटसन की बनी वस्तुओं का जापान और मिस्र के साथ कितनी राशि का व्यापार हुआ ;

(ख) क्या व्यापार में कोई कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) मिस्र को जनवरी—नवम्बर, १९५८ में पटसन की बनी २·४ करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया ; उक्त काल में जापान के साथ कुछ भी व्यापार नहीं किया गया ।.

(ख) जी हां, जहां तक मिस्र का संबंध है ।

(ग) मिस्र के संबंध में कोई विशेष कार्यवाही करने पर विचार नहीं किया गया है ।

चूंकि जापान का पटसन की वस्तुयें बनाने का अपना उद्योग मौजूद है, अतः इस देश के साथ पटसन की बनी वस्तुओं का व्यापार करने की कोई संभावना नहीं है ।

उड़ीसा में मध्यम दर्जे की औद्योगिक बस्तियां

†१४९४. **श्री प्र० के० देव : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मध्यम दर्जे की औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी तफसील एवं वे किस-किस स्थान पर स्थापित की जायेंगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). उड़ीसा सरकार का द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पांच औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का विचार है । उनक स्थान और उन पर आने वाली अनुमानित लागत निम्नलिखित है । रूरकेला के लिये स्थापित की जाने वाली बस्ती दरमयाने साइज की होंगी :—

स्थान	लागत
कटक	३३·६९ लाख रुपये
झारसूगुडा	५·९७ लाख रुपये
रूरकेला	१२·४४ लाख रुपये
बरहमपुर	६·१३ लाख रुपये
केन्द्र पाड़ा	४·४७ लाख रुपये
कुल	६२·७० लाख रुपये

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक अनुज्ञप्तियों का दिया जाना

†१४६५. **श्री वें० प० नायर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये यूनिटों को औद्योगिक अनुज्ञप्तियां देने से पहले योजना आयोग से परामर्श ले लिया जाता है ;

(ख) क्या डनलप को मद्रास में एक रबड़ टायर की फैक्ट्री के लिये और टाटा इटली की संयुक्त फर्म को बम्बई में एक टायर की फैक्ट्री प्रारम्भ करने के लिये अनुज्ञप्तियां देने से पहले योजना आयोग की इस बारे में राय ले ली गयी थी ; और

(ग) इन लाइसेन्सों की सिफारिश क्यों की गई ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) जी, नहीं । औद्योगिक यूनिटों को लाइसेन्स देने के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिये औद्योगिक उपक्रम पंजीयन तथा अनुज्ञापन नियमों के खण्ड १० के अधीन नियुक्त की गई अनुज्ञापन समिति में योजना आयोग को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है, और इस सम्बन्ध में योजना आयोग से किन्हीं विशेष महत्वपूर्ण मामलों के बारे में परामर्श कर लिया जाता है ।

(ख) योजना आयोग से विशेष रूप से परामर्श नहीं किया गया था ।

(ग) अनुज्ञापन समिति ने अनुज्ञापनों के लिये इसलिये सिफारिश की थी कि देश में इसकी भावी मांग को पूरा करने के लिये और अधिक क्षमता की आवश्यकता थी । मद्रास में डनलप कारखाना खोलने का एक कारण यह भी था कि दक्षिण में कारखाने की स्थापना से रबर टायर निर्माण उद्योग का और अधिक वितरण हो जायेगा ।

विस्थापित दावेदारों को जारी किये गये लेखा विवरण

†१४६६. **श्री ओंकार लाल** : क्या पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ के अधीन कितने विस्थापित व्यक्तियों को लेखा-विवरण जारी किये जा चुके हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : ३१ जनवरी, १९५९ तक ५१,१५९ लेखा-विवरण जारी किये जा चुके हैं ।

बर्मा को मशीनों तथा संयंत्रों का निर्यात

†१४६७. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बर्मा सरकार ने हाल ही में उस देश में विभिन्न प्रकार की मशीनों और संयंत्रों के आयात के लिये लाइसेन्स जारी किये हैं, भारतीय फर्मों को अपनी वस्तुओं का निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन देने की क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : इस बात की ओर इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद् तथा वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े विभाग के महानिदेशक

†मूल अंग्रेजी में

का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि बर्मा सरकार ने विभिन्न प्रकार की मशीनों के आयात के लिये लाइसेन्स जारी किये हैं। वे इस सम्बन्ध में निर्यातकर्ताओं में उपयुक्त प्रचार करेंगे।

क्यानाइट अयस्क का निर्यात

†१४६८. **श्री सिद्धनंजप्पा :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से क्यानाइट अयस्क का निर्यात बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) १६५७-५८ में उसके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी, हां।

(ख) १६५७-५८ में उस में पहले के वर्ष की अपेक्षा ३२,००० हण्डर्डवेट का अधिक निर्यात हुआ था।

(ग) ८० लाख रुपये।

आन्ध्र प्रदेश में सोडा ऐश फैक्टरी की स्थापना

†१४६६. **श्री मं० वें० कृष्णराव :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में एक सोडा ऐश फैक्ट्री स्थापित करने का कोई प्रताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पकुर क्वेरी (पत्थर की खान) के मजदूर

†१५००. **श्री फ० गो० सेन :**
श्री बर्नन :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पकुर क्वेरी (पत्थर की खान) मजदूर संघ की पिछली मांगों के सम्बन्ध में ८ जुलाई, १६५६ को किये गये करार और २७ जून, ११५७ को हड़ताल समाप्त होने के बाद जो करार किया गया था, उसकी सभी मदों को कार्यान्वित कर दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या पकुर के क्वेरी साइडिंग के विभिन्न प्रबन्धों के अधीन चल रहे ४५ कारखानों में मशीनें चलाने वाले काल के आधार पर रखे गये मजदूरों से अधिक समय काम न लेने के लिये और इस सम्बन्ध में विवादों को ही करने के लिये एक समय पर बजने वाला एक साइरेन लगा दिया गया है ; और

(ग) क्या कोयला खान मजदूर कल्याण निधि के समान ही क्वेरी (पत्थर की खानों) के मजदूरों के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कल्याण के लिये एक पत्थर-खान मजदूर कल्याण निधि भी स्थापित की गई है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) कार्य घंटों को नियमित करने के लिये गोपालपुर खान में एक साइरेन लगा दिया गया है । एक और कारखानें में एक सीटी लगा दी गई है । शेष सभी केन्द्रों में घण्टियां लगा दी गयीं हैं ताकि सभी मजदूर समय के सम्बन्ध में मिलने वाले संकेतों को सुन सकें ।

(ग) जी, नहीं ।

मद्रास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के विशेषज्ञ

†१५०१. **श्री केशव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसके कहने पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के परिवहन उत्पादितर विशेषज्ञ की सेवायें मद्रास को उपलब्ध की गई हैं ; और

(ख) क्या वह विशेषज्ञ मैसूर राज्य के लिये कुछ समय दे सकेंगे ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) मद्रास सरकार की प्रार्थना पर।

(ख) मैसूर सरकार से अभी तक कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

पाकिस्तान से आने वाले तथा वहां जाने वाले यात्री

†१५०२. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से कितने-कितने पाकिस्तानी राष्ट्र-जन भारत आये थे ; और

(ख) उक्त अवधि में भारत से कितने-कितने भारतीय राष्ट्रजन पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान गये थे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) १९५८ में पूर्वी पाकिस्तान से *६,४५,७४२ और पश्चिमी पाकिस्तान से ६१,३५३ पाकिस्तानी राष्ट्रजन भारत आये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*इसमें वे पाकिस्तानी सम्मिलित नहीं हैं जो १-११-५८ से ३१-१२-५८ तक आसाम आये ।

(ख) उक्त अवधि में *२,२२,८९६ भारतीय राष्ट्रजन पूर्वी पाकिस्तान गये थे और ८८,३४६ भारतीय राष्ट्रजन पश्चिमी पाकिस्तान गये थे ।

केल्शियम कार्बाइड

†१५०३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कैल्शियम कार्बाइड का उत्पादन देश की आन्तरिक मांग की अपेक्षा बहुत कम हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गयी है या करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी, हां ।

(ख) वर्तमान यूनिटों के विस्तार तथा नये यूनिटों की स्थापना के रूप में अधिक क्षमता के लिए लाइसेन्स देकर देश का उत्पादन बढ़ाने की कार्यवाही की गयी है ।

दिल्ली और नई दिल्ली में मूर्तियों का लगाया जाना

†१५०४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और नई दिल्ली में उपयुक्त स्थानों पर मूर्तियां लगाने के प्रश्न के सम्बन्ध में इस समय क्या स्थिति है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी) :** राजधानी में मूर्तियां लगाने से सम्बन्ध रखने वाली मंत्रणा समिति इस सम्बन्ध में भारत सरकार को कोई सिफारिशें नहीं भेज सकी है क्योंकि उनके पास अभी तक जो सुझाव आये हैं, या तो उनके साथ उन पर आने वाले खर्च का प्रस्ताव नहीं भेजा गया है अथवा उन्हें प्रस्तावकों ने वापिस ले लिया है ।

जापान से व्यापार

†१५०५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५८-५९ में जापान को भारतीय वस्तुओं के निर्यात में १९५७-५८ की अपेक्षा कोई वृद्धि हुई है ; और

†मूल अंग्रेजी में

*इसमें वे भारतीय सम्मिलित नहीं हैं जो १-११-५८ से ३१-१२-५८ तक आसाम से पाकिस्तान गये थे ।

(ख) क्या १९५८-५९ में जापान से भारत को आने वाली वस्तुओं में १९५७-५८ की अपेक्षा कमी हो गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) और (ख). पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें १९५७-५८ और १९५८-५९ (अप्रैल—नवम्बर १९५८ तक) भारत और जापान के बीच वस्तुओं के आयात और निर्यात के आंकड़े निहित हैं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४१]**

मोटर परिवहन सम्बन्धी मजदूरों के लिये विधान

†१५०६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री कोडियान :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ११ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मोटर परिवहन सम्बन्धी मजदूरों के कार्य की शर्तों को नियमित बनाने के लिये एक विधान बनाने का प्रश्न इस समय किस स्थिति में है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** केन्द्रीय सरकार अभी तक मोटर परिवहन सम्बन्धी मजदूरों के कार्य, समय और उन्हें ओवर टाइम के लिये अदायगी के प्रश्नों पर विचार कर रही है ।

विभाजन समिति

†१५०७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **प्रधान मंत्री** १७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन मामलों पर विचार करने के लिये जिन के सम्बन्ध में अभी तक फैसला नहीं हो सका है, पश्चिमी पाकिस्तान और पंजाब की सरकारों की विभाजन समिति की कोई और बैठक हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन किन मामलों के सम्बन्ध में फैसला हो गया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, नहीं । उसके बाद विभाजन समिति की कोई बैठक नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बोरियों की खरीद

†१५०८. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य विभाग में नवम्बर या दिसम्बर, १९५८ में बोरियां खरीदी थीं ; और

(ख) क्या उनके लिये भारतीय पटसन मिल सन्था द्वारा निर्धारित कीमत से कम कीमत दी गयी थी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) संभरण तथा निपटान के महानिदेशक ने खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के खाद्य विभाग की ओर से ६ दिसम्बर, १९५८ को १३३·४२ लाख रुपयों की कीमत की बी० ट्विल पटसन की बोरियों की ४६,४०० गाठें खरीदी थीं जिनमें १,३९,२०,००० बोरियां थीं।

(ख) वे बोरियां भारतीय पटसन मिल सन्था द्वारा निर्धारित कीमत से कम कीमत पर खरीदी गयी थीं ।

"भारत १९५८" प्रदर्शनी

†१५०९. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'भारत १९५८' प्रदर्शनी के लिये कोटिवार कितने नये व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था और उनके वेतन क्रम क्या-क्या था (दैनिक आधार पर रखे गये मजदूरों सहित) ; और

(ख) क्या उनमें से कुछ स्थान स्थायी बना दिये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४२]**

(ख) जी, नहीं ।

पंजाब में हथकरघा सहकारी समितियां

†१५१०. **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में जिलावार कुल कितनी हथकरघा बुनाई सहकारी समितियां हैं ;

(ख) क्या बुनकरों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है और, यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सभी बुनकरों को सहकारी समितियों के अन्तर्गत लाने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) ३१ दिसम्बर, १९५८ को केवल ५८८ समितियां थीं । जिलावार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) जी हां । राज्य सरकार ने सूचना दी है कि सर्वेक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रकाशित कर दी जायेगी ।

(ग) जो बुनकर समितियों से अभी बाहिर हैं, उन्हें समझाया जा रहा है कि वे सहकारी समितियों में सम्मिलित हो जायें या वे अपनी अलग सहकारी समितियां बना लें । प्रोत्साहनात्मक कार्यवाही के रूप में, अंश-पूंजी में अंश देने तथा सामान आदि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता की शक्ल में ऋण और अनुदान दिये जाते हैं ।

दिल्ली में श्रमिक कल्याण विभाग

१५११. श्री नवल प्रभाकर : क्या श्रम तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक श्रमिक कल्याण विभाग स्थापित नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके कब तक स्थापित होने की आशा है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) . (क) से (ग). एक पूरे समय के श्रम कल्याण अफसर के अधीन उद्योग और श्रम विभाग में एक श्रम कल्याण अनुभाग १-७-१९५७ से काम कर रहा है ।

बटाला में औद्योगिक बस्ती

†**१५१२. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १७ नवम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि गुरदासपुर जिले के बटाला नामक स्थान पर औद्योगिक बस्ती के लिये इमारतें तैयार करने के काम में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** लगभग ३० एकड़ भूमि का प्लाट उसके लिये चुन लिया गया है और उसकी प्राप्ति के लिये राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है । आशा है कि इमारतों, सड़कों तथा नालियों आदि का निर्माण कार्य १९५९-६० में प्रारम्भ किया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

†१५१३. **श्री पाणिग्रही : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने किराया क्रम के आधार पर मशीनरी संभरित करने की योजना के अधीन उड़ीसा के छोटे उद्योगों के आवेदन पत्रों को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के कितने आवेदन पत्र आये थे और उनमें से कितने स्वीकार किये गये हैं ; और

(ग) क्या उड़ीसा के लघु उद्योगों को मशीनरी संभरित कर दी गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग ७.७६ लाख रुपयों की कीमत की ४७ मशीनों के लिये १० आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे उनमें से ७ आवेदन पत्र जिनमें ४२ मशीनें मांगी गई थीं या तो धन के वसूल न होने पर अस्वीकृत कर दिये गये हैं, अथवा स्वीकृत होने के बाद आवेदन कर्ताओं द्वारा वापिस ले लिये गये हैं। अतः केवल तीन आवेदन पत्र अन्तिम रूप से स्वीकार किये गये हैं जिनमें २,०५,१२० रुपयों की ५ मशीनें मांगी गई हैं ।

(ग) ३ मशीनों के लिये आर्डर दे दिये गये थे, जिन में से २ मशीनें दी जा चुकी हैं । शेष के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

मनीपुर में सहकारी समितियां

†१५१४. **श्री ले० अचौ सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में हाथ से चावल कूटने की कितनी पंजीबद्ध सहकारी समितियां हैं ;

(ख) १९५८ में मनीपुर प्रशासन द्वारा इस प्रकार की कितनी समितियों को ऋण दिये गये थे ; और

(ग) किसी भी सहकारी समिति को अभी तक सब से अधिक कितना ऋण दिया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) २२ ।

(ख) किसी को भी नहीं ।

(ग) १९५६-५७ में २३,८७५ रुपये ।

नेपाल जाने वाले यात्री

१५१५. **श्री विभूति मिश्र : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शिवरात्रि के अवसर पर नैपाल जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिये प्रथमोपचार आदि का प्रबन्ध करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो किस मात्रा में और कब से ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). हमेशा की तरह, बिहार सरकार ने शिवरात्रि के अवसर पर नेपाल जाने वाले भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिये रक्सौल में हैज़े के टीके लगाने का इन्तज़ाम कर दिया है, रक्सौल वह स्थान है जहां तीर्थयात्री भारतीय सीमा को पार करते हैं। इस के अलावा, बिहार सरकार ने इस साल रक्सौल में एक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र (फ़र्स्ट एड पोस्ट) भी स्थापित कर दिया है। ये इन्तज़ाम १ मार्च, १९५९ से कर दिये गये हैं।

व्यवसाय सम्बन्धी पुस्तिकायें

†१५१६. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई व्यवसाय सम्बंधी पुस्तिकायें प्रकाशित की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कितनी संख्या है ;

(ग) उन्हें किस-किस भाषा में प्रकाशित कराया गया है ; और

(घ) उनका वितरण किस प्रकार से किया गया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी, हां।

(ख) ५१।

(ग) ५१ अंग्रेज़ी में। उनमें से ३६ का हिन्दी में और १९ का उड़िया में अनुवाद किया गया है।

(घ) सभी सरकारी पुस्तक विक्रेताओं और काम दिलाऊ दफ्तरों में उनकी प्रतियां कीमत पर मिल सकती हैं। वे प्रदर्शनियों, मेलों और सम्मेलनों के अवसरों पर भी बिक्री के लिये रखी जाती हैं। दो प्रतियां राष्ट्रीय रोज़गार सेवा के राज्य निदेशकों द्वारा हाई स्कूलों को उपहार के रूप में दी जाती हैं।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम

†१५१७. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा १४ के उल्लंघन के कितने मामलों का पता लगा था ; और

(ख) उनमें से कितनों के सम्बन्ध में दण्ड दिया गया है ?

†**श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). योजना के आरम्भ से ३१ जनवरी, १९५९ तक उल्लंघनों तथा दण्ड दिये गये मामलों की संख्या निम्नलिखित है :—

(१) उल्लंघन—१५०९ मामले

(२) जितने मामलों के सम्बन्ध में दण्ड दिया गया है—५५३

केवल १९५८ के सम्बन्ध में आंकड़े अलग रूप से इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

†मूल अंग्रेजी में

सिन्दरी फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†१५१८. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब से सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड में उत्पादन प्रारम्भ हुआ है, तब से लेकर अब तक कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** ३१ दिसम्बर, १९५८ तक सिन्दरी में उत्पादन प्रारम्भ हो जाने के परिणामस्वरूप लगभग ६० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ।

'टुंगस्टेन कार्बाइड' का निर्माण

†१५१९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'टुंगस्टेन कार्बाइड' के निर्माण के सम्बन्ध में गैर-सरकारी क्षेत्र से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग में कौन-कौन सी फर्में रुचि ले रही हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) से (ग). 'टुंगस्टेन कार्बाइड' के निर्माण के सम्बन्ध में कई लोगों ने पूछताछ की है। परन्तु अभी तक कोई ठोस प्रस्थापना प्राप्त नहीं हुई है और इसलिये कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

पश्चिमी बंगाल में रोजगार

†१५२०. **श्रीमती रेनु चक्रवर्ती :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५८ में पश्चिमी बंगाल में रोजगार की स्थिति सुधर नहीं सकी है ;

(ख) उक्त अवधि में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में कुल कितने रिक्त स्थानों के सम्बन्ध में विज्ञापन प्रकाशित कराये गये थे ;

(ग) कितने औद्योगिक केन्द्र बन्द हो गये थे ;

(घ) राष्ट्रीयकरण अथवा केन्द्रों के बन्द हो जाने से कितने व्यक्तियों को अतिरिक्त घोषित किया गया था अथवा उन्हें काम से निकाल दिया गया था ; और

(ङ) क्या यह सच है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में नये स्थान बहुत कम संख्या में बन रहे हैं ?

†**श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई है ।

(ख) सरकारी क्षेत्र में—२०,८३८
गैर-सरकारी क्षेत्र में—५,३१७

(ग) यह रिपोर्ट मिली है कि पटसन की चार मिलें बन्द हो गयी थीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) सभी अतिरिक्त व्यक्तियों को अन्य मिलों में काम पर लगा दिया गया था। उनकी संख्या का पता नहीं लग सका है।

(ङ) कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है।

पश्चिमी बंगाल में शिक्षित लोगों में बेरोजगारी

†१५२१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में बेरोज़गार शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है;

(ख) शिक्षित लोगों में बेरोज़गारी को कम करने के लिये सरकार द्वारा चलायी गयी योजनाओं का क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या किसी और योजना पर भी विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या-क्या हैं?

†**श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) राज्य में सभी शिक्षित बेकारों की संख्या तो ज्ञात नहीं है। १९५८ में काम दिलाऊ दफ्तरों में ४,२२६ व्यक्तियों ने अपने नाम रजिस्टर कराये थे। (वे मैट्रिक पास तथा उससे उच्च प्राप्त व्यक्ति थे)

(ख) उन योजनाओं का क्या-क्या प्रभाव पड़ा है, यह तो ज्ञात नहीं है, परन्तु पश्चिमी बंगाल में १८८ व्यक्तियों को बेरोज़गार शिक्षित के अग्रिम कार्य तथा ओरिअेन्टेशन सेन्टर में प्रशिक्षण दिया गया है और १४७ व्यक्ति अब प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) (१) एक पुनरीक्षित योजना के अधीन वर्क एण्ड ओरियेन्टेशन सेन्टर स्थापित करना।

(२) सामान परिवहन सहकारी समितियां स्थापित करना।

(३) एक शिशिक्षा प्रशिक्षण योजना।

धर्मनगर (त्रिपुरा) में उद्योग

†१५२२. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार त्रिपुरा के धर्मनगर में कच्चे सामान की उपलब्धि के आधार पर उद्योग प्रारम्भ करने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो कब और कौन-कौन सा उद्योग?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) जी, हां।

(ख) कच्चे सामान की स्थानीय उपलब्धि के आधार पर त्रिपुरा प्रशासन क्षेत्र से उद्योग चलाने की संभावनाओं की खोज करने के लिये वहां पर एक सर्वेक्षण करने का विचार है। वहां पर फिलहाल एक गूदे की मिल और एक चीनी की छोटी सी मिल

†मूल अंग्रेजी में

स्थापित करने का विचार है। इन योजनाओं को तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जायेगा।

ग्राम्य उद्योगीकरण योजना

†१५२३. { **श्री बोडयार :**
पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में ग्राम्य क्षेत्र में कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास के लिये राज्यों को कितनी राशि आवंटित की गयी है ; और

(ख) अभी तक प्रत्येक राज्य कितनी राशि खर्च कर चुका है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें बताया गया है कि १९५८–५९ में कुटीर तथा लघु उद्योगों के लिये प्रत्येक राज्य को प्रत्येक उद्योग के लिये कितनी कितनी राशि आवंटित की गयी थी **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४३]** ग्राम्य क्षेत्र के लिये मुख्य रूप से खादी (पुराने ढंग से तथा अम्बर चरखे से) उद्योग, ग्रामोद्योग, हथकरघे, दस्तकारियों, रेशम के कीड़े पालने तथा नारियल जटा उद्योग का विकास किया जायेगा। छोटे उद्योगों और हथकरघों से सम्बन्ध रखने के वाली योजनाएं शहरों और ग्रामों दोनों में चलायी जा रही हैं।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४३]**

दिल्ली में काम दिलाऊ दफ्तर

†१५२४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में इस समय काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने बेकार बी० ए०, एफ० ए० तथा मैट्रिक पास लोग रजिस्टर हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** जानकारी निम्नलिखित है :—

वर्ग	३१ दिसम्बर, १९५८ को रजिस्टर में जितने लोगों के नाम रजिस्टर थे।
बी०ए० पास	४,०३४
इन्टर पास	२,४१३
मैट्रिक पास	१६,२३३
कुल	२२,६८०

†मूल अंग्रेजी में

बिड़ला ब्रादर्स की मिलें

†१५२५. **श्री सिंहासन सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत या विदेशों में बिड़ला ब्रादर्स की या उनके द्वारा प्रबन्धित कितनी मिलें हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** समवाय विधि प्रशासन विभाग संयुक्त स्टाक समवायों का रिकार्ड रखता है परन्तु व्यापारी, निर्माणकर्त्ता या अन्य इकाइयों का, उसे विधि की दृष्टि से समवाय है, कोई पृथक नामावलि नहीं रखता । विभाग समवायों पर प्रबन्ध नियन्त्रण की जानकारी रखता है । परन्तु यह नहीं बता सकता कि इन समवायों का कितना स्वामित्व दल विशेष गुट का है ।

तत्कालीन विभाग की जानकारी से विदित होता है कि इस गुट में तीन आगामी प्रबन्ध एजेन्सी समवाय, अर्थात, 'बिड़ला ब्रादर्स प्राइवेट लिमिटेड', 'काटन एजेन्टस प्राइवेट लिमिटेड' और 'बिड़ला ग्वालियर प्राइवेट लिमिटेड' कदाचित जिनका उल्लेख माननीय सदस्य बिड़ला ब्रादर्स के रूप में किया है, २३ सहायक समवायों सहित ५२ समवायों का आपस में प्रबन्ध करते हैं । इनमें से तीन समवाय विदेशों में काम कर रहे हैं ।

भारतीय श्रम सम्मेलन

†१५२६. **श्री मोहम्मद इलियास :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे उद्योग तथा उपक्रम कौन-कौन हैं जिनमें भारतीय श्रम सम्मेलन के १५वें सत्र की न्यूनतम मजूरी संबंधी सिफारिशें कार्यान्वित हो गई हैं ?

†**श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली) :** राज्य सरकारों को सिफारिशों के बारे में बताया गया था । राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही की कोई सूचना नहीं मिली है ।

आस्ट्रेलिया के साथ व्यापारान्तर

†१५२७. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में आस्ट्रेलिया के साथ व्यापारान्तर क्या था ,

(ख) १९५८ में आस्ट्रेलिया को जूट, जूट-वस्तुओं और वस्त्र का निर्यात बढ़ गया है ; और

(ग) यदि नहीं तो इस बारे में क्या प्रयास किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) से (ग). दो विवरण संलग्न हैं । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४५]**

कनाडा के साथ व्यापारान्तर

†१५२८. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८–५९ में कनाडा के साथ क्या व्यापारान्तर रहा है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उस देश को जूट, जूट-वस्तुओं और सूती वस्त्र का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) अप्रैल—नवम्बर १९५८ में जिसके अन्तिम आंकड़े उपलब्ध हैं कनाडा के साथ व्यापारान्तर दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४६ (संख्या १)]** ।

(ख) साधारण निर्यात वृद्धि उपायों के अतिरिक्त, कनाडा को भारतीय जूट वस्तुओं तथा सूती वस्त्र का निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ विशेष कार्यवाही की गई है। संलग्न विवरण में उनका उल्लेख है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४६ (संख्या २)]**

काफी बोर्ड के कर्मचारियों को पी० टी० ओ० रियायत

†१५२९. **श्री संगण्णा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने काफी बोर्ड के कर्मचारियों को पी० टी० ओ० रियायत दी है;

(ख) क्या इंडिया काफी हाउसों और डिपों के कर्मचारी इन रियायतों के अधिकारी हैं; और

(ग) यदि नहीं तो क्यों।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) काफी बोर्ड ने सरकार की अनुमति से अपने कर्मचारियों को पी० टी० ओ० रियायतें दी हैं।

(ख) पूल डिपों तथा पाउडर वितरण केन्द्रों के कर्मचारी इस रियायत के अधिकारी हैं। काफी हाउस के कर्मचारी इस रियायत के अधिकारी नहीं है।

(ग) काफी हाउसों के कर्मचारियों को 'औद्योगिक कर्मचारी' माना जाता है एवं जिस प्रकार सरकार ने अपने 'औद्योगिक कर्मचारियों' को यह रियायत नहीं दी है उसी प्रकार काफी बोर्ड ने भी नहीं दी है।

१९५६ का औद्योगिक नीति संकल्प

†१५३०. **श्री बिमल घोष :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५६ के औद्योगिक नीति संकल्प में उल्लिखित सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्रों के नये उद्योगों का विकास पूर्णतया नियमित रूप से हो रहा है; और

(ख) यदि नहीं तो, इसका उल्लंघन कहां कहां हुआ है तथा उसके क्या कारण हैं?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

फ्रांसीसी प्रलेखीय चलचित्र

†१५३१. **श्री हाल्दर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस फ्रांसीसी प्रलेखीय चलचित्र की ओर आकर्षित किया गया है जो १४, १८ और २० दिसम्बर, १९५८ को पैरिस के 'प्लेयल सिनेमा हाल' में दिखाया गया था तथा जिस में बंगाल की धार्मिक प्रथाओं को बदनाम किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) :** (क) तथा (ख). पैरिस स्थित भारतीय राजदूतालय ने, जिसे उक्त चित्र (Splendeur Des Rites Religieus) देखने के लिये निमंत्रित किया गया था, कहा है कि चित्र आपत्तिजनक नहीं है। इसके अतिरिक्त चित्र का एक भाग भारत के लिये बहुत ही अच्छा समझा गया।

विस्थापित व्यक्तियों के बाजारों तथा बस्तियों की भूमि

†१५३२. **राजा महेन्द्र प्रताप :** क्या **पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य में सरकार द्वारा निर्मित विस्थापित व्यक्तियों के प्रत्येक बाजार या बस्ती की भूमि का प्रति वर्ग गज़ क्रम मूल्य क्या था एवं प्रत्येक राज्य में विस्थापित व्यक्तियों के बाज़ार या वस्ती में प्रयोग हुई उसी भूमि का प्रति वर्ग गज़ कितना मूल्य पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों से लिया जा रहा है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य में सरकार द्वारा निर्मित विस्थापित व्यक्तियों के बाज़ार या बस्तियों तथा भारत में निष्क्रान्त सम्पत्ति का कितना वार्षिक किराया भारत सरकार पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों से ले चुकी है ?

†**पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) तथा (ख). भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग २ लाख एकक बनाये गये। नगरीय निष्क्रान्त सम्पत्तियां लगभग २,८५,००० हैं। जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है तथा यह समझा जाता है कि इसके एकत्रित करने में जो समय व श्रम लगेगा उसके अनुसार परिणाम प्राप्त न होंगे। यदि किसी विशिष्ट बाजार या बस्ती के बारे में जानकारी मांगी जाये तो उसकी प्राप्ति का प्रयत्न किया जायेगा।

अफगानिस्तान को भारतीय वस्तुओं का निर्यात

†१५३३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७-५८ की अपेक्षा १९५८-५९ में अब तक अफगानिस्तान को भारतीय वस्तुओं के निर्यात में कोई सुधार हुआ है ; और

(ख) क्या १९५८-५९ में अफगानिस्तान से निर्यात कम हो गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: (क) तथा (ख). १९५७–५८ और १९५८–५९ (अप्रैल-नवम्बर) में अफगानिस्तान को हमारे निर्यात तथा वहां से आयात दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४७]

नंगल फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड

†**१५३४. श्री दलजीत सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नंगल फर्टीलाइज़रस् एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड में कितने नियमित कुशल तथा अकुशल कर्मचारी हैं ;

(ख) उनमें से कितने निकाले जायेंगे; और

(ग) उनमें अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्ति हैं।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) कुशल ३४३

अकुशल ४८८

(ख)	कुशल	८७
	अकुशल	२१८
(ग)	कुशल	९
	अकुशल . . .	९२

कपड़ा मिल, खरगोन

१५३५. श्री राम सिंह भाई : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला निमाड़ के खरगोन नामक स्थान में एक कपड़ा मिल स्थापित करने का निश्चय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कौन-सा स्थान चुना गया है ; और

(ग) मिल का कार्य कब से आरम्भ होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग). एक विवरण साथ में नत्थी है।

विवरण

(क) और (ख). १९५६ में दिये जाने के लिये बहुत ही थोड़े तकुये उपलब्ध थे। सरकार की नीति के अनुसार मिलों को ये तकुये निम्नलिखित प्राथमिकता के आधार पर दिये गये :—

(१) पुनर्वास मंत्रालय या राज्य सरकारों द्वारा चलाई गयी शरणार्थी पुनर्वास की योजनायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) सहकारी समितियों या राज्य सरकारों द्वारा सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले कताई मिल जिनसे उचित दरों पर हथकरघा उद्योग को सूत दिया जा सके।

मध्य प्रदेश (तत्कालीन मध्य भारत) सरकार ने सरकारी क्षेत्र में एक कताई मिल स्थापित करने की योजना पेश की थी जिससे उचित दरों पर हथकरघा उद्योग को सूत दिया जा सके। इस योजना पर योजना आयोग न स्वीकृति दे दी थी। तदनुसार, मध्य प्रदेश की सरकार का २५ मई, १९५७ को एक लाइसेंस दे दिया गया था। राज्य सरकार ने यह मिल पश्चिमी नीमाड़ जिले के सनावद नामक स्थान पर स्थापित करने का निश्चय किया है।

(ग) इस मिल की स्थापना के लिये निम्न कदम उठाये जा चुके हैं :—

(१) आवश्यक वित्त जुटाने की व्यवस्था की जा चुकी है ;

(२) ८.१८ लाख रु० के मूल्य की आवश्यक टैक्सटाइल मशीनों के अस्थायी आर्डर दिये जा चुके हैं ; और

(३) शैल्पिक और प्रशासकीय स्थानों की स्वीकृति दी जा चुकी है और इन पर नियुक्तियां करने का काम चल रहा है।

आशा है कि यह मिल दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि समाप्त होने तक चालू हो जायेगा।

पाकिस्तान से डाकुओं के हमले

१५३६. **श्री सरजू पांडे : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जमाल सिंह नाम का डाकू जिसने १९५३ में पाकिस्तान में शरण ली थी; भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर प्रायः हमले करता रहता है ;

(ख) क्या जमाल सिंह के गिरोह के डाकू विजय सिंह ने फरवरी मास में जैसलमेर के उधानियां नामक ग्राम पर हमला किया था; और

(ग) यदि हां, तो डाकुओं के इन उत्पातों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जमाल सिंह और उसके गिरोह के डाकुओं ने समय-समय पर पाकिस्तान में अपने स्थान से आकर भारतीय प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों पर धावे किये हैं।

(ख) राजस्थान सरकार से एक रिपोर्ट मिली है कि तीन हथियारबंद डाकुओं ने १२ फरवरी १९५९ को जैसलमेर के थाना पोकरन के ओधनिया गांव पर धावा किया और वे पश्चिम पाकिस्तान को लौट गये। इस घटना का विवरण मांगा गया है।

(ग) इन डाकुओं को पकड़ने के प्रश्न पर पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ लिखा-पढ़ी की गयी है। राजस्थान और पश्चिम पाकिस्तान के सीमांत अधिकारियों की सामयिक मीटिंगों में

---

†मूल अंग्रेज़ी में

इस विषय पर बातचीत भी की जाती है। सीमांत क्षेत्रों के स्थानीय अधिकारियों में सहयोग होने से ही डाकुओं के खिलाफ प्रभावकारी कार्रवाई की जा सकती है ।

बर्मा को बोरियों का निर्यात

†१५३७. **श्री सिद्धनंजप्पा :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा को भारतीय बोरियों के निर्यात में कमी होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) विशेषकर बर्मा में जूट उद्योग के विकास के कारण ।

कपास का आयात

†१५३८. **श्री सिद्धनंजप्पा :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुलभ चलार्थ क्षेत्रों से कपास के आयात का काल बढ़ा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख तक तथा किस किस्म की कपास पर इसका प्रभाव पड़ा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) हां, श्रीमान् । दो मामलों में नौवहन-काल बढ़ाया गया था ।

(ख) प्रथम बार नौहवहन-काल ३१ अक्टूबर, १९५८ से ३१ जनवरी, १९५९ तक और द्वितीय बार ३१ जनवरी, १९५९ से ३१ मार्च, १९५९ तक बढ़ाया गया है। आयात होने वाली कपास की किस्में रेशेवार[1] १–३/१६ "तथा अधिक एवं १–१/१६" तथा अधिक ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बंगलौर

†१५४०. **श्री मुरारका :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड में अब तक विभिन्न प्रकार के कुल कितनी खराद की मशीनें बनाई गई हैं ;

(ख) विगत बारह मासों का मासिक उत्पादन कितना था; और

(ग) उत्पादन-लागत प्रति इकाई क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Stapling

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) आयरलिकोन डिज़ाइन की ६६६ खराद की मशीनें। (इस में १३ खराद की वे मशीनें भी सम्मिलित हैं जिनके भागों का आयात किया गया था)

(ख) १९५८	खराद की मशीनें
फरवरी	३४
मार्च	२२
अप्रैल	३०
मई	३०
जून	२५
जुलाई	२५
अगस्त	१५
सितम्बर	१५
अक्टूबर	१०
नवम्बर	—
दिसम्बर	२५
जनवरी १९५९	३०

(ग) खेद है कि वाणिज्यिक उपक्रम की उत्पादन-लागत बताना उचित नहीं है। परन्तु आयरलिकोन टाइप की खराद की मशीनों का विक्रय मूल्य आरम्भ से आज तक निम्न है :

वर्ष	हिन्दुस्तान एच-२२ (बाह्य-कारखाना मूल्य)	
	१००० एम० एम०	१५०० एम० एम०
	रु०	रु०
१९५५	४२,०००	४१,०००
१९५६	३९,०००	४१,०००
१९५७	३६,०००	३८,०००
१९५८	२९,५००	३५,०००

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली

†१५४१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने खादी तथा ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों की मांगों पर खादी ग्रामोद्योग भवन के प्राधिकारियों के साथ मिल कर विचार किया है ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया ; और

(ग) यदि (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो, उसे इस मामले में निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) मांगें अभी विचाराधीन हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) यथा शीघ्र निर्णय किया जायेगा ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

†१५४२. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन रोगी को अस्पताल में रखने की क्या व्यवस्था है ;

(ख) जिन लोगों ने बीमा करा लिया है उनकी तथा उनके परिवारों की आवश्यकता पूर्ति के लिये न्यूनतम कितने बिस्तरों की आवश्यकता होगी ; और

(ग) पंजाब में अब तक बीमा प्राप्त मज़दूरों के परिवारों की चिकित्सा-आवश्यकताओं पर कितना व्यय हुआ है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) विद्यमान अस्पतालों में अब तक २९ बिस्तर[1] रक्षित हैं । बीमा-प्राप्त व्यक्तियों को अरक्षित बिस्तर भी उपलब्ध हैं ।

(ख) बीमा-प्राप्त व्यक्तियों के लिये ५१ साधारण बिस्तर तथा ३७ क्षय रोग बिस्तर । परिवारों को योजना के अधीन बाहरी चिकित्सा तथा घरेलू दाई सेवा मिलती है ।

(ग) व्यय के आंकड़े अभी एकत्रित नहीं किये गये हैं क्योंकि परिवारों को चिकित्सा-सुविधा १-११-५८ से ही दी गई है ।

पंजाब में योजना प्रचार

†१५४३. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९ में पंजाब में योजना प्रचार के लिये कितना धन मंजूर किया गया ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** योजना आयोग ने राज्य के आय व्ययक में १९५८-५९ में योजना प्रचार के लिये ६ लाख रु० मंजूर किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Beds.

प्रधान मंत्री सहायता कोष

१५४४. श्री यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "लोक-नृत्यों की रामायण" के लिये प्रधान मंत्री के सहायता कोष से कुछ राशि दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि दी गई ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) तथा (ख). नई दिल्ली के भारतीय कला केन्द्र को रामलीला नृत्य-नाट्य (बेले) का प्रदर्शन करने के लिये, "प्रधान मंत्री कोष—लोक कला उत्थान" (प्राइम मिनिस्टर्स फ़ंड—प्रामोशन आफ़ फ़ोक आर्ट) से (प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से नहीं) ५०,००० रुपये की राशि दी गई थी । यह रकम अगस्त १९५७ और जुलाई १९५८ में पच्चीस-पच्चीस हज़ार रुपयों की दो किस्तों में दी गई थी ।

उद्योगों की लागत

†१५४५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री बिमल घोष :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश के कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों की लागत की जांच करने के लिए अध्ययन-दल नियुक्त करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कितने दल नियुक्त हुए हैं तथा महत्व पूर्ण उद्योग कौन कौन से हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) तथा (ख). हां, श्रीमान् सरकार भारत में कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों की लागत की जांच करने के लिए तीन या चार अध्ययन-दल नियुक्त करने का विचार कर रही है । योजना आयोग के साथ मिल कर तफसील तैयार की जा रही है ।

स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में

अमेरिका-पाकिस्तान प्रतिरक्षा संधि

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : मैं अपने स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहता हूं । आपने कहा कि यह एक लगातार चलने वाला मामला है । परन्तु मेरा विचार यह है कि अब इस में कुछ नई बातें भी सम्मिलित हो गई हैं । पहले केवल गोली चलाने तक ही बात सीमित थी किन्तु अब मारपीट, सम्पति की लूट और प्रदेश के अतिक्रमण की घटनायें भी होने लगी हैं । इसलिये इस मामले को लगातार चले आने वाली बात कह कर उसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** समस्या यह है कि सीमान्त का उपद्रव अनेक रूप धारण कर रहा है, कभी गोली चलाई जाती है तो कभी मार पीट होती है । कई बार यहां इस प्रश्न की चर्चा हुई है । माननीय सदस्य इस विषय में और सारी जानकारी इकट्ठी कर लें और फिर वह सामान्य चर्चा में उसका उल्लेख कर सकते हैं । वरना यहां इस विषय पर रोज स्थगन प्रस्ताव आयेंगे । मैं इस स्थगन प्रस्ताव के रखने की अनुमति नहीं देता हूं ।

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : मैं ने अमेरिका की पाकिस्तान के साथ हुई संधि के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं चाहती हूं कि उसे स्थगन प्रस्ताव तो न समझा जाए, लेकिन साथ ही यह जरूर है कि यह विषय इतना महत्वपूर्ण है कि अन्य कार्यवाही छोड़ कर सभा को इस पर विचार करना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इस की अनुमति नहीं दी है। इस विषय पर चर्चा करने के अन्य उपाय हैं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : मेरा निवेदन है कि इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता। वैसे मैं इस विषय पर एक वक्तव्य देने की अनुमति चाहता हूं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यदि प्रधान मंत्री वक्तव्य दे दें तो मैं अपना स्थगन प्रस्ताव वापस ले लूंगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या प्रधान मंत्री अपना वक्तव्य अभी दे सकते हैं ?

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : हां, श्रीमान्।

सयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान की सरकारों के बीच लम्बी वार्ता के पश्चात् हुई एक नई सैनिक संधि के समाचार से सदस्यों को जो चिन्ता हो रही है उसको मैं भली प्रकार समझता हूं। यह विषय गत कुछ सप्ताहों से अनेक रूपों में हमारे सामने रहा है। वास्तव में गत जुलाई में इराक में हुई क्रांति के परिणाम स्वरूप ही यह प्रश्न बगदाद संधि के देशों के समक्ष उत्पन्न हुआ। उन्होंने देखा कि बगदाद के संधि से निकल जाने से इस संधि को बहुत धक्का लगा है और मैं समझता हूं इसी से उन्होंने लंदन में बैठकें कीं। उसके तुरन्त पश्चात् यह निश्चय किये गये कि बगदाद संधि के स्थान पर द्विपक्षीय संधियां की जायें। स्वभावतः हमें चिन्ता उत्पन्न हुई और हम ने उनकी गतिविधि पर दृष्टि रखी यद्यपि हम उस बात चीत में सम्मिलित नहीं थे। संसार के समाचार पत्रों में उसके संबंध में अनेक प्रकार के नए समाचार प्रकाशित हुए जिस के कारण हमने अमेरिका से अनेक अवसरों पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है और हमें यह आश्वासन दिया गया कि यह कार्यवाही तो पिछले वायदों को पूरा करने के लिए की जा रही है और किसी विशेष अथवा नई सैनिक सहायता का कोई प्रश्न नहीं है और भारत के विरुद्ध तो वह निश्चय ही नहीं है और वह बगदाद संधि के पूर्व प्रयोजन तक ही सीमित है। जहां तक हमारा संबंध है हमें बगदाद संधि से कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वास्तव में हम कोई भी सैनिक संधि पसंद नहीं करते, विशेषकर ऐसी संधि जिस से हमारी सुरक्षा पर असर पड़ता हो। हम उसे पसंद नहीं करते थे परन्तु हमें यह आश्वासन दिया गया कि यह पुराने वचन की पुनरावृति ही है और कोई नई चीज़ नहीं है और द्विपक्षीय संधि में भी उस के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आज के समाचार पत्रों में इस समझौते का निर्देश किया गया है। हम ने उसका पूरा पाठ नहीं देखा है। संभव है उसे सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए क्योंकि मैं समझता हूं और कहा जाता है कि उसका संयुक्त राष्ट्र संघ में पंजीयन किया जाएगा। यदि ऐसा किया गया तो हम उसकी जांच करेंगे और यदि सदन वैसा चाहे तो मैं उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रख सकता हू।

---

†मूल अंग्रेजी में

परन्तु मैं इतना और कह देना चाहता हूं कि अमेरिका के राजदूत, संभवतः अंकारा में इस द्विपक्षीय संधि किए जाने के पश्चात् हमारे विदेश कार्यालय में आए थे और उन्होंने हमारे विदेश सचिव से फिर वही कहा जो पहले कह चुके थे कि यह कोई नई चीज़ नहीं है वरन् सैनिक सहायता आदि के संबंध में पुराना वायदा ही है। उन्होंने यह बात विशेष रूप से दोहराई कि इसके उपबन्ध कांग्रेस के उस संकल्प के अनुरूप ही हैं जिसे प्रायः आइजनहाँवर सिद्धान्त कहते हैं, अर्थात् वह केवल साम्यवादी आक्रमण पर लागू होती है और किसी पर नहीं।

यह मैं उन के द्वारा कही गई बातें दोहरा रहा हूं। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि इस प्रकार के समझौतों से कोई आक्रमण नहीं रोका जा सकता और न इन से सुरक्षा ही बढ़ सकती है। खैर, उन्होंने इस प्रकार का आश्वासन कल दिया था।

आज के समाचारों में कहा गया है कि पाकिस्तान के विदेश सचिव ने इसका दूसरी तरह से मतलब निकाला है। स्पष्टतः अमेरिकी सरकार और पाकिस्तानी सरकार ने जो इस के मतलब निकाले हैं वे एक दूसरे के खिलाफ़ हैं। हम अमेरिकी सरकार अथवा उसके प्रतिनिधि को इसका संकेत करने का विचार कर रहे हैं ताकि यह मालूम हो सके कि सही मतलब कौन सा है और वास्तविक बात क्या है। इस स्थिति में हम इतना ही कर सकते हैं। मैंने सोचा कि इन तथ्यों को सदन के समक्ष रख देना ठीक होगा।

आय-व्ययक पत्रों का समय से पहले प्रकट हो जाने के बारे में

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव भेजा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उसे देख नहीं सका। यदि आवश्यक हुआ तो सोमवार को उसे यहां लूंगा।

†**श्री स० म० बनर्जी** : यह एक गंभीर मामला है जिसका संबंध आय-व्ययक प्रस्थापनाओं का समय से पहले पता लग जाने से है। मैंने एक पत्र की फ़ोटो स्टेट कापी भी आपको भेजी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने अपने स्थगन प्रस्ताव की सूचना और एक पत्र की फ़ोटो स्टेट कापी मुझे अभी दी है। मुझे अभी उसको देखना होगा, फिर मैं उस पर अपना निर्णय दूंगा। चूंकि कल बैठक नहीं है इसलिये सोमवार को ही इसे लिया जा सकेगा।

†**श्री स० म० बनर्जी** : सोमवार को मैं सदन में उपस्थित नहीं हो सकूंगा क्योंकि मुझे बाहर जाना है। इसलिए उसे मंगलवार के लिये निर्धारित कर दिया जाए।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

सरकारी समवायों के वार्षिक प्रतिवेदन

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उपधारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) इंडियन रेयर अर्थ्‌स (प्राइवेट) लिमिटेड का वर्ष १९५७-५८ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० १२६३/५९]

(२) ट्रावनकोर मिनरल्ज़ (प्राइवेट) लिमिटेड का वर्ष १९५७–५८ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० १२६४/५९]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियमों में संशोधन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २१ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०८ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० १२६५/५९]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक ७ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २९१ द्वारा संशोधित दिनांक ३१ जनवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २५० की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० १२६६/५९]

नारियल जटा बोर्ड का अर्ध-वार्षिक प्रतिवेदन

†**श्री मनुभाई शाह**: मैं नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड के कार्य की ३० सितम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाली छमाही के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० १२६७/५९]**

विशेषाधिकार समिति

नवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं विशेषाधिकार समिति का नवां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आसाम में विद्रोही नागाओं का उपद्रव

†**श्रीमती इला पाल चौधरी** (नवद्वीप) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और यह प्रार्थना करती हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"आसाम में विद्रोही नागाओं द्वारा फिर उपद्रव शुरू किया जाना ।"

†**वैदेशिक कार्य उप मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : २० फरवरी, १९५९ को नागा होम गार्डों के दो पृथक् दलों ने जिन में से प्रत्येक की संख्या ४० से ५० तक थी तथा जो राइफलों और स्टेनगनों से सज्जित थे और हरी सैनिक वर्दियां पहने हुए थे, आसाम के सिब सागर जिले के टीटाबर और टिओक पुलिस थानों के अन्तर्गत नागा-जंग्का और नागीनिजन चाय बागानों पर हमले किए थे । नागा-जंग्का चाय बाग जोरहाट से लगभग १५ मील दक्षिण-पूर्व में है और नागीनिजन जोरहाट से २० मील दक्षिण-पूर्व में है । इन दो चाय बागानों के बीच में ६ मील की दूरी है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

पहली वारदात में हमलावरों ने, जो दिन में ही नागा-जंग्का चाय-बागान के पास झाड़ियों में छिप कर बैठ गए थे, बाग के ७ मजदूरों को कब्जे में कर लिया जो उस ओर पहाड़ की तलहटी में शिकार के लिये गए हुए थे और उन से २ बन्दूकें तथा ९ कारतूस छीन लिए । एक को छोड़ कर समस्त मजदूरों को दिन भर बन्दी रखा गया और सूर्यास्त के पश्चात् छोड़ दिया गया । जिस व्यक्ति को बन्दी रखा गया उसे बाद में मारवाड़ी फर्में दिखाने को बाध्य किया गया । लगभग साढ़े सात बजे सायंकाल नागा होम गार्ड बाग में उतरे और दो समूहों में विभक्त हो गए । एक समूह ने बाग के बैंकर की फर्म पर हमला किया और राइफल दिखा कर लगभग १०,००० रुपये के मूल्य की नकदी, गहने और अन्य खाद्यान्न लूट ले गए । दूसरे समूहों ने गांव की एक समीपस्थ दुकान पर हमला किया और ३००० रुपये के मूल्य की नकदी और अन्य वस्तुएं ले गए । लौटते समय नागा होम गार्डों ने बाग के अस्पताल की ओर अन्धाधुन्ध गोली वर्षा की जिस से दो मज़दूरिनें मर गईं और पांच अन्य घायल हो गईं । गंभीर रूप से घायल तीन व्यक्ति सिनामरा केन्द्रीय अस्पताल ले जाए गए । नागा होम गार्डों ने एक मजदूर को अपने साथ एक चावल का बोरा लाद कर ले चलने के लिए भी बाध्य किया । उसे अगले दिन सुबह साढ़े दस बजे छोड़ा गया ।

इस हमले के संबंध में मरियानी (जोरहाट से ९ मील दक्षिण-पूर्व) स्थित निकटतम सैनिक चौकी में सूचना प्राप्त होने पर कम्पनी कमांडर ने एक टुकड़ी के साथ मरियानी की ओर कूच किया और ८ बजे सायंकाल नागा जुंका पहुंचे । फौजों ने हमलावरों के रास्ते पर उस क्षेत्र की सीमान्त तक छान बीन की परन्तु हमलावरों का पता नहीं लग सका ।

उसी शाम को हमलावरों के दूसरे समूह ने टिओक पुलिस थाने के अन्तर्गत नागीनिजन बाजार में लगभग ४० दुकानों को लूटा और नकदी, कपड़े, खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुयें ले गए । बाद में उन्होंने (नागा होम गार्डों ने) दो मारवाड़ी दूकानें लूटीं और ५०० रुपए नकद तथा १५० रुपये का सामान उठा ले गए । नागा होम गार्डों ने अनेक पैदल-राहगीरों और साइकिल सवारों पर

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्रीमती लक्ष्मी मेनन]

भी हमले किए और दो साइकिलें और कुछ हाथ की घड़ियां और छोटे बटुए आदि लूट ले गए। लौटते समय उन्होंने एक शराब की दुकान लूटी और लगभग ५००० रुपए नकद और चार गैलन शराब उठा ले गए। शराब की दुकान के मालिक को राइफल के जोर से एक मील दूर तक युद्ध बन्दी की तरह ले जाया गया और फिर हमलावरों की हुलिया न बताने की चेतावनी दे कर छोड़ दिया गया।

इस हमले की सूचना की प्राप्ति पर आसाम पुलिस के दो दस्ते देबरापाड़ा (जोरहाट से १२ मील दक्षिण-पूर्व) से नागीनिजन की ओर चले और उसी दिन सायंकाल ६.३० पर दुर्घटना स्थल पर पहुंच गये। परन्तु हमलावरों का पता नहीं लग सका।

ऐसा मालूम होता है कि दोनों मामलों में हमलावरों का उद्देश्य नकद, कपड़े व अन्य वस्तुयें लूटना था। टीटाबर और टिओक पुलिस थानों में अनेक मामले दर्ज किए गए हैं। हमें इस प्रकार की सूचना भी प्राप्त हुई है कि नागा उपद्रवी मनीपुर के सीमान्तों और आसाम के मैदानों में अपनी कार्यवाहियां बढ़ा रहे हैं।

सेना ने इस प्रकार के हमलों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए तुरन्त कदम उठाए हैं जो निम्नलिखित हैं :

(क) समस्त मैदानी क्षेत्र में दिन रात गश्त किया जा रहा है। गश्ती टुकड़ियों को सीमान्तस्थित अधिकाधिक गांवों में जाने की हिदायत कर दी गई है ताकि स्थानीय जनता में सुरक्षा की भावना लौट सके।

(ख) पहाड़ियों से नीचे आने वाले समस्त मार्गों को अवरुद्ध किया जा रहा है।

(ग) चलते फिरते दस्तों द्वारा गश्त का आदेश कर दिया गया है।

(घ) हुनवाल एम० जैड० ७३९४ (जोरहाट) से १२ मील दक्षिण-पूर्व और नागीनिजन में सैनिक चौकियां स्थापित की गई हैं।

(ङ) रेलवे मार्ग पर गश्त किया जा रहा है।

(च) रात्रि के समय चलने वाली समस्त रेलगाड़ियों में सुरक्षा दल चलते हैं।

(छ) मैदानी क्षेत्र से मिले हुए नागा पहाड़ियां-त्युएनसांग क्षेत्र की विस्तृत छानबीन कराने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

महेश्वरी देवी जूट मिल्स के बन्द होने के बारे में वक्तव्य

†**श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली)**: माननीय सदस्य श्री स० म० बनर्जी कानपुर की महेश्वरी देवी जूट मिल्स के बन्द किए जाने के नोटिस संबंधी स्थिति जानना चाहते हैं।

जूट उद्योग से संबंधित औद्योगिक संबंधों का विषय राज्य के क्षेत्र में आता है। इसलिए इस का ब्यौरा उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त करना पड़ा। उस से प्राप्त पूचना के अनुसार कानपुर की महेश्वरी देवी जूट मिल्स ने २३ फरवरी, १९५९ को यह नोटिस लगाया था कि २४ फरवरी, १९५९ से मिल निम्नलिखित बातों के कारण बन्द कर दी जाएगी :

(१) और हानि सहन करने में प्रबन्धकों की असमर्थता;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(२) मजदूरों के असहयोग के कारण कम उत्पादन ;

(३) संयंत्र और मशीनों का खराब होना ;

(४) जूट व्यापार की असंतोषजनक स्थिति ; और

(५) पुरानी मशीनों को बदलने के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करने में असफलता ।

मिल के बन्द होने से १,११८ मजदूरों के प्रभावित होने की संभावना है । राज्य सरकार बन्दी के कारणों की यथा संभव उचित सहायता देने की दृष्टि से जांच कर रही है ।

मिल ने अपनी मशीनों के आधुनिकीकरण के लिए अगस्त, १९५७ में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को ऋण के लिए प्रार्थना पत्र दिया था । परन्तु प्रस्तावित प्रत्याभूति अपर्याप्त होने के कारण निगम ऋण मंजूर करने के लिए सहमत नहीं हुआ ।

सभा का कार्य

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : श्रीमान् आपकी अनुमति से मैं सोमवार ९ मार्च को प्रारंभ होने वाले सप्ताह में लिए जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

(१) सामान्य आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा ।

(२) लेखानुदानों का मतदान हेतु रखा जाना ।

(३) निम्नलिखित विधेयकों पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार तथा उन्हें पारित किया जाना :

(i) अधिकृत लेखा पाल (संशोधन) विधेयक; और

(ii) लागत एवं निर्माण-कार्य लेखापाल विधेयक ।

(४) १२ मार्च को सायंकाल ४ बजे श्री ईश्वर अय्यर तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले एक प्रस्ताव पर न्याय प्रशासन के सुधार पर विधि आयोग के १४ वें प्रतिवेदन, खंड १ और २ पर चर्चा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : विधि आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए रखा गया २ घंटे का समय अपर्याप्त है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** समय का आवण्टन कार्य मंत्रणा समिति द्वारा किया जाता है । समिति का प्रतिवेदन सदन में अनुमोदन हेतु उपस्थित किया जाता है । उस समय माननीय सदस्यों को ऐसे सुझाव देने चाहिएं । अभी तो कार्य की घोषणा भर की गई है, सदन के अनुमोदन की आवश्यकता इस समय नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विनियोग (रेलवे) विधेयक

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९५९-६० में रेलवे संबंधी व्यय के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में रेलवे-सम्बन्धी व्यय के लिए भारत को संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य मंत्रणा समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : संसद्-कार्य मंत्री की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में ५ मार्च, १९५९ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९५८-५९

वर्ष १९५८-५९ के लिए रेलवे मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की गयीं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१	रेलवे बोर्ड	२,६२,०००
२	विविध व्यय	२७,४१,०००
४	सामान्य कार्यवहन व्यय—प्रशासन . .	१,८१,८८,०००
५	सामान्य कार्यवहन व्यय—मरम्मत तथा संधारण .	२,६२,५३,०००
६	सामान्य कार्यवहन व्यय—संचालक कर्मचारी .	८८,५३,०००
७	सामान्य कार्यवहन व्यय—संचालन (ईंधन) . . .	२,३७,०८,०००

†मूल अंग्रेज़ी में

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
९	सामान्य कार्यवहन व्यय—कर्मचारियों तथा इंधन के अतिरिक्त संचालन	१,५०,६४,०००
१०	सामान्य कार्यवहन व्यय—श्रम कल्याण .	४३,७४,०००
१२	साधारण राजस्व में देय लाभांश	४४,३६,०००
१६	चालू लाइनों पर विस्तार . . .	१८,५८,८९,०००
१७	चालू लाइनों पर काम—प्रतिस्थापन . . .	१३,५९,०३,०००
१९	विविध प्रभार—विकास निधि . . .	१८,९३,०००

रेलवे मंत्रालय की अनुदानों की अनुपूरक मांगों के सम्बंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
२	३	श्री त० ब० विट्ठल राव	रेलवे बोर्ड में अधिकारियों का वेतन	१००
५	१४	श्री वारियर	खण्डवा-हिंगोली रेलवे लाइन पर काम की गति . . .	१००
५	१५	श्री वारियर	खण्डवा-हिंगोली रेलवे लाइन पर काम करने वाले नैमितिक मज़दूरों का खपाया जाना . .	१००
७	१२	श्री त० ब० विट्ठल राव	कोयले का पूरा पूरा उपयोग	१००
१०	१३	श्री त० ब० विट्ठल राव	रेलवे स्कूलों में स्कूल की फीस .	१००
१०	१६	श्री वारिधर	स्वास्थ्य तथा कल्याण सेवायें	१००
१६	१७	श्री त० ब० विट्ठल राव	सवारी डिब्बों के कारखाने में फरनिशिंग यूनिट के काम को जल्दी करने की आवश्यकता	१००
१६	१८	श्री त० ब० विट्ठल राव	गुन्तकल तथा बंगलौर के बीच लाइन को मजबूत बनाने की आवश्यकता	१००

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : मांग संख्या १ के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि कल्याण पदाधिकारी के क्या कर्तव्य हैं। प्रत्येक रेलवे में श्रम कल्याण पदाधिकारी तथा श्रम कल्याण निरीक्षक हैं तो रेलवे बोर्ड में इसको नियुक्त करने की आवश्यकता थी। क्या यह विभिन्न रेलों के कल्याण पदाधिकारियों के कामों का समन्वय करेंगे ? जब भी कभी मैंने श्रम कल्याण पदाधिकारियों से रेलवे कर्मचारियों की बस्तियों में जाने को कहा तो या तो वह वहां गये ही नहीं और यदि उन्होंने वहां जाकर इन बस्तियों की गन्दगी के बारे में रिपोर्ट रेलवे प्रशासन को भेजी तो रेलवे प्रशासन ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हमें इन कल्याण पदाधिकारियों का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए।

मांग संख्या २ बड़ी महत्वपूर्ण मांग है। इगतपुरी–भुसावल के विद्युतीकरण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण के बारे में श्री भरूचा सामान्य वाद-विवाद में बहुत कुछ कह चुके हैं। मैं माननीय मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि हमने रेलवे के लिए ४२५ करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय की स्वीकृति दी है जबकि द्वितीय योजना में हम ने केवल २९० करोड़ रुपये की राशि इस के लिए स्वीकार की थी। इतना होने पर भी इस लाइन के विद्युतीकरण को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। सर्वेक्षण बहुत पहले किया जा चुका है। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस को बनाने में और विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए।

मुझे प्रसन्नता है कि कोट्टा बलासा से बेलाडिल्ला तक बनाई जाने वाली रेलवे लाइन आन्ध्र से गुजरेगी। इस लाइन के इंजीनियरिंग, यातायात सर्वेक्षण के लिए २ लाख रुपये मांगे गये हैं जो कि अधिक नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि एक समय-अनुसूची बना लेनी चाहिये और उसके अनुसार काम को आगे बढ़ाया जाना चाहिये।

मैं रेलवे बोर्ड को एक भांडार संहिता (स्टोर्स कोड) के बारे में कई बार लिख चुका हूं। मुझे इसका उत्तर मिला कि यह सरकारी पुस्तक विक्रेता–किताब महल—को भेज दी जायेगी। अब तक किताब महल वालों का यही कहना है कि यह उन के पास नहीं पहुंची है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह इस प्रकार की पुस्तकों की छपाई तथा बिक्री के लिए कोई कार्यवाही करें।

हाल में ही मंत्री महोदय ने बताया था कि वह निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं में कुछ भाड़ा रियायतें देने वाले हैं और विभिन्न मंत्रालयों से इस बारे में परामर्श किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक छोटी सी समिति बनाई जानी चाहिए जिस में सभी मंत्रालयों के प्रतिनिधि तथा जनता के महत्वपूर्ण व्यक्ति हों और जो २ अथवा ३ महीनों में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

खण्डवा-हिंगेली लाइन को १९५३ में बनाना आरम्भ किया गया। अब छः वर्ष हो गये हैं और इस लाइन के केवल ४२ मील लम्बे मार्ग को यातायात के लिये खोला गया है। १ अक्तूबर को रेलवे गाइड देखने पर मुझे प्रसन्नता हुई कि उसमें कुछ स्टेशन दिये गये हैं और निकट भविष्य में उन पर गाड़ियां जाने लगेंगी। इसका विस्तार सिरपुर तक किया जाना था। जब मैंने इसके चालू होने के बारे में यहां सभा में प्रश्न पूछा तो मुझे बताया गया कि दिसम्बर १९५९ के अन्त तक इस को चलाया जायेगा क्योंकि कई पुल बनाने बाकी हैं। मेरा अनुरोध है कि इस लाइन को चलाने में शीघ्रता की जानी चाहिये। रेलवे लिंकों पर काम करने वाले लगभग ३००० नैमितिक मजदूरों को रेलवे में खपा लिये जाने के बारे में प्रयत्न किये जाने चाहियें अन्यथा काम समाप्त होने पर इन मजदूरों का वही हाल होगा जो गंगा पुल परियोजना के मजदूरों का हुआ। यदि आप अभी से इनको मध्य रेलवे में नियुक्त करने लगें तो कोई कठिनाई सामने नहीं आयेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मांग संख्या ७ संचालन (इंधन) के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या अभी भी बंगाल-बिहार कोयला खानों से कोयला जहाजों के द्वारा दक्षिण रेलवे को जाता है। यह प्रश्न मैंने इसलिये पूछा क्योंकि अब हमारी वैगन स्थिति अच्छी है और हम कोयले का परिवहन रेलों के द्वारा कर सकते हैं तो स्टीमरों से कोयले का परिवहन क्यों किया जाये। इस प्रकार हम १ करोड़ रुपया बचा सकते हैं।

मांग संख्या ८ किताबों की छपाई आदि के बारे में है। बालाघाट से कटंगी तक उपनगरीय रेलवे लाइन है। इस क्षेत्र में तैलगू बोली जाती है परन्तु टिकटों पर अंग्रेजी-हिन्दी छपी होती है। मेरा अनुरोध है कि यात्रियों की सुविधा के लिये मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

वर्दियों के बारे में मैंने ऐसा पाया है कि एक रेलवे में एक प्रकार के कर्मचारियों को वर्दी दी जाती है जब कि दूसरी रेल पर उसी प्रकार के कर्मचारी को वर्दी नहीं दी जाती है। मैंने रेलवे बोर्ड को इस बारे में लिखा तो बताया गया कि मामला वर्दी समिति को सौंप दिया गया है और वर्दी समिति एक विभागीय समिति है इसलिये इस का प्रतिवेदन हमें नहीं दिखाया जा सकता है।

मांग संख्या ९ रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये रेलवे स्कूल की फीस के बारे में है। मैं बिट्रगुंटा आदि कई स्थानों के स्कूलों के बारे में पहले ही बता चुका हूं। मैं यह जानता हूं कि राज्य सरकार ने मामला रेलवे बोर्ड को सौंप दिया है। राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री ने मुझे पूछने पर बताया कि वह शीघ्रता करेंगे। तब से एक वर्ष व्यतीत हो चुका है परन्तु कोई बात तय नहीं हो पाई है।

मांग संख्या १२ पूंजीगत व्यय पर ब्याज के भुगतान के बारे में है। १९५४ की रेलवे अभिसमय समिति ने सिफारिश की है कि १०० करोड़ रुपये का आवश्यकता से अधिक पूंजीकरण हो गया है और इसको बट्टेखाते डाला जाना चाहिये। परन्तु तब से पांच वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और पूछने पर हमें केवल यही बता दिया जाता है कि वित्त मंत्रालय से इस के बारे में परामर्श किया जा रहा है। इस को निबटाने में शीघ्रता की जानी चाहिये।

मैं रेलवे मंत्री के विचारार्थ गुंत्तकल से बंगलौर रेलवे लाइन के बारे में कुछ बातें प्रस्तुत करता हूं। इस लाइन पर गत ३० वर्ष से मैं यात्रा कर रहा हूं। यह १७९ मील लम्बी लाइन है और इस पर कोई भी सुधार बहुत समय से नहीं किया गया है। इस लाइन पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी है और १७४ मील २४ घंटों में गाड़ी पहुंचती है। मैं चाहता हूं कि इस लाइन की पटड़ी आदि बदल कर इस पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाई जानी चाहिये। जिससे यह रास्ता १४ अथवा १५ घंटों में पूरा हो जाये।

मुझे इस की बड़ी प्रसन्नता है कि सवारी डिब्बे के कारखाने का व्यय कम हो गया है। परन्तु १९५७-५८ का प्रतिवेदन देखने पर पता लगता है कि चितरन्जन लोकोमोटिव वर्क्स तथा सवारी डिब्बे के कारखाने दोनों में ४७, ४७ पदाधिकारी हैं जबकि चितरंजन में ८००० कर्मचारी हैं और डिब्बे के कारखाने में ४००० कर्मचारी हैं। इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये कि सवारी डिब्बे कारखाने में इतने अधिकारियों की क्या आवश्यकता है।

गत वर्ष यह बताया गया था कि १ अप्रैल से दूसरा शिफ्ट आरम्भ किया जायेगा। आशा करता हूं कि अप्रैल १९५९ से यह आरम्भ होगा। साथ ही मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि तीसरी शिफ्ट चालू करने की संभावनाओं पर विचार करें जिससे इस नई मशीन का पूरा पूरा उपयोग किया जा सके।

[श्री त० ब० विठ्ठल राव]

सड़क परिवहन सेवाओं में विनियोजनाओं के बारे में मैं चाहता हूं कि सड़क परिवहन निगमों में धन का विनियोजन न किया जाये क्योंकि इससे निगम की पूंजी बढ़ जाती है और साथ-साथ आय-कर भी बढ़ जाता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सड़क परिवहन सेवाओं में धन का विनियोजन न करके उन्हें सूद पर ऋण दिया जाना चाहिये।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

अन्त में, मैं यह जानना चाहता हूं कि योजना के गत तीन वर्षों में हमने कितना विदेशी विनिमय व्यय किया है जिससे सही स्थिति का पता हमें लग जाये।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, बहुत सी डिमान्ड्स की तहत पैसा अधिक खर्च होने की सम्भावना है, लेकिन जो लाइनें लड़ाई में उठाई गई थीं, या नई लाइनें बिछाने का जो खाता था, उस के अन्दर कम खर्च हुआ। खर्च तो वहां ज्यादा होना चाहिये था।

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : किस डिमान्ड पर बोल रहे हैं ?

चौ० रणवीर सिंह : मैं डिमान्ड नं० १५ पर बोल रहा हूं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय के पास कोई और लाइनें न हों, तो गोहाना पानीपत, जहां पर काम जारी था उसे ही पूरा होने दिया जाता।

एक और बात जो मैमोरैन्डा के अन्दर दी है, वह मेरी समझ में नहीं आई। गोहाना पानीपत के सिलसिले में लिखा है :

एक्स्पेंडीचर अपटु १९५८–५९	३२.५० लाख रु०
प्राविजन फार १९५९–६०	३.३७ लाख रु०
बैलेन्स टु कम्प्लीट	१३.४२

पता नहीं बैलेन्स टु कम्प्लीट से रुपयों में मतलब है या माइल्स में। अगर माइल्स से मतलब है तो भी अच्छा है और रुपये से मतलब है तो भी अच्छा है। मैं चाहता हूं कि गोहाना से पानीपत की जो लाइन है वह पूरी की जाये।

श्री जगजीवन राम : साबित हो गया आप हरियाना के हैं।

चौ० रणवीर सिंह : सुना है कि एक्स्पर्टस का ख्याल है कि इन्तजार करना चाहिये कि रोहतक से गोहाना लाइन पर आमदनी पूरी होती है या नहीं लेकिन रोहतक से गोहाना सेक्शन पर आमदनी तभी हो सकती है जब कि गोहाना से पानीपत तक मिला दिया जाये। पानीपत में शुगर फैक्ट्री है और उधर रोहतक में शुगर फैक्ट्री है। तो काम तो रेलवे के लिये बहुत मिल सकता है, लेकिन रेलवे जानी तो चाहिये। अगर १५ नं० की डिमान्ड में इस तरह से रुपया बचाने की कोशिश की गई है तो उसे इस हद तक बचाने की कोशिश न की जाये। इस के अलावा रोहतक गोहाना के अलावा मैं कहूंगा कि हमारे देश में लोहे के कारखाने बन रहे हैं। लोहा बहुत ज्यादा तादाद में पैदा होगा और उसे रेल मंत्रालय ही इस्तेमाल कर सकेगा। जो हमारा हिन्दी रीजन है वह बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, उस के अन्दर लाइनें सर्वे की गई थीं बहादुरगढ़ से भिवानी तक, रोहतक से हिसार

तक और सोनीपत से गोहाना होते हुए सफीदों तक की लाइन्स की सर्वे का काम शुरू किया जाय। इसके अलावा फतेहाबाद और सिर्सा की लाइन, जिस के लिये पंडित ठाकुर दास भार्गव कहते हैं और जहां पर भाखरा बांध का पानी ज्यादा है, जिस के बारे में हम से बेटरमेंट लेवी लेने की कोशिश हो रही है . . . . . .

श्री जगजीवन राम : पंडितजी की कांस्टिटुएन्सी की बात भी कह दीजिये।

चौ० रणवीर सिंह : इसके अलावा जगाधरी, लुधियाना वाया चंडीगढ़ का भी सवाल है। चंडीगढ़ पर इतना रुपया खर्च किया जा रहा है, जिस को हम हिन्दुस्तान का बहुत बढ़ा शहर मानते हैं, रेलवे मंत्रालय उसे अहम न माने यह बात सही नहीं है।

श्री जगजीवन राम : दूसरे लोग मानते हैं या नहीं ?

चौ० रणवीर सिंह : दूसरे तो मानते हैं। प्राइम मिनिस्टर हर साल दो तीन दफा जाते हैं। इसी से जाहिर होता है कि इस शहर की क्या अहमियत है और हिन्दुस्तान का नाम उस से कितना ऊंचा होता है।

श्री जगजीवन राम : वह ट्रेन से जाते ही नहीं हैं।

चौ० रणवीर सिंह : वह ट्रेन से नहीं जाते हैं, लेकिन इस से लोगों के लिये तो उसकी अहमियत बढ़ रही है।

मुझे खुशी है और रेलवे के अन्दर जो मजदूर काम करते हैं उन सब को खुशी है कि श्री जगजीवन राम के आने के बाद एक साल के अन्दर डिमान्ड नं० १० की तहत जो खर्च हुआ है १ करोड़ १५ लाख रु० वह पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। यही नहीं, बजट के अन्दर जो रुपया पहले रक्खा गया है उस से भी फालतू खर्च करने की कोशिश की गई है, और वह खर्च सम्भव है कि ४३.७४ लाख होगा। मैं तो समझता हूं कि यह लाजिम था कि श्री जगजीवन राम इस महकमे के वजीर हों। मजदूरों का अगर वह ख्याल न करें तो यह नहीं हो सकता था। इस खर्च के लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। इसके अलावा दो तीन जगहों पर जरा सोचने वाली बात है। जो सामान खो गया था, उसका कम्पेन्सेशन देने के लिये जो ज्यादा खर्च होने का अनुमान है वह ७८.६९ लाख रुपया है। इस के अलावा मुझे यह भी खुशी है कि आउट एजेंसीज खोलने पर आप ज्यादा रुपया खर्च करेंगे क्योंकि इस से रेलवे मंत्रालय को बसों से ज्यादा मिल सकेगा।

इसके साथ-साथ ऐक्सिडेंट्स के लिये मुआवजा देने के लिये २.७० लाख रुपया ज्यादा खर्च होगा और यह जाहिर करता है कि अभी रेलों का काम चलाने का जो तरीका है उसमें अभी सुधार करना काफी जरूरी है। मैं चाहता हूं कि यह जो बाकी डिमान्ड्स हैं लेबर पर खर्च ज्यादा हों हमें खुशी है लेकिन इन के अलावा दूसरी डिमांड्स के ऊपर खर्च जितना कम से कम हो सके, वह किया जाये और जितना ज्यादा से ज्यादा खर्चा डिस्मैंटिल्ड लाइन्स को रैस्टोर करने के लिये किया जा सकता है, किया जाये।

†**श्री हाल्दर** (डायमंड हार्बर—रक्षित-अनुसूचित जातियां)**:** मैं माननीय मंत्री का ध्यान सियाल्दा डिवीजन पर प्रतिदिन होने वाली घटनाओं की ओर दिलाना चाहता हूं। इस डिवीजन पर स्टेशन मास्टर, ड्राइवर तथा अन्य कर्मचारी बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं परन्तु उच्च

†मूल अंग्रेजी में

[चौ० रणवीर सिंह]

पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं । इस सम्बन्ध में मैं २६ फरवरी, १९५८ को सोनारपुर स्टेशन पर हुई दुर्घटना का जिक्र करता हूं । आज तक इसकी जांच समिति का प्रतिवेदन यहां पर प्रस्तुत नहीं किया गया है । सबसे अजीब बात है कि जो स्टेशन मास्टर दुर्घटना के समय उपस्थित था उसका वक्तव्य नहीं लिया गया है । इस स्टेशन मास्टर ने १६-१-५९ को सेवानिवृत्ति के पश्चात् बताया है कि दुर्घटना असिस्टैंट ओपरेटिंग सुपरिंटेंडेंट, जो इस खण्ड में २० साल से है और जिसका स्थानान्तरण नहीं किया गया, की गलती से हुई ।

इंजनों की हालत इतनी खराब है कि रास्ते में रुक जाते हैं जिसके कारण ड्राइवरों को जनता पीटती है । इसके लिये भी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराता हूं । गाड़ियों के देर से चलने के बारे में यात्री शिकायत पुस्तक में शिकायत करते हैं परन्तु उनकी सुनवाई नहीं की जाती है । इसके विपरीत जिन लोगों ने शिकायत पुस्तक में हस्ताक्षर किये उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है । सियाल्दा डिवीजन के असिस्टेंट ओपरेटिंग सुपरिंटेंडेंट श्री एच० सी० खन्ना के विरुद्ध शिकायतें थीं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

†**श्री जगजीवन राम** : माननीय सदस्य एक पदाधिकारी का नाम लेकर शिकायत कर रहे हैं, यह उचित प्रतीत नहीं होता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियमों के अधीन निर्धारित है कि जब किसी पदाधिकारी के आचरण के बारे में कोई प्रश्न उठाना हो तो प्रभारी मंत्री को उचित सूचना उसके बारे में दी जानी चाहिए जिससे मंत्री महोदय उत्तर देने की तैयारी करके आयें । यह नियम ३५३ के अधीन आता है जो इस प्रकार है :

> "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्वसूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिये विषय की जांच कर सके ।"

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : इस प्रकार तो हम अपने भाषणों में प्रशासन के विरुद्ध कुछ नहीं कह पायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह उन मामलों के सम्बन्ध में है जिनमें व्यक्ति विशेष का नाम लिया गया हो । रेलवे में नौ लाख कर्मचारी हैं यदि सभी माननीय सदस्य इन कर्मचारियों की शिकायतें करने लग जायेंगे तो बड़ी कठिनाई होगी । जबकि किसी महत्वपूर्ण मामले के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति का नाम यहां पर लिया जायेगा तो उसकी सूचना मुझे तथा मंत्री महोदय को देनी होगी जिससे मंत्री महोदय तैयार होकर सभा में आ सकें ।

†**श्री हाल्दर** : हम सभा के सदस्यों ने तथा आसाम रेलवे कर्मचारियों ने मंत्री महोदय को इसके बारे में बताया है । मैं ने भी रेलवे आय-व्ययक पर अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्ताव में इस मामले को रखा है ।

†**श्री जगजीवन राम** : कटौती प्रस्ताव से यह स्पष्ट नहीं होता है । यह तो पदाधिकारियों की अदक्षता के बारे में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि माननीय सदस्य अदक्षता की सूचना दे देते तो निश्चित रूप से उन्हें उत्तर मिलता। अब वह सामान्य बातें ही कहें।

†**श्री हाल्दर :** अब मैं रेलवे पदाधिकारियों द्वारा रेलवे कर्मचारियों के उत्पीड़न के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। संसद् में सियाल्दा तथा हावड़ा में हुए मामलों के सम्बन्ध में बताया जा चुका है और लगभग रोज ही जी० आर० पी० और रेलवे पुलिस विभाग की शिकायतें हमें सुनने को मिलती हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जब भी कभी शिकायतों आदि के मामले मंत्री महोदय को बताये जाते हैं तो वह कठोर कार्यवाही करते हैं जिसके परिणामस्वरूप हड़ताल हो जाती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय तथा विरोधी सदस्यों को एक समझौता कर लेना चाहिये ताकि किसी मामले में अगर कठोर कार्यवाही की जाये तो विरोधी दल के सदस्यों का उन्हें समर्थन प्राप्त होगा। इस प्रकार से किसी पदाधिकारी के विरुद्ध की गई कठोर कार्यवाही से किसी भी विरोधी सदस्य को आपत्ति नहीं होनी चाहिये, वरना कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को उत्पीड़ित करने का मामला पेश होने पर जब मंत्री महोदय उत्पीड़न करने वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही करते हैं तो सभा के कुछ सदस्य उस उत्पीड़क की मदद पर उतर आते हैं। यदि सर्वसम्मति से दण्डयोग्य व्यक्ति को दण्ड दिया जाये तो मेरे विचार से किसी को कोई आपत्ति नहीं रह जायेगी।

†**श्री हाल्दर :** बारासाट-बसिरहाट रेलवे लाइन के सम्बन्ध में बताते हुए मंत्री महोदय ने बताया था कि रेलवे को बहुत सी भूमि तो मिल गई है परन्तु कुछ जमींदारों ने न्यायालयों में मुकदमे दायर कर दिये हैं और भूमि पर कुछ न बनाने के आदेश न्यायालय ने दे दिये हैं। थोड़ा सा घुमा फिरा कर भी रेल बनाई जा सकती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस लाइन के महत्व को देखते हुए इसके निर्माण का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जाना चाहिये।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : मैं मांग संख्या १६ पर बोलना चाहता हूं। रेलवे मंत्री महोदय ने कहा है कि सड़क परिवहन से जो अलाभकारी मुकाबला चल रहा है उससे रेलवे यातायात कम हुआ है। सड़क परिवहन के विनियोग में भी कमी कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि दो राज्य सरकारों ने इस मामले में रेलवे मंत्रालय के परामर्श को स्वीकार नहीं किया और सड़क परिवहन निगमों की स्थापना कर दी है। इससे जो राजस्व उन्हें प्राप्त होता है, उससे वह वंचित होना नहीं चाहते। विस्तार के कार्य को अभी बन्द रखा है क्योंकि उसके लिये न तो रेलवे मंत्रालय और न ही परिवहन मंत्रालय से धन प्राप्त हो रहा है। परन्तु सड़क परिवहन आवश्यक बन गया है क्योंकि रेलवे की कार्यकुशलता में काफी कमी हुई है। रेलवे में १४ लाख रुपये का सामान नष्ट हुआ और लगभग ७८ लाख ६९ हजार रुपये की व्यवस्था गुम हुए माल के दावों को निपटाने के लिये करनी पड़ी। इन समस्त कमियों का लाभ सड़क परिवहन ने उठाया और यातायात पर काफी नियन्त्रण कर लिया। यदि रेलवे २४ घंटे में ५० मील सफर करती है तो सड़क से इतने ही समय में १५० मील तय किया जाता है। इस प्रकार माल और पार्सल आदि शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और इससे लोगों को काफी लाभ होता है और वे सड़क परिवहन की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। यदि रेल और सड़क में स्वस्थ मुकाबला हो तो अच्छी बात है, इससे अतः यात्रियों और सामान के यातायात को लाभ ही पहुंचेगा। अतः मैं मंत्रालय से अपील करूंगा कि सड़क परिवहन में विनियोजित की जा रही राशि सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण करे। सड़क परि-

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वारियर]

वहन की सहायता अवश्य की जानी चाहिये ताकि प्रतिक्रिया के रूप में रेलवे प्रशासन भी अपने में सुधार करे। यदि हमने इसे समुचित प्रोत्साहन दिया तो बाद में इसका परस्पर समन्वय भी हो सकता है।

राज्यों के लिये निगम इत्यादि निर्माण करने में एक रुकावट यह भी है, कि आय-कर तो केन्द्रीय सरकार को जाता है। आय-कर काट कर बाकी थोड़ा बहुत निगम को प्राप्त होता है। रेलवे भी अपने अंश के लिये जोर देगी तो राज्यों के पास क्या बचेगा। राजस्व तो सारा केन्द्रीय सरकार ले जाती है अतः विकास कार्यों के लिये कुछ न कुछ तो राज्य सरकारों को देना ही होगा। यदि यही नीति रही तो राज्य सरकारें निकम्मी होकर रह जायेंगी। परन्तु इसके साथ ही मैं यह भी नहीं चाहता कि सड़क परिवहन के कारण रेलवे को हानि पहुंचे।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मेरा मत यह है कि रेलवे को यह हानि मुकाबले के कारण नहीं प्रत्युत अपनी अक्षमताओं के कारण है। यदि इसमें समुचित परिवर्तन न हुआ तो स्थिति बड़ी शोचनीय हो जायेगी। अतः रेल और सड़क परिवहन का समुचित समन्वय होना चाहिए। साथ ही सड़क परिवहन को भी अपेक्षित प्रोत्साहन प्राप्त होता रहना चाहिए। निगम में आने न आने की बात राज्य सरकारों पर छोड़ देनी चाहिए। यदि ऐसा हो जाय तो सड़क परिवहन के विस्तार की सम्भावना हो सकेगी और प्रत्येक प्रकार के यातायात को लाभ होगा। आशा है मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे।

श्री आचार (मंगलौर) : हमारी रेलों की गति २० से ३० मील प्रति घंटा है जबकि अमरीका जैसे देशों में यह गति ८० से १०० मील प्रति घंटा है। हमारे लिये अभी हाल ही वह स्थिति प्राप्त कर लेना सम्भव नहीं। मेरे क्षेत्र में ४, ५ मील की ही एक रेलवे लाइन है और उसका बड़ा महत्व है। एक रेलवे स्टेशन भी है। इस रेलवे का प्रभाव दो जिलों, दक्षिण कन्नारा और कुर्ग पर है। यहां के लोगों को ८० मील की यात्रा करके मंगलौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचना पड़ता है। मंगलौर से एक मद्रास मंगलौर मेल चलती है। उसमें पहले २१, २२ घंटे लगते थे और अब उस में २४ घंटे लगते हैं। तीन घंटों की बात कुछ नहीं है। परन्तु इससे आगे जाने के लिये कोई बस इत्यादि उपलब्ध नहीं होती, जिससे लोगों को तो असुविधा होती ही है, डाक इत्यादि भी रुकी रहती है। मेरा निवेदन है कि उसकी गति तेज करके ऐसी व्यवस्था कर दी जाये कि गाड़ी मंगलौर ४ बजे पहुंच जाये। इसके अतिरिक्त जलारपट के स्थान पर गाड़ी रात के १२ बजे तबदील करनी पड़ती है जिससे काफी असुविधा रहती है। अतः बंगलौर के लिये यदि मंगलौर से ही एक डिब्बा लगा दिया जाये तो ठीक रहेगा।

इसके अतिरिक्त मेरा कहना है कि माल के स्टेशनों का सुधार किया जाना चाहिए, जहां टिम्बर काफी आता है और वर्षा इत्यादि से उसके बचाव की कोई व्यवस्था नहीं। मन्त्रालय को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए, यह बड़े महत्व की बात है, क्योंकि यहां व्यापार काफी है। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक क्लर्कों की मांगों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने काफी बार अभ्यावेदन प्रस्तुत किये हैं। मन्त्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

†**श्री सोनावने** (शोलापुर रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं रेलवे मन्त्रालय को उसकी सफलताओं पर मुबारकवाद देता हूं। इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। प्रथम यह कि शोलापुर के छोटी और बड़ी लाइनों के दोनों रेलवे स्टेशनों को मिलाने के लिये

†मूल अंग्रेजी में

एक पैदल पुल का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके सम्बन्ध में गत चार वर्षों से मांग हो रही है और इस बीच कई दुर्घटनायें हो चुकी हैं। कहा जाता है कि राज्य सरकार इसका खर्चा करने को तत्पर नहीं सरकार को चाहिए कि बम्बई सरकार से बातचीत करके इसका कोई हल निकाले क्योंकि जनता को इससे बेहद असुविधा हो रही है।

खुरदवाड़ी और मिराज के बीच की छोटी लाइन को परिवर्तन करने का जो निर्णय हो चुका है। उसे शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इससे सभी प्रकार से लाभ होने की सम्भावना है। आशा है कि रेलवे मन्त्रालय इस ओर समुचित ध्यान देगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि क्योंकि कोयना परियोजना से अब बिजली उपलब्ध हो सकती है अतः पूना से शोलापुर तक के मध्य रेलवे के भाग का विद्युतीकरण कर देना चाहिए। बम्बई और पूना के बीच अब बिजली की गाड़ियां भी तो चलती हैं, इस लिए यह कार्य १९६१–६२ में पूरा कर लेना चाहिए। इससे कोयले की भी बचत होगी और लोगों को भी लाभ रहेगा।

भर्ती के मामले में भी देखा गया है कि बचत का प्रभाव तीसरी और चौथी श्रेणी के लोगों पर ही पड़ता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की प्रायः उपेक्षा हो जाती है। मेरा सुझाव है कि यदि विभागीय भोजन व्यवस्था संस्थापनों में अनुसूचित जातियों के लोग भर्ती किये जायें तो यह अस्पृश्यता निवारण की दिशा में एक ठोस कदम होगा।

रेलों में चोरियों की वारदातें भी हैं ही, मेरा निवेदन है कि टिकट कलेक्टर ठीक ढंग से काम नहीं करते। जितने टिकट किसी स्टेशन के जारी किये जाते हैं, उतने एकत्रित नहीं किये जाते, जिससे बिना टिकट यात्रा करने का रोग बढ़ता है। उन्हें सचेत करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिए। आशा है कि मंत्रालय मेरे सुझावों की ओर ध्यान देगा।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : रेलवे मन्त्री महोदय ने ४२,६२,००,००० रुपये की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की हैं परन्तु उनका कोई औचित्य नजर नहीं आता। प्रथम मांगें २,६२,००० रुपये की रेलवे बोर्ड की है। कल्याण कार्य के लिये अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त करने की बात की गयी है। ऊपर से तो यह बात ठीक लगती है परन्तु ठीक है नहीं। रेलवे बोर्ड ने अनावश्यक तौर पर अपना विस्तार किया है। इसके कर्मचारियों की संख्या ४५५ से एक हजार तक पहुंच गयी है। क्या यह इन्हीं में से कल्याण कार्य के लिये कर्मचारी अथवा अधिकारी नहीं लगा सकते। परन्तु ऐसा किया नहीं गया है।

काफी बड़ी-बड़ी राशियां सर्वेक्षणों पर खर्च की गयी हैं। नये अतिरिक्त सर्वेक्षणों के कार्यों को भी लिया गया है परन्तु व्यावहारिक रूप में कार्यान्वित करने के लिये हमारे पास कुछ भी नहीं है। अतः रेलवे मंत्री द्वारा जो यह आश्वासन दिया गया है कि यह सर्वेक्षण बड़े आवश्यक थे बेकार की बात है; केवल उन सर्वेक्षणों को लिया जाना चाहिये जिन्हें कार्यान्वित करने का कार्यक्रम निश्चित हो। यद्यपि मैं सड़क परिवहन के विकास का पक्षपाती हूं परन्तु रेलवे के विकास की भी बहुत गुंजाइश है। फिर भी किसी को सन्तुष्ट करने के लिये सर्वेक्षण कार्य आरम्भ नहीं कर देने चाहियें।

मैं मन्त्री महोदय को काफी सामान की खरीद करने के लिये मुबारकवाद देता हूं, क्योंकि इसके अभाव में भी कार्य प्रायः रुका रहा है। इसके लिये काफी धन राशि की मांग की गयी है क्योंकि काफी सामान बाहर से आना है। कुछ सामान हमारे कारखानों में तैयार हो रहा है।

इस दिशा में, इस बात से हमें सचमुच आश्चर्य हुआ कि छोटी लाइन के वैगन बहुत फालतू पड़े हैं। कह नहीं सकते कि सामान की खरीद के समय नियमों का ध्यान रखा गया है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में पूर्ण रूप में स्पष्टीकरण दिये जाने की आवश्यकता है। हमारे सामने सारा चित्र स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

मांग सख्या १६ के अन्तर्गत १६१ लाख रुपये की राशि को सड़क विकास निधि से दूसरी निधि में लिया जाना है । यह बात उचित नहीं है । इससे तो यह धारणा और पक्की होगी कि रेलवे प्रशासन सड़क परिवहन के विकास में भारी रुकावट है । रेलवे उपमंत्री यह कहते ही रहते हैं कि रेलवे की अच्छी कमाई सड़क परिवहन खा जाता है । मैं स्वयं यही चाहता हूं कि रेलों का विकास हो परन्तु फिर भी यह उचित नहीं कि सड़क परिवहन की उपेक्षा की जाय । आज सभी ओर से सड़क निर्माण की बात हो रही है । आने वाले ३०, ४० बर्षों में सड़क परिवहन का विकास होना ही है और रेलवे को यह ख्याल पैदा नहीं होने देना चाहिये कि वह इसके विकास में रुकावट डालती रही है । यह बात उचित नहीं होगी । रेलवे को सड़क परिवहन का पूर्ण रूप से ही स्वामी नहीं बना देना चाहिए । और न ही इन्हें इस मामले में सभी प्रकार के अधिकार ही दिये जाने चाहियें । यदि इसको ही समन्वय का नाम दिया गया तो हो सकता है कि मांग होने लगे कि इसी प्रकार रेलवे बोर्ड पर भी उन लोगों का नियंत्रण होना चाहियें जो कि सड़क परिवहन की व्यवस्था करते हैं । समन्वय का अर्थ रेलवे की तानाशाही नहीं होना चाहिये । अतः १६५ लाख रुपये की राशि का सड़क परिवहन विकास के अतिरिक्त और कहीं खर्च नहीं होना चाहिये ।

†**श्री जगजीवन राम :** मुझे यह बताने में प्रसन्नता है कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों के सम्बंध में जितने भी भाषण दिये गये हैं उनमें अधिकतर सुझाव दिये गये हैं क्योंकि इन अनुदानों की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में हमने विश्लेषणात्मक टिप्पणियां दी हैं इसलिये माननीय सदस्य यह देख सकते हैं कि ये मांगें न्यायसंगत हैं । हालांकि कुछ सदस्यों ने अपनी अनुपूरक मांगें भी प्रस्तुत की हैं किन्तु वें मेरे द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक मांगें जैसी नहीं हैं । किन्तु फिर भी मैं उन पर विचार करूंगा । मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि रेलवे, सड़क यातायात के विकास में बाधक है । मैं इससे सहमत नहीं हूं । मैं यह अनुभव करता हूं कि हमारे देश में सभी प्रकार के यातायात के विकास के लिये काफी क्षेत्र है। अतः सड़क यातायात के लिये भी काफी गुंजाइश है । किन्तु रेलवे यह सोचती है कि जिन क्षेत्रों में उसने प्रारम्भिक कार्य किया है और वहां यातायात का विकास किया है उन क्षेत्रों को रेलों के लिये छोड़ देना चाहिये । जिन क्षेत्रों में यातायात की व्यवस्था मौजूद है और उन्हीं क्षेत्रों में यदि सड़क यातायात का विकास किया जाये तो यह कोई विकास नहीं है । मैं यह नहीं मानता कि जिस देश में विकास का इतना क्षेत्र हो वहां यह कहना कि यह तो एकाधिकार की नीति है—गलत है । अब भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां यातायात के विकास की—चाहे वह सड़क यातायात हो या रेलवे यातायात—बहुत बड़ी आवश्यकता है । अब भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां यातायात के कोई साधन नहीं हैं । यदि रेलवे वहां कुछ करने में असमर्थ है तो सड़क यातायात वहां चालू किया जा सकता है । इससे देश को लाभ भी होगा ।

प्रश्न यह उठाया गया है कि इस धन का उपयोग क्यों नहीं किया गया है । इस धन का उपयोग इसीलिये नहीं किया गया क्योंकि बहुत सी सरकारों ने सड़क यातायात निगम बनाये हैं और उन निगमों की लागत पूंजी में हमें अंशदान देना पड़ा है ।

सड़क यातायात की रूपरेखा क्या होगी इसका निर्णय परिवहन मन्त्रालय करेगा । कुछ सदस्यों का कहना है कि जब सड़क तथा रेलवे दोनों एक ही मंत्रालय के अधीन थीं तो रेलों को अधिक महत्व दिया गया था अतः सड़क यातायात का विकास नहीं हो सका । अब सड़क यातायात का दायित्व परिवहन मन्त्रालय का है और सब बातों को दृष्टिगत रख कर उन्होंने यह निश्चय किया है कि निगमों के आधार पर सड़क यातायात को चलाया जाये । रेलवे को इन निगमों की अंशदायी पूंजी में अंशदान

†मूल अंग्रेजी में

देना है। हम ऐसा कर भी रहे हैं। यदि परिवहन मन्त्रालय यह निश्चय करता है कि जहां पर विभागीय तौर पर भी सड़क यातायात किया जाता है वहां भी पूंजी के प्रति रेलवे अंशदान करे तो मैं समझता हूं कि रेलवे को ऐसा करने में कोई संकोच नहीं होगा क्योंकि हम चाहते हैं कि सड़क यातायात का विकास हो। एक बात स्मरणीय है कि राज्य सरकारों द्वारा जो सड़क-यातायात किया जाता है वह प्रायः केवल यात्रियों को लाने ले जाने के लिये है सामान ले जाने के लिये नहीं। और यदि कहीं वे माल ले भी जाते हैं तो वह भी बहुत ही सीमित मात्रा में। इस सम्बन्ध में मैं सदन को यह आश्वासन भी देना चाहता हूं कि यदि उन क्षेत्रों में यात्रियों को लाने और ले जाने का सारा काम यदि राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाने वाले सड़क यातायात द्वारा ले लिया जाता है तो वे बहुत सी बातें समाप्त हो जायेंगी जिनके कारण असन्तोषजनक प्रतियोगिता की सम्भावना हो सकती है। इसलिये यदि परिवहन मन्त्रालय सड़क यातायात की रूपरेखा के बारे में निश्चित कर लेता है तो रेलवे को इसकी सहायता करने में कोई संकोच नहीं है चाहे वह यातायात निगमों द्वारा किया जाये अथवा विभागीय आधार पर।

श्री माथुर ने आर्थिक बचत का उल्लेख किया है। इस बारे में मैं यह बता देना चाहता हूं कि मितव्ययता का कार्य प्रारम्भ हो गया है। पिछले महीने में रेलवे बोर्ड में तीन उपसंचालकों के पद समाप्त कर दिये गये हैं और भी कमी करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। किन्तु इतना स्मरण रखना चाहिये कि जब व्यापक रूप से मितव्ययता को लागू किया जाता है तो ऐसा होता है कि एक क्षेत्र में कुछ पदों की कमी की जाती है तो कुछ क्षेत्र में कुछ पदों की वृद्धि की जाती है। श्री विट्ठल राव ने कल्याणाधिकारी के कार्यों के बारे में पूछा है। यह कल्याणाधिकारी सचिवालय के कर्मचारियों के कल्याण कार्यों की देखभाल के लिये ही मंत्रालय में रखा गया है। हम इस सम्बन्ध में यह निर्णय कर चुके हैं कि प्रत्येक मन्त्रालय में सचिवालय के कर्मचारियों के कल्याण कार्यों की देख भाल करने के लिये एक कल्याणाधिकारी होना चाहिये। किन्तु मेरा अपना ऐसा विचार है कि प्रत्येक रेलवे के कल्याणाधिकारियों के कार्यों के समन्वय की आवश्यकता है। आजकल कल्याण-कार्य कुछ मदों तक ही सीमित हैं किन्तु मैं उनका विकास करना चाहता हूं और इसलिये यह आवश्यकता है कि रेलवे बोर्ड में एक पद कल्याण-कार्य परामर्शदाता का हो जो विभिन्न रेलों के कल्याणकारी अधिकारियों के कार्यों का समन्वय करे और कुछ नये प्रकार के कार्य शुरू करे जैसे कि कर्मचारियों की बस्तियों का निरीक्षण, तथा कर्मचारियों के परिवारों में कुछ कलात्मक और घरेलू उद्योग धंधों के काम करने के लिये प्रोत्साहन दे। एतदर्थ इस प्रयोजनार्थ रेलों में कर्मचारियों में वृद्धि करने की आवश्यकता होगी।

सर्वेक्षण के बारे में मैं ने जो कहा है वह इस दृष्टि से ठीक है कि मैं यह नहीं चाहता कि उन स्थानों का भी सर्वेक्षण किया जाये जहां सर्वेक्षण के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ न हो सके। कुछ लोगों को अस्थायी सन्तोष देने के लिये सर्वेक्षण कराने के पक्ष में मैं नहीं हूं। अनुपूरक मांगों में जिन सर्वेक्षणों का उल्लेख किया गया है वहां किसी न किसी कारणवशात् रेलवे लाइन बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

भांडारों के सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि जिन चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है वे हम नहीं खरीदते। मैं ने एक विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति इस दृष्टि से की है कि वे इस बात को देखें हमारे भांडारों में जो सामान बाकी है उसे समाप्त कर के उसे कम से कम किया जाये। कहीं-कहीं हम ने भांडारों के मामले में यह दिखाया है कि चीजें अधिक न रहें कर कम ही रहीं इसलिये सदन को मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम ने वही सामान खरीदा है जो निकट भविष्य में काम आयगा और आवश्यकता से अधिक सामान न खरीद कर हम ने धन को फंसाया नहीं है।

[श्री जगजीवन राम]

इगातपुरी–भुसावल रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करने में विद्युत् का न मिलना ही हमारी कठिनाई है । हम चोला पावर हाउस से बिजली प्राप्त करने की सोच रहे हैं । दूसरी ओर अकोला पावर हाउस से भी बिजली मिलने की बात थी किन्तु ज्ञात हुआ है कि वहां से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बिजली नहीं मिल सकेगी । इसलिये उस कार्यक्रम में थोड़ी ढील डाल दी है । इस लाइन से सम्बन्धित सभी निर्माण कार्य तो समाप्त हो जायेगा और जैसे ही बिजली मिलेगी हम कार्य आरम्भ कर देंगे । असली कठिनाई आवश्यकतानुसार बिजली न मिलने की है । जिन क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने का हम वचन दे चुके हैं वहां तो सर्वेक्षण किया जायेगा किन्तु नये स्थानों में सर्वेक्षण नहीं किया जायेगा ।

विदेशी विनिमय कमाने के लिये निर्यात में वृद्धि करने के हेतु भाड़े में कुछ छूट दी जाये इस सम्बन्ध में एक समिति निरन्तर विचार कर रही है । मेरा विचार है कि रेलवे मंत्रालय यह निर्णय करने के लिये उपयुक्त नहीं है कि अधिक विदेशी विनिमय कमाने के लिये और निर्यात में वृद्धि करने के लिये किन-किन वस्तुओं पर भाड़े में छूट दी जाये । वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ही इसका निर्णय कर सकता है और उन के पदाधिकारी तथा हमारे पदाधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि वे कौन सी वस्तुयें हैं जिन पर छूट दी जा सकती है और वह छूट कितनी होगी ।

श्री त०ब० विट्ठल राव खंडवा-हिंगोली लाइन सम्बन्धी कठिनाइयों के बारे में जानते होंगे । वहां जो उतार चढ़ाव हैं उन के बारे में उन को जानकारी होगी । इस के अतिरिक्त वहां और भी कठिनाइयां हैं । वहां बहुत से पुलों की भी समस्या है । गर्डर भी नहीं मिले थे किन्तु अब शायद मिलने लगे हैं । इसलिये काम में कुछ देरी हो गयी । किन्तु फिर भी इस को शीघ्र समाप्त करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं ।

रेलों में काम करने वाले सभी आकस्मिक श्रमिकों को हम काम दे सकेंगे इस के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता । सम्भवतः यह संभव नहीं होगा । हो सकता है उन में से कुछ को हम काम दे सकें ।

दक्षिण रेलवे को बंगाल बिहार से समुद्र द्वारा जहाजों से कोयला लाने में अधिक भाड़ा देना पड़ता है किन्तु अब मालगाड़ी के डिब्बों की स्थिति में काफी सुधार हो गया है अतः हम ने निश्चय किया है कि कोयला रेलों द्वारा ले जाया जाय । केन्द्रीय भारत में कोयला खदानों की स्थिति में सुधार हो जाने के पश्चात् वहां से दक्षिण को कोयला ले जाना लाभदायक होगा ।

रेलवे कर्मचारियों की वर्दी सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन पर रेलवे बोर्ड द्वारा विचार किया जा रहा है । मैं स्वयं भी इस की जांच करूंगा ।

स्कूल के विद्यार्थियों से फीस लेने के बारे में हम भी रेलवे स्कूलों में उसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं जो राज्य सरकारों द्वारा अपनाई हुई है । श्री विट्ठल राव ने जो प्रश्न उठाया है हम ने यह मामला राज्य सरकारों को भेज दिया है । यदि वह राज्य सरकार से जल्दी ही उत्तर भिजवा दें तो इस मामले में निर्णय करने में शीघ्रता की जा सकती है ।

पैराम्बूर तथा फर्निशिंग यूनिट में दूसरी पाली जारी करने के पक्ष में मैं हूं । सदन को मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि अब हमें विदेशी विनिमय मिल गया है तो फर्निशिंग यूनिट का निर्माण कार्य शीघ्र ही किया जायेगा ।

अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि जो भी सुझाव दिये गये हैं उन पर मैं विचार करूंगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** रेलवे मंत्रालय की अनुपूरक मांगों के स्वीकृत हो जाने की तो पूरी आशा है किन्तु सदस्यों की अनुपूरक मांगों के स्वीकृत होने की कोई संभावना नहीं है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** १०० करोड़ रुपये की अधि-पुंजीयन के बारे में रेलवे जांच समिति तथा रेलवे अभिसमय समिति दोनों ने यह सिफारिश की है कि इस राशि का अपलेखन कर दिया जाये। अब १९५९ है और हम दूसरी अभिसमय समिति की स्थापना करने वाले हैं ।

†**श्री जगजीवन राम :** चूंकि दूसरी अभिसमय समिति बनने वाली है इसलिये इस प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दूंगा । लेकिन इस पर हम लगातार विचार कर रहे हैं क्योंकि यह रेलों के लिये लाभदायक है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब मैं कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या ३, १४, १५, १२, १३, १६, १७ और १८ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रेलवे मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिये रखी गईं और स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		(रुपये)
१	रेलवे बोर्ड	२,६२,०००
२	विविध व्यय	२७,४१,०००
४	सामान्य कार्यवहन व्यय—प्रशासन	१,८१,८८,०००
५	सामान्य कार्यवहन व्यय—मरम्मत तथा संधारण	२,६२,५३,०००
६	सामान्य कार्यवहन व्यय—संचालक कर्मचारी	८८,५३,०००
७	सामान्य कार्यवहन व्यय—संचालन (ईंधन)	२,३७,०८,०००
८	सामान्य कार्यवहन व्यय—कर्मचारियों तथा ईंधन के अतिरिक्त संचालन	१,५०,६४,०००
१०	सामान्य कार्यवहन व्यय—श्रम कल्याण	४३,७४,०००
१२	साधारण राजस्व में देय लाभांश	४४,३६,०००
१६	चालू लाइनों पर विस्तार	१८,५८,८६,०००
१७	चालू लाइनों पर काम—प्रतिस्थापन	१३,५९,०३,०००
१९	विविध प्रभार—विकास निधि	१८,९३,०००

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

छत्तीसवां प्रतिवेदन

†**सरदार अ० सिं० सहगल** (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन से, जो ४ मार्च, १९५९ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छत्तीसवें प्रतिवेदन से, जो ४ मार्च, १९५९ को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

तेलों का जमाना (अपराध) विधेयक

†**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** (इटावा) : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत में तेलों को जमाने पर रोक लगाने और तत्सम्बन्धी बातों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत में तेलों को जमाने पर रोक लगाने और तत्सम्बन्धी बातों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

सहकारी समितियां विधेयक

†**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** (इटावा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सहकारी समितियों सम्बन्धी विधान को समेकित करने तथा उस में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि सहकारी समितियों सम्बन्धी विधान को समेकित करने तथा उस में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मेरा एक औचित्य प्रश्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि आप अनुसूची ७, मद संख्या ३२ देखें तो आप को ज्ञात हो जायेगा कि सहयोग तथा सहकारी समितियों का मामला पूर्णतः राज्य क्षेत्राधिकार में है। १९१९ से पूर्व दो केन्द्रीय विधान थे। १९१९ के बाद से यह हस्तान्तरित विषय बन गया। भारत शासन अधिनियम, १९३५ के अनुसार वह प्रान्तीय विषय बन गया और संविधान के अनुसार वह राज्य का विषय हुआ। अतः मेरी समझ में यह बात नहीं आती किस प्रकार संसद् में इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : माननीय कानून मंत्री महोदय ने यह राय जाहिर की है कि चूंकि यह विषय प्रान्तीय सरकारों का है, इसलिये इस विधेयक को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो केन्द्रीय सरकार का कोआप्रेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, १९१२ है वह अभी तक भी इन-फोर्स है, वह अभी तक लागू है। ऐसी हालत में यह कैसे कहा जा सकता है कि कोई दूसरा संशोधन या कोई दूसरा नया बिल नहीं लाया जा सकता है।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है यह है कि मिनिस्ट्री आफ फूड एंड एग्रिकलचर ने गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से कमेटी आन कोआप्रेटिव ला जो बनाई है और उस की जो रिपोर्ट है, उसने भी इस बात को स्वीकार किया है, उस ने भी माना है कि देश के अन्दर एक ऐसा कानून होना चाहिये जो सहकारिता आन्दोलन को आगे बढ़ा सके और ऐसे कानून की बहुत आवश्यकता है जिस का एक रूप हो और एक रूप किसी कानून को देना तभी सम्भव है जबकि केन्द्रीय सरकार कोई कानून बनाये या कोई नियमावली तैयार करे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रान्तों के अन्दर विभिन्न रूपों में सहकारी समितियों के बारे में कानून हैं, बाई-लाज़ हैं और वे बिगड़ी हुई दशा में हैं और उन से सुधार की कोई सम्भावना नहीं है। इस वास्ते यह बात जरूरी समझी गई कि एक ऐसा विधेयक पेश किया जाये, एक ऐसा कानून बनाया जाये जोकि सारे देश पर लागू हो सके।

अभी माननीय मंत्री महोदय की तरफ से दलील पेश की गई है कि यह विषय प्रान्तीय सरकारों का है। लेकिन मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के मातहत भी कुछ प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है जहां पर कि इस कानून को लागू किया जा सकता है। इस वास्ते मैं समझता हूं कि इस विधेयक का स्वीकार किया जाना बहुत आवश्यक है। मैं समझता हूं कि अगर यह प्रान्तीय सरकारों का सबजैक्ट है, तो साथ ही साथ केन्द्रीय सरकार का भी सबजैक्ट है।

माननीय मंत्री महोदय ने जो दलील दी है वह एक ही बात से खत्म हो जाती है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट का जो कोआप्रेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, १९१२ है वह अभी तक इनफोर्स है और मैं कोई कारण नहीं देखता हूं कि इस बिल को पेश करने की अनुमति क्यों न दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय विधि मंत्री को संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में कुछ कहना है ?

†**श्री अ० कु० सेन :** यह केवल संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू हो सकता है। लेकिन इस में परिवर्तन की आवश्यकता होगी। जिस रूप में यह है उस रूप में इसे पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता। माननीय सदस्य का कहना है कि यह भारत के सारे राज्यों पर लागू हो सकता है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** चर्चा के दौरान में अथवा इस विधेयक के पुरःस्थापन के बाद इसमें यह संशोधन किया जा सकता है।

†**श्री अ० कु० सेन :** यह निर्णय देना तो आप का काम है। हमारा उद्देश्य तो माननीय सदस्य की सहायता करना है। माननीय सदस्यों को शायद याद होगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद् का एक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

संकल्प है जिस में कहा गया है कि सहयोग और सहकारी समितियों सम्बन्धी विधान को आसान बनाया जाये । यह बात दूसरी है । हो सकता है कि राज्यों में समझौता हो जाने पर सभी राज्यों को एक साथ कानून बनाना पड़े ।

अब प्रश्न यह उठता है कि १९१२ का अधिनियम अभी तक क्यों प्रचलित है । इस का कारण तो यही है कि संविधान के अनुच्छेद ३७२ में यह व्यवस्था की गई है कि संविधान के लागू होने पर वे सभी अधिनियम जो प्रचलन में हैं, चाहे वे राज्य क्षेत्राधिकार में हैं अथवा केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में, लागू रहेंगे । लेकिन इस का यह मतलब नहीं कि यह केन्द्रीय विषय हो गया है । केवल संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में संसद को विधान बनाने का अधिकार है । मेरा विचार है कि माननीय सदस्य का विचार यह नहीं है कि इसे केवल संघ राज्य क्षेत्रों के लिये बनाया जाये । वस्तुतः इस का उद्देश्य दूसरा ही है । यह प्रश्न क्षमता का है, क्या आप इसे यहां पुरःस्थापित कर सकते हैं अथवा नहीं । जब तक इस में संशोधन न हो, तब तक शायद आप इस के पुरःस्थापित करने की भी अनुमति नहीं दे सकते । क्योंकि यह संसद् की क्षमता से बाहर की चीज़ है । यदि माननीय सदस्य ऐसा विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं जो केवल संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू हो तो वे ऐसा कर सकते हैं । वह विधेयक इस विधेयक से बिल्कुल दूसरे ढंग का होगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि सहकारी समितियों सम्बन्धी विधान को समेकित करने तथा उस में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ—

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** (महेन्द्रगढ़): मैं प्रस्ताव करता हूं कि "बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि बैंकिंग समवाय अधिनियम, १९४९ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बैंक आफ पटियाला विलय विधेयक

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** (महेन्द्रगढ़): मैं प्रस्ताव करता हूं कि "बैंक आफ़ पटियाला के भारत के राज्य बैंक में विलय की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है ।

"कि बैंक आफ़ पटियाला के भारत के राज्य बैंक में विलय की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम २० फरवरी, १९५९ को श्री राधा रमण द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये, आगे चर्चा करेंगे ।

†**श्री राधा रमण** (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक बड़ा सरल है और इस के द्वारा केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा ५६, और १२३ को संशोधित किया जाना है । अपने अनुभवों के आधार पर हम मूल अधिनियम में संशोधन करते ही रहे हैं । धारा ५६ में यह उपबन्ध होना चाहिये कि किसी चुनाव क्षेत्र में मतदान वाले क्षेत्र में निर्धारित दिन पर छुट्टी हो । यद्यपि यह चुनाव आयोग के प्राधिकार में ही है कि छुट्टी के दिन ही वह चुनाव करवा ले, परन्तु गैर-सरकारी सार्थों और औद्योगिक निकायों में प्रायः छुट्टी नहीं दी जाती । अतः इस दिशा में धारा ५६ में संशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर देनी चाहिये ।

चुनाव के काम को करने के लिये हजारों आदमियों को भर्ती किया जाता है और लाखों लोगों की रुचि इस में होती है । यदि मतदान के लिये निर्धारित दिन पर छुट्टी न हो तो काफी कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ता है । देश के प्रत्येक वयस्क का इन चुनावों से सम्बन्ध है । इस से मतदाताओं को तो सुविधा होगी ही, उम्मीदवारों और चुनाव अभिकर्ताओं को भी आराम होगा । अतः यह उपबन्ध बड़ा आवश्यक है ।

अब मैं विधेयक के दूसरे भाग की ओर आता हूं । इस का सम्बन्ध धारा १२३ से है जिस के अन्तर्गत भ्रष्टाचार और चुनाव अपराधों की व्यवस्था है । इस के अन्तर्गत भ्रष्टाचार की बड़ी व्यापक परिभाषा दी गई है और उसमें कई प्रकार की बातें आ जाती हैं, मैं उस में दो की और वृद्धि करना चाहता हूं ।

प्रथम यह कि लोग हजारों रुपये का खर्चा कर के बड़े लम्बे और चौड़े स्टैंसिल बनवाते हैं और फिर उन को दीवारों पर लगा कर सरकारी और गैर-सरकारी दीवारों को खराब करते हैं । इसे भ्रष्ट प्रक्रियाओं में सम्मिलित किया जाये । यह दीवारों पर कई कई साल तक लगे रहते हैं और यह बहुत बुरी बात है और इस से उम्मीदवारों को कुछ लाभ नहीं पहुंचता । अतः मेरे विधेयक में सुझाव है

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राधा रमण]

कि इसे भ्रष्टाचार में जोड़ दिया जाये । यह बात सभी दलों और लोगों के लिये होगी और चुनाव परिणामों पर इस का विशेष प्रभाव नहीं होगा ।

यह भी हमने देखा है कि चुनावों में नारा-पताकायें (बैनर) इत्यादि पर हमें बहुत अधिक खर्च करना पड़ता है बाजारों में उन्हें लगाने और प्रदर्शन करने पर भी रोक लगाने के लिये एक अन्य छोटा सा उपबन्ध है । इस से चुनाव के खर्चों में काफी कमी हो जायेगी । इंग्लैण्ड के विधान में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है । सरकार को इन तीनों संशोधनों पर विचार करना चाहिये और अपने विधान को इंग्लैण्ड के विधान के अनुरूप बनाना चाहिये । हम ने जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित किया है वह भी इंग्लैण्ड के ढंग का ही है । अन्य कई मामलों में भी हम इंग्लैण्ड के ढंग पर ही चल रहे हैं ।

अतः इस संशोधन विधेयक को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये । इस से काफी परेशानी और खर्चा बच जायेगा ।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मैं श्री राधा रमण जी के प्रथम संशोधन का तो समर्थन करता हूं । सरकार को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये और गृह मंत्रालय को तत्सम्बन्धी आदेश जारी कर देने चाहियें । मतदान के दिन छुट्टी की घोषणा कर देनी चाहिये । दिल्ली में हुए निगम के चुनावों में हम ने देखा कि बहुत से लोग मतदान के लिये न जा सके क्योंकि उन के लिये काम को छोड़ कर जाना सम्भव नहीं था । यही कारण था कि कई एक क्षेत्रों में मतदान का अनुमान आशा से कम था । यह भी है कि जिस दल के पास पर्याप्त साधन थे उन्हों ने मतदाताओं के लिये गाड़ियों इत्यादि की व्यवस्था कर दी और गरीब उम्मीदवार बेचारे घाटे में रहे । अतः यह छुट्टी का उपबन्ध बड़ा ही आवश्यक है और मैं इस में भी श्री राधा रमण का समर्थन करता हूं ।

परन्तु जहां तक दूसरे संशोधन का सम्बन्ध है, मैं इस बात को मानता हूं कि स्टैंसिलों से दीवारें खराब होती हैं, परन्तु यह कहना गलत है कि अन्य देशों में स्टैंसिलों का प्रयोग नहीं होता । परन्तु हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि हमारे देश में तुलनात्मक तौर पर शिक्षा स्तर बहुत नीचा है । हमें खास प्रकार के चुनाव चिह्न को लोगों में लोकप्रिय बनाने के लिये प्रचार करना होता है । उम्मीदवार का नाम तक भी लोगों तक पहुंचाने के लिये बहुत कुछ करना होता है । यह बात गलत है कि इस पर बहुत कुछ खर्च किया जाता है । यह स्टैंसिल वहां नहीं लगाये जाते जहां कि विज्ञापन लगाया जाना वर्जित हो और कोई भी जान बूझ कर किसी इमारत को खराब नहीं करता । अपने चुनाव चिह्न का अच्छी प्रकार प्रदर्शन करने को आप भ्रष्टाचार नहीं कह सकते । अतः मैं प्रथम संशोधन का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि दूसरे संशोधन को रद्द कर दिया जाये अपने नाम और चुनाव चिह्न का प्रदशन करने में मुझे कोई भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देता । मैं प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को वापिस ले लिया जाये ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम्) : मेरे विचार में श्री राधा रमण अपने संशोधन से यही चाहते हैं कि मतदान वाले क्षेत्र में सार्वजनिक छुट्टी हो, न कि सारे चुनाव क्षेत्र में । मैं इसके पक्ष में हूं, परन्तु चुनाव क्षेत्र तो काफ़ी बड़े हैं और उसमें यह सम्भव नहीं । दूसरा संशोधन काफी व्यापक है । स्टैंसिल की हुई प्रतिलिपि इत्यादि के लगाने के मामले में भ्रष्टाचार की बहुत गुंजाइश है; किसी को भी इस रगड़े में बड़ी आसानी से लिया जा सकता है । इस मामले में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है । मेरा सुझाव है कि संशोधनों का दूसरा भाग उन्हें वापिस ले लेना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : इस विधेयक के दो अंग हैं। एक का सम्बन्ध धारा १२३ के संशोधन से है, जिसके द्वारा कुछ और कृत्यों को भ्रष्टाचार के अन्तर्गत समझा जायेगा। दूसरा भाग मतदान दिवस पर छुट्टी घोषित करने का है निस्संदेह जो बातें अनुचित हैं उन्हें भ्रष्टाचार घोषित किया जाये। यह ठीक है कि चुनाव में ईमानदारी रखी जानी चाहिये परन्तु क्या यह ईमानदारी नागरिक जीवन में कानून के डर से लाई जा सकती है? और क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है? यह बात विचार करने योग्य है। सरकारी और गैर-सरकारी इमारतों को खराब करने के लिये सजा इत्यादि की व्यवस्था करना ही यदि लक्ष्य हो तो इसके लिये निगम अथवा नगरपालिका अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है।

मूल अधिनियम के अनुसार किसी भी कृत्य को तब तक आप भ्रष्टाचार में नहीं रख सकते जब तक कि वह, उम्मीदवार, उसका अभिकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसकी इच्छा से नहीं होता। इस संशोधन से तो यह हो जायेगा कि कोई भी कृत्य चाहे उम्मीदवार की उसके करने की इच्छा हो अथवा न हो, उसके सर मढ़ दिया जायेगा। यह बड़ी गम्भीर बात है और इससे बड़ी गम्भीर कठिनाइयां पैदा हो जाने की सम्भावना है। मैं प्रस्तावक महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह संशोधनों का दूसरा भाग वापिस ले लें।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं नहीं जानता कि अन्य राज्यों में क्या प्रथा है परन्तु जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है इस मामले में कोई कठिनाई नज़र नहीं आती। हमारे यहां मतदान सारे चुनाव क्षेत्र में एक ही दिन होता है। अतः चुनाव क्षेत्र और मतदान क्षेत्र में अन्तर करना आवश्यक प्रतीत होता है। लोक तंत्र को प्रभावशाली बनाने के लिये यह बड़ी आवश्यक बात है कि इस दिशा में समुचित सुविधायें प्रदान की जायें। कई श्रमिक अथवा अध्यापक इस कारण मतदान के लिये नहीं जा सके क्योंकि उन्हें सवेतन छुट्टी उपलब्ध न हो सकी। मतदान के दिवस को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जानी चाहिये ताकि लोग मतदान के महत्व को समझ सकें। लोकतंत्रीय व्यवस्था पैदा करने के लिये यह बड़ी आवश्यक चीज़ है कि लोगों को इस अधिकार का प्रयोग सिखाया जाये।

कुछ लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार सम्बन्धी धारा १२३ में खण्ड ३ को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। वे इस धारा की परिधि को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। मैं यह भी समझ नहीं सका कि, भ्रष्टाचार घूस इत्यादि से उनका आखिर मतलब क्या है। मेरा मत यह है कि इन २ खण्डों को धारा १२३ में जोड़ देने से कोई हानि नहीं। हमारे यहां अनुचित चीजें समाप्त होनी चाहियें और किसी भी राजनीतिक दल को ऐसी बात नहीं करनी चाहिये जो उचित न हों। दीवारों पर स्टैंसिलिंग करने का रोग दूर होना चाहिये। यह सामान्य शिष्टाचार के भी विरुद्ध है। यह निम्न कोटि की बातें हैं और हमें सिद्धान्तों को सामने रख कर चुनाव संघर्ष में भाग लेना चाहिये। ऐसी बातों से राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार लोकप्रिय होने के स्थान पर बदनाम हो जाते हैं। अतः हमें इस प्रकार की बातों से लगाव नहीं होना चाहिये। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह नगरपालिकाओं तथा निगमों का काम नहीं। नालियों, गलियों अथवा सफाई का भी इससे कोई सम्बन्ध नहीं। यह तो स्वस्थ सार्वजनिक जीवन के निर्माण का प्रश्न है। संसदीय प्रक्रियाओं और संसदीय स्तरों को मान्यता देने का प्रश्न है। इसलिये इस मामले को स्थानीय निकायों के सुपुर्द नहीं किया जा सकता।

कहा गया है कि नारा-पताकायें इत्यादि लगाने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिये। बात ठीक है इसमें कोई हर्ज़ नहीं परन्तु यह राजनीतिक परिपक्वता का प्रतीक नहीं। मेरे कुछ मित्रों का विचार

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

है कि हमारे मतदाता बहुत अधिक समझदार नहीं हैं, मेरा मत इसके विपरीत है। मेरा मत यह है कि मतदाता मत प्राप्त करने वालों से कहीं अधिक समझदार है। इंग्लैंड के अधिनियम में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है, न भी हो तब भी हम स्वतंत्र रूप से आवश्यकता अनुसार अपना निर्णय कर सकते हैं।

जिन विदेशी लोगों ने बाहर से आकर हमारे चुनावों को देखा है, वे इससे काफी प्रभावित हुये हैं। परन्तु कई लोगों को नगरों और ग्रामों की दीवारों पर इन स्टैंसिलों को देख कर दुःख हुआ। और न ही वे लोग इन पताकाओं का अर्थ समझ सके। कई बार झंडों पर ही भीषण विवाद खड़े हो जाते हैं। अतः नागरिक शान्ति के हित में भी, यह झंडे इत्यादि लगाने की आदत दूर होनी चाहिये।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा अनर्हता निवारण अधिनियम का समय समय पर पुनरीक्षण होना चाहिये और समयानुकूल उसमें अपेक्षित संशोधन कर देने चाहियें। उसके लिये इस सदन की एक स्थायी समिति की स्थापना भी हो जानी चाहिये। इससे श्री राधा रमण जैसे माननीय सदस्यों को प्रत्येक बार इस प्रकार के विधेयक प्रस्तुत करने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा।

मैं जानता हूं कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की दशा क्या होती है। आजतक शायद ही किसी गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक स्वीकार किया गया है। केवल श्री फीरोज गांधी जी के एक विधेयक को इस दिशा में अपवाद कहा जा सकता है। परन्तु फिर भी इस विधेयक में निहित भावना को समझना चाहिये और प्रस्तावक महोदय की सराहना करनी चाहिये। इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और इसे प्रभावशाली लोकतंत्रीय व्यवस्था के लिये आवश्यक मानता हूं।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : यद्यपि मैं इस विधेयक से सहमत नहीं, परन्तु मैं इस बात के पक्ष में हूं कि सारे देश में एक ही दिन मतदान हो और उस दिन सार्वजनिक रूप में छुट्टी रहे। यह बात इस विधेयक को स्वीकार किये बिना भी की जा सकती है। मेरे चुनाव क्षेत्र में मतदान २० दिन चलता रहा। अब इतने दिन की छुट्टी तो सम्भव नहीं। मतदान क्षेत्र में भी विभिन्न प्रकार के दफ्तरों इत्यादि में काम करने वाले लोग होते हैं। अतः वहां भी एक समय छुट्टी कोई उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि मतदान के लिये जाने पर प्रत्येक प्रकार और वर्ग के कर्मचारी को जिन्हें डाक द्वारा मतदान करने के अधिकार प्राप्त नहीं छुट्टी मिल सके। पुलिस और सेना के लोगों के लिये भी व्यवस्था है परन्तु अधिक कठिनाई सरकारी दफ्तरों और कारखानों में काम करने वालों को होती है।

लोक तंत्र को सफल बनाने के लिये हमें प्रचार करना ही होता है। मतदाताओं को सभी प्रकार की बातों से जानकारी करानी होती है। परन्तु हमारे देश में जो प्रचार चलता है, उसे आप राजनीतिक शिक्षा नहीं कह सकते। यहां जो प्रचार चलता है उसका उद्देश्य तो विरोधी उम्मीदवारों पर कीचड़ उछालना होता है ताकि उनका लोगों पर असर कम हो जाये। अतः उचित प्रचार करने की व्यवस्था के लिये सभी दलों और व्यक्तियों की रुचि होनी चाहिये।

मेरा सुझाव है कि प्रत्येक सामान्य चुनाव के बाद चुनाव सुधार समिति की स्थापना करनी चाहिये और उसमें चुनाव आयोग को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये और संसद् के सदस्य

†मूल अंग्रेजी में

भी उसमें लिये जाने चाहियें। बीते हुये सारे चुनाव की छानबीन करके, उस अनुभव के आधार पर कानून में समुचित संशोधन कर देने चाहियें। धारा १२३ के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि पहले चुनाव सम्बन्धी अपराध दो प्रकार के थे। भ्रष्ट प्रक्रिया और अवैध कृत्य। इसके लिये कोई सजा का विधान नहीं था, केवल चुनाव अवैध हो जाता था। परन्तु अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन द्वारा इनके लिये भी सजा की व्यवस्था कर दी गयी है। मैं विधेयक में निहित विचार का समर्थक हूं और चाहता हूं कि अपराधों की रोकथाम के लिये व्यवस्था की जानी चाहिये।

खण्ड २ में जो व्यवस्था है उससे सचमुच कठिनाइयां होंगी। यदि किसी ने किसी उम्मीदवार पर आरोप लगाया तो यह पता नहीं लग सकेगा कि आया कोई काम, जिसके लिये आरोप लगाया गया है, विरोधी उम्मीदवार की मर्जी से हुआ है अथवा नहीं। अतः मैं इस विधेयक के वर्तमान प्रारूप का समर्थन नहीं कर सकता। यद्यपि मैं चाहता हूं कि चुनाव आयोग अथवा सरकार इस मामले पर समुचित विचार करे। यदि यह विचार सरकार को मान्य हो तो तत्सम्बन्धी संशोधन विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाना चाहिये ताकि बाद में सदन उस पर पूर्ण रूप से विचार कर सके।

†**सरदार अ० सि० सहगल** (जंजगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल मेरे मित्र श्री राधा रमण लाये हैं, उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मैं श्री राधारमण के इस कथन से बिल्कुल सहमत हूं कि जिस रोज़ पोलिंग हो उस रोज़ वोटर्स को छुट्टी रहनी चाहिये ताकि वे अपने मतदान का अधिकार अमल में ला सकें और मैं चाहता हूं कि इस तरह की व्यवस्था हर एक क्षेत्र में होनी चाहिये।

इसके साथ ही यह जो रिप्रेंजेंटेशन आफ दी पीपुल ऐक्ट १९५१ के सैक्शंस् ५६ और १२३ को अमेंड करने के लिए यह अमेंडमेंट बिल आया है उसके लिए मेरा कहना है कि आपको यह सुन कर ताज्जुब और दुःख होगा कि चुनावों के मौके पर कुछ पार्टियों के हमारे दोस्त लोग अपना चुनाव प्रचार करने और जनता को भड़काने के हेतु इस तरह के चित्र जनता में प्रचारित करते हैं जिनमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की तस्वीर बनी होती है और एक गाय या एक बछड़ा पास में खड़ा दिखाई देता है और उस गाय या बछड़े को मारने के लिये हाथ में छूरी ली हुई होती है और इस तरह के जनता को गुमराह और भड़काने वाले चित्रों का प्रचार हज़ारों लोगों के जल्सों में धड़ल्ले से किया जाता है और उनके खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। मैं समझता हूं कि इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं हैं और उन के ऊपर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता है। इसी तरह मकानों की दीवारों और सड़कों आदि पर जो जनता को भड़काने वाले नारे वगैरह लिखे जाते हैं और अनापशनाप तस्वीरें और पोस्टर्स चिपकाये जाते हैं, वे अवांछनीय हैं और उससे हमारे देश की जनता का स्तर ही गिरेगा और उससे देश का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता नुक्सान ही होगा। मैं तो क़ानूनमंत्री जो कि यहां पर बैठे हुये हैं उनसे यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिये उनको कोई कानूनी प्रतिबन्ध लगाना चाहिये और उसको ध्यान में रखते हुये इस सदन् के सामने यह और जो अन्य इस क़िस्म के बिल आ रहे हैं, उन्हें देखना चाहिये और यह विचार करना चाहिये कि वे क्या कार्यवाही कर सकते हैं और कहां तक उनके साथ जा सकते हैं। मैं नहीं कह सकता कि दूसरे देशों में ऐसा होता है या नहीं शायद न होता होगा और अगर होता होगा तो मुझे मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे। इस तरह के ज़हरीले और गंदे प्रचार से लोगों में जो बुरी भावना

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार अ० सि० सहगल]

पैदा होती है वह ठीक नहीं है। हमारे राष्ट्र और राष्ट्र के जो कर्त्ता धर्त्ता हैं उनके लिये लोगों के मन में बुरी भावना पैदा करना ठीक नहीं है। इस तरह की बुरी भावना पैदा करना ठीक नहीं है। यहां पर जातीयता के आधार पर या पार्टी विशेष के आधार पर यदि इस क़िस्म की चीज़ें होती हैं तो वे ठीक नहीं हैं। मेरे कहने का यह मतलब न लगा लिया जाय कि मैं किसी भी पार्टी को अपनी बात मतदाताओं के सामने रखने से रोकना चाहता हूं। बेशक़ वह अपनी तमाम बातें जनता और वोटरों के सामने रक्खें और अपनी पार्टी का प्रोग्राम रक्खें। लेकिन होता यह है कि वे इस क़िस्म की किताबें और पर्चे आदि बांटते हैं जिनमें अनाप-शनाप चीज़ें लिखी हुई होती हैं। और चुनावों में मैंने अक्सर देखा है कि हमारे कुछ भाई लोग इस तरह की हरकतें करते हैं जो कि वाजिब नहीं हैं और वह इस देश को नुक़सान पहुंचाने वाली हैं भले ही वे समझते हों कि इससे हमारी पार्टी को ताक़त मिलेगी और उस तरह ताक़त मिलने से हम अपनी पार्टी को बढ़ा सकेंगे, मैं समझता हूं कि उनका ऐसा ख्याल करना ग़लत है। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वे ऐसी चीज़ें न करें अलबत्ता और जितनी भी बातें और अपनी पार्टी का प्रोग्राम वगैरह वह जनता के सामने रखना चाहते हैं उसको वे बराबर रक्खें और इस प्लेटफ़ार्म से यदि दूसरी पार्टी वाले बोलना चाहते हैं तो बराबर बोलें। उनको पूरा हक़ इसके लिये होगा और उस पर कोई बंदिश किसी क़िस्म की न होगी लेकिन एक व्यक्तिगत आक्षेप किसी भी पार्टी के लीडर के खिलाफ़ या किसी भी पार्टी का जो उच्चाधिकारी हो या काम करने वाले हों उनके खिलाफ़ लाना मैं समझता हूं कि यह सभ्यता की निशानी नहीं है।

इन शब्दों के साथ श्री राधा रमण जो बिल लायें हैं मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करता हूं कि इस तरह की जो ग़लत और जनता को भड़काने वाली चीज़ें चुनावों के मौके पर किन्हीं पार्टियों या लोगों द्वारा की जाती हैं, उनको रोकने के लिये और उन पर क़ानूनी प्रतिबन्ध लगाने के लिये कोई इस तरह का बिल लाने की कोशिश करें जिससे कि उनको जनता की राय मालूम हो जाय और यदि वे चाहें तो उसे जनता की राय जानने के लिये भेज सकते हैं।

सुश्री मणिबेन पटेल (आनन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं कि श्री राधा रमण अपने इस बिल के द्वारा सरकार का ध्यान कई चीज़ें जो कि चुनाव में चल रही हैं, उनके बारे में दिलाना चाहते हैं और उनमें सुधार करने की ज़रूरत है ऐसा बताना चाहते हैं।

मैं तो जब चुनाव हुये तभी सोच रही थी और मैंने कई ज़िम्मेदार व्यक्तियों का इधर ध्यान भी खींचा था कि किसी न किसी तरह से यह जो मकानों की दीवारें और सड़कें वग़ैरह तरह तरह के नारे और चीज़ें लिख कर खराब की जाती हैं, उचित नहीं है और मेरा तो कहना है कि नारे बुरे हों या भले किसी का मकान खराब करना कौन सी अच्छी बात है। अब गत चुनाव को हुये दो साल हो गये लेकिन अभी भी उसके अगले चुनाव के समय के कहीं कहीं मकानों की दीवारों पर उस समय लिखे गये नारे वगैरह मौजूद हैं जो कि मेरी राय में नहीं होने चाहियें और मेरा सुझाव है कि हमें अपने लोगों को इसके लिये शिक्षित करना चाहिये कि वे ऐसी चीज़ न करें और इसलिये यह बिल जो मेरे भाई श्री राधा रमण लाये हैं वह स्वागत योग्य है और वह मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना ही नहीं मैं कहती हूं कि अभी चुनाव होने में समय है और हर एक स्टेट से इस सम्बन्ध में सुझाव मंगाये जायं कि चुनाव क़ानून में क्या-क्या तबदीलियों के करने की ज़रूरत है। जनता से भी राय इस बारे में मंगाई जाय कि इस चुनाव के क़ानून में क्या क्या परिवर्त्तन करने की ज़रूरत है जिससे कि चुनाव ठीक और हैल्दी हों। एलेक्शंस् में लोगों को जो शिक्षा मिले वह ऐसी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिये

कि जिसमें लोग गिरें और नैतिक अधःपतन हो। अब उसके लिये यह दलील देना कि चूंकि हमारे लोगों में अज्ञान है और पढ़े लिखे लोग नहीं हैं इसलिये दीवारों और सड़कों पर लिखने की ज़रूरत होती है या कपड़े पर लिख कर एक मकान से दूसरे मकान में बांध कर टांगने की ज़रूरत पड़ती है, मैं उनकी यह दलील नहीं मानती। हमारे लोगों में अक्षरज्ञान भले ही न हो परन्तु उनमें कौमेनसेंस का अभाव नहीं है और वे सब कुछ समझ सकते हैं और अपना भला-बुरा और हानि लाभ समझ सकते हैं। अब कुछ क्षेत्रों में भले ही इस तरह के चित्रों और भड़काने वाली लिखावटों का वहां के वोटर्स पर असर पड़ा हो और उन दिल हिलाने वाले चित्रों और लिखावटों से वे बह गये हों या डर से उन्होंने अपने मत दिये हों परन्तु साधारणतः हमारे लोग ऐसे बुद्धिहीन नहीं हैं भले ही उनमें अक्षरज्ञान न हो। लेकिन मेरा क़ानून मंत्री से अनुरोध है कि यह जो इस तरह की हरकतें भड़काने वाले चित्रों और लिखावटों की सड़कों और मकानों की दीवारों पर लिख कर किन्हीं लोगों अथवा पार्टियों द्वारा की जाती है, यह उचित नहीं है और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिये जो कि जनता को गिराने वाली हो। मंत्री महोदय को इस बारे में सोचना चाहिये कि अभी अगला चुनाव आने को आगे काफी समय है इसलिये चुनाव के क़ानून और रूल्स् में जो भी संशोधन और परिवर्तन वांछनीय हों, उनको कर लेना चाहिये।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** (हमीरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में दो, एक महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि मंत्री महोदय ने देखा कि एक नहीं बल्कि कई संशोधन विधेयक इस सदन में पास हुये हैं, उनका क्या कारण है? कारण यह है कि एलेक्शंस के समय जो गड़बड़ियां होती हैं और जो बुराइयां उत्पन्न होती हैं, उनकी तरफ सरकार की पूरी पूरी निगाह नहीं जाती। एलेक्शन कमिशन जो प्रतिवेदन रखते हैं संसद् के सम्मुख या जनता के लाभ के लिये उसमें केवल उन बातों का समावेश होता है जो एलेक्शन कमिशन के कर्मचारी-गण पता लगा पाते हैं। मेरा ख्याल यह है कि अगले एलेक्शन के काफी समय पूर्व इस बात का भी ख्याल रखना चाहिये कि आइन्दा से जो उम्मीदवार खड़े होते हैं अथवा पब्लिक के जो दूसरे लोग एलेक्शन में दिलचस्पी लेते हैं उनके सुझावों को भी सरकार मांगा करे कि कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जिनकी वजह से एलेक्शन में कमज़ोरियां या गड़बड़ियां पैदा होती हैं और उन सब बातों को देख कर जो संशोधन विधेयक चुनाव के पहले रक्खा जाय उसमें उन बातों पर ध्यान रख कर अगर देखा जायेगा और अमल किया जायेगा तो वह शिकायतें दूर हो सकती हैं।

अधिकतर संसद सदस्यों ने अथवा विधान सभा के सदस्यों ने इस बात को अनुभव किया है कि पीपिल्स रिप्रेजेंटेशन बिल में कुछ गड़बड़ियां रह गई हैं जिनके कारण बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी हमारे सदन में एक सदस्य हिमाचल प्रदेश से चुन कर आये थे, उन्होंने एक व्यक्ति को एजेंट मुकर्रर किया। उनको पता नहीं था कि उन्होंने किसको मुकर्रर किया है। लेकिन वह व्यक्ति फौज में नौकर था। उनको कई हजार फार्मों पर दस्तखत करने थे वह उन्होंने करके भेज दिये और स्थानीय लोगों ने नाम भर कर एजेंट मुकर्रर कर दिया। लेकिन जब उसे पता चला कि फौज का आदमी काम नहीं कर सकता तो उसने काम नहीं किया। लेकिन चूंकि वह उनके हस्ताक्षरों से एजेंट बना था इसलिये वह एलेक्शन रद्द कर दिया गया। अगर बिल में जरूरी सुधार कर दिया गया होता तो इस प्रकार एलेक्शन रद्द न होता, एलेक्शन रद्द होना कोई साधारण बात नहीं है।

दूसरी तरफ हमारा ध्यान उस मांग की तरफ भी जाना चाहिये जो कि श्री राधा रमण जी ने छुट्टी के मुताल्लिक की है। मैं उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं। चुनाव के दिन छुट्टी होना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री म० ला० द्विवेदी]

आवश्यक है । आप देखें कि अगर कोई मजदूर किसी कारखाने में काम करता हो और उस दिन छुट्टी न हो तो उसको मजदूरी जो कि मिलती है नहीं मिलेगी और जो वह रुपया दो रुपया उस दिन कमा सकता है नहीं कमा पायेगा, तो वह खायेगा क्या । ऐसी सूरत में उस दिन छुट्टी हो तो वह वोट दे सकता है और उसका नुकसान भी नहीं होगा ।

इसी तरह से बहुत से कर्मचारी जो रेलों में काम करते हैं उनका सवाल है । ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जो उनमें से वोटर हों उनको उस दिन छुट्टी मिलनी चाहिये और उस दिन दूसरे इलाकों के आदमी रेलों पर काम करें अगर रेल का काम बन्द नहीं करना है । लोगों को इस तरह छुट्टी न मिलने से वोटों पर बहुत असर पड़ता है और उम्मीदवारों को जितने वोट मिल सकते हैं नहीं मिल पाते । आज चाहे देश में बहुत से लोग बेकार हों लेकिन ऐसा समय आने वाला है कि अधिक से अधिक लोगों को काम मिल जायेगा । उस समय अगर छुट्टी की व्यवस्था नहीं हुई तो क्या परिणाम होगा । अगर छुट्टी न की गई तो उस समय यह होगा कि जो आजकल ४० या ४५ प्रतिशत वोट पड़ते हैं, उस समय २० प्रतिशत ही पड़ सकेंगे । ऐसी अवस्था में जिस दिन जिस इलाके में चुनाव हो वहां छुट्टी होना बहुत जरूरी है ।

मेरे भाई श्री श्रीनारायण दास जी ने इसका विरोध किया है । मैं समझता हूं कि या तो उन्होंने इस असुविधा को अनुभव नहीं किया या जान-बूझ कर उन्होंने इस चीज का विरोध किया है । मैं समझता हूं कि चाहे अभी इसको स्वीकार न करें लेकिन बाद में मंत्री महोदय भी इस की आवश्यकता को अनुभव करेंगे ।

पोस्टर लगाने का भी यहां विरोध किया गया । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आजकल इतने उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं कि मतदाताओं को पता नहीं चलता कि कौन कौन खड़ा हुआ है । ऐसी अवस्था में अगर उम्मीदवार मोटे मोटे अक्षरों में अपने नाम और अपनी विशेषतायें लिख कर जनता के सामने न रखें तो जनता को उनके बारे में जानकारी कैसे हो । तो ऐसी स्थिति में विज्ञापन करना आवश्यक है । अगर सरकार इसको बन्द कर देना चाहती है तो उसको यह व्यवस्था करनी चाहिये कि हर पोलिंग स्टेशन के आसपास कुछ बोर्ड रखे जायें ताकि उन पर उम्मीदवार अपने-अपने पोस्टर लगा सकें ताकि मतदाताओं को उनके बारे में जानकारी हो सके । इस प्रकार के बोर्ड मुख्य मुख्य स्थानों पर लगाये जाने चाहियें । तभी लोग जान पायेंगे कि कौन कौन उम्मीद्-वार खड़े हुये हैं । यह व्यवस्था हो जायेगी तब दीवारों पर पोस्टर लगाना बन्द हो जायेगा ।

मैं चाहता हूं कि इस बिल में यह संशोधन कर दिये जायें । मैं तो कुछ और सुधार भी सुझाना चाहता था पर वे इस बिल की परिधि के बाहर होंगे इसलिये नहीं सुझाता । जब माननीय मंत्री महोदय अपना बिल लायें उस समय इन बातों का ध्यान रख कर लायें और उस पर सदन की राय मालूम करें । खासकर ऐसे समय पर वह बिल लायें जबकि चुनाव हाल ही में हो चुका हो ताकि सदस्य उनको अपने ताजा ताजा अनुभव बता सकें । और उन सब बातों को मालूम करने के बाद बिल में उचित संशोधन किये जायें । मैं समझता हूं कि इस प्रकार जो संशोधन विधेयक आयेगा वह मुकम्मल होगा और तभी वह कामयाब हो सकता है ।

इन शब्दों के साथ मैं श्री राधा रमण जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का बिल ला कर जनता और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया ।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)**: मुझे यह कहते हुए संकोच होता है कि मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। श्री दी० चं० शर्मा ने यह आरोप लगाया है कि सरकार गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की असमय हत्या कर देती है। मैं इस आरोप का विरोध करता हूं। मेरी व्यक्तिगत भावना यह है कि यह एक भ्रांति-मात्र है। वस्तुतः कोई अच्छा विधेयक कभी व्यर्थ नहीं जाता है। संभव है कि गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक अस्वीकृत कर दिया जाय और वह सरकारी विधेयक का रूप रख कर सभा में पुनः प्रगट हो। निस्संदेह सदस्यों को उन के उत्साह और श्रम के लिये जो श्रेय मिलना चाहिये वह नहीं दिया जाता है। तथापि मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सभा में या अन्यत्र भी जो भी बात कही जाती है, सरकार उस पर गम्भीरता से विचार करती है और यथासंभव उस विषय पर अपना विधेयक प्रस्तुत करती है। वस्तुतः मैं माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं कि वे हमसे प्रोत्साहन न पाने पर भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। हम आशा करते हैं, कि यद्यपि टेक्नीकल दृष्टि से हम उनका विरोध करते प्रतीत होते हैं ---वे भविष्य में भी हमसे इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे।

विधेयक में यह कहा गया था कि मतदान वाले दिन छुट्टी होनी चाहिये। श्री दी० चं० शर्मा ने अपने तर्क इस आधार पर रखे हैं कि उस दिन सवेतन छुट्टी होगी। यदि प्रस्तावक महोदय का तात्पर्य सवेतन छुट्टी से है तो उन्हें बुनियादी कठिनाई पैदा हो जायेगी। इसके लिये संचित निधि से व्यय करना होगा अतः हमें विधेयक पर विचार करने के पूर्व कुछ प्रारम्भिक औपचारिक कार्यवाहियां करनी होंगी। क्योंकि इस संवविहित छुट्टी के लिये सरकार को कुछ व्यय करना होगा।

वस्तुतः यह प्रथा है कि कार्यपालिका के आदेश द्वारा चुनाव क्षेत्रों के सभी सरकारी कार्यालय चुनाव के दिन बन्द रहते हैं। निर्वाचन आयोग सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के सभी वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के कर्मचारियों को छुट्टी देने की दिक्कतों को महसूस करता है। इसलिये उन्होंने नियोजक संघों तथा अन्य प्राधिकारियों से यह प्रार्थना की है कि मजदूरों को बिना मजदूरी का नुकसान पहुंचाये हुये मत देने की सुविधा प्राप्त की जाय। मैं श्री बनर्जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि नियोजकों को यह भी सुझाव दिया गया है कि यदि किसी विशेष संस्थापन के अधिकतर श्रमिक किसी अन्य छुट्टी की एवज में, चुनाव के दिन छुट्टी के लिये, उचित समय पहले से निवेदन करते हैं तो प्रबन्धकों को ऐसी व्यवस्था स्वीकार कर लेनी चाहिये। यह व्यवस्था संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है और इस सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं आई है।

†**श्री स० म० बनर्जी**: जिन कारखानों में पारियों पर काम होता है वहां यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकती है।

†**श्री हजारनवीस**: चुनाव आयोग को अभी तक इस आशय की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि छुट्टी न देकर किसी को मतदान के अधिकार से वंचित किया गया हो। सदस्यों ने केवल हस्तक्षेप की संभावना ही प्रगट की है। इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वस्तुतः प्रश्न यह नहीं है कि सवेतन छुट्टी का व्यय सरकारी या वाणिज्यिक उद्योगों में से किसको वहन करना चाहिये। प्रश्न यह है कि इस विशेष चुनाव में ही छुट्टी की व्यवस्था न्यायोचित नहीं होगी अपितु नगर निगम तथा अन्य संस्थानों के चुनाव में भी छुट्टी की आवश्यकता होगी। और जब मतदान

---

† मूल अंग्रेजी में

[श्री हजारनवीस]

देने में केवल एक या आधा घंटा व्यय होता है तो सरकार या कोई गैर-सरकारी संस्था पूरे दिन का व्यय क्यों उठायें। मेरे विचार से चुनाव आयोग द्वारा किये गये वर्तमान प्रबन्ध द्वारा मतदाता को मतदान करने में दो घंटों से अधिक का समय नहीं लगता है। व्यवस्था में और भी सुधार किया जा सकता है। मेरे विचार से इस विधेयक का ग्रामीण जनता से कोई सम्बन्ध नहीं है यह केवल नागरिक क्षेत्रों में मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं से सम्बन्ध रखता है।

वस्तुतः प्रश्न केवल यह है कि कई छुट्टियां करने पर जो व्यय होगा वह मतदान के लिये आवश्यक समय को देखते हुये क्या न्यायोचित कहा जा सकता है। पहिले ही यह शिकायत है कि हमारी छुट्टियों की संख्या बहुत अधिक है। ब्रिटेन में चुनाव के दिन कोई छुट्टी नहीं दी जाती है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि नगरों में रहने वाले गैर-सरकारी फर्मों के कर्मचारी, अपने नियोजकों से मतदान करने की छुट्टी मांगते हैं और उन्हें मतदान करने से कोई नहीं रोकता है।

चुनाव के दिन पूरे दिन की छुट्टी करने से काम की मात्रा के अनुसार मजूरी पाने वाले श्रमिकों को घाटा होगा। चुनाव के पूरे दिन संस्थापन के बन्द रहने से उन्हें पूरे दिन की मजूरी का घाटा होगा। यदि वे सुबह मतदान कर, पूरे दिन भर काम करना चाहें तो उन्हें कौन रोक सकता है। जब हम उत्पादन बढ़ाना चाह रहे हैं तो कारखानों को बन्द क्यों किया जाये। सरकार इसे न्यायोचित नहीं समझती है। वह वर्तमान प्रबन्ध को पूर्णतः संतोषजनक मानती है।

विधेयक के दूसरे अंश के सम्बन्ध में श्री चे० रा० पट्टाभिरामन व श्री च० सिं० सरहदी मेरे दृष्टिकोण को पर्याप्त व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने ठीक ही कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उद्देश्य स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव करवाना है। उक्त अधिनियम में इस बात के प्रति पूरी सावधानी बरती गयी है कि चुनाव व्यवस्था इस प्रकार की हो कि चुनावों के परिणाम से जनता की राजनैतिक पसन्द मालूम हो सके और उस पर वित्तीय तथा साम्प्रदायिक बातों का प्रभाव न पड़ सके।

इस विधेयक में दीवारों को बिगाड़ने के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई है। वस्तुतः यह आपत्ति सौन्दर्यानुभूति की दृष्टि से की गई है न कि चुनाव प्रचार की दृष्टि से। आपत्ति प्रचार करने पर नहीं, प्रचार के तरीके पर की गई है। यदि श्री दी० चं० शर्मा और अ० सिं० सहगल की आपत्तियां सही हैं तो निसंदेह स्थिति शोचनीय है। यहां आपत्ति लिखी हुई बातों पर की गई है न कि लिखने के तरीके पर।

संविधान में विचारों की अभिव्यक्ति की अधिकतम स्वतन्त्रता देने की प्रत्याभूति दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का तात्पर्य कही जाने वाली बात से ही नहीं अपितु कहे जाने के तरीके से भी होता है। आप शब्दों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, छपवा कर या लाउड स्पीकर से अपने बिचार व्यक्त कर सकते हैं। यदि आपकी बात आपत्तिजनक नहीं है, तो कहने के तरीके पर, जब तक वह समाज विरोधी नहीं है। आपत्ति नहीं की जा सकती है। मैं श्री अजित सिंह सरहदी की इस बात से सहमत हूं कि यदि नारा पताकायें (बैनर्स) से यातायात में बाधा पहुंचती हो, या वे अशिष्ट हों या उससे उस क्षेत्र के लोगों के आराम में बाधा पहुंचती हो तो नगरपालिका या जिला बोर्ड इस दृष्टिकोण से उस पर आपत्ति कर सकता है। क्योंकि ये बातें उनके क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। चुनाव अपराधों के अन्तर्गत यह बात तभी आ सकती है जब कि इससे स्वतन्त्र और निश्पक्ष चुनावों पर रोक लगती है। यदि मैं अपनी इच्छानुसार, अपने घर की दीवार में श्री राधारमण के

पक्ष में एक अपील लिखता हूं तो यह अपराध नहीं कहा जा सकता है। मैं पर्चियां छपवा सकता हूं या बोर्ड लगवा सकता हूं। कुछ लोग इसे दीवार बिगाड़ना कहेंगे तो कुछ इसे कला प्रदर्शन भी कह सकते हैं। सम्पत्ति का मालिक, अपनी सम्पत्ति का प्रयोग विधि के अधीन रहते हुये इच्छानुसार कर सकता है। जब तक उसका कार्य समाज विरोधी, नैतिकता या समाज के स्वास्थ्य व सुरक्षा के प्रतिकूल नहीं हैं उसे अपनी सम्पत्ति के प्रयोग की पूरी स्वतन्त्रता है। विचारों की अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में भी यही बातें लागू होती हैं।

अतः यदि कोई व्यक्ति अपने घर की दीवार में अमुक व्यक्ति को मत देने के प्रचार के लिये लिखता है तो उसे कदाचार नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि यदि मैं यही बात मुंह से कहूंगा या पर्चियों में छपवाऊंगा या एक बोर्ड में लिखूंगा तो इस विधेयक के उपबन्ध मेरे पर लागू नहीं हो सकेंगे। यह बात तर्क संगत प्रतीत नहीं होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दूसरे के मकान की दीवार पर ऐसी अपील लिखता है तो बिना मकान मालिक की इच्छा के ऐसा करना मकान को हानि पहुंचाने या दूसरे की सम्पत्ति में अनधि प्रवेश के अपराध के समकक्ष है। इसलिये यदि कोई व्यक्ति किसी सदस्य के मकान में, उसकी इच्छा के विपरीत ऐसा लिख देता है तो उस पर व्यवहार न्यायालय में मुकदमा चल सकता है। और वे अपनी सम्पत्ति पर हानि पहुंचाने के एवज में मुआवजा लेने के अधिकारी हो सकते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति अपनी इच्छानुसार ऐसा करने की अनुमति देता है तो इस बात पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। अतः सरकार के बिचार से इस विधेयक को स्वीकार करने से कोई लाभ नहीं होगा। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक को वापस ले लेवें।

जहां तक माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये अन्य सुझावों का सम्बन्ध है, मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग समय समय पर विभिन्न दलों के नेताओं और प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता है। वे चुनाव आयोग तथा अन्य दलों द्वारा दिये गये सुझावों पर चर्चा करते हैं। वस्तुतः चुनाव आयोग हमारे संविधान के अधीन निर्मित चुनाव करवाने के लिये सर्वोच्च अधिकारी संस्था है। इस सम्बन्ध में अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है कि चुनाव आयोग ने माननीय सदस्यों की किसी बहुमूल्य सुझाव पर उचित ध्यान नहीं दिया। चुनाव आयोग ने विभिन्न पक्षों से इस सम्बन्ध में जो भी चर्चायें की हैं, उनमें सभी प्रश्नों पर अल्पाधिक रूप से सर्वसम्मत निर्णय हुये हैं। मैं आशा करता हूं कि चुनाव आयोग भविष्य में भी यह प्रथा जारी रखेगा और उसे विभिन्न दलों का सहयोग पूर्ववत् प्राप्त होता रहेगा।

श्री राधा रमण : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ध्यान से मंत्री महोदय के विचार सुने। उन्होंने यह आपत्ति की है कि यह बिल अधूरा है और इसके द्वारा जिस ख्वाहिश को मैंने और सदन के दूसरे माननीय सदस्यों ने जाहिर किया है वह पूरी नहीं हो सकती। इसको देखते हुये मैं समझता हूं, जैसाकि मेरे लायक दोस्त श्री दीवान चन्द जी ने कहा है, मुझे इस बिल को आखिर में वापस लेना ही पड़ेगा जैसा कि सब नान-आफिशियल बिलों (गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों) के बारे में होता है। मंत्री महोदय ने जो बातें कही हैं उनका हमारे दिल पर ऐसा गहरा असर नहीं हुआ है कि हम मान लें कि जिन छोटी छोटी बातों को इस बिल में रखा गया है उनको नहीं माना जा सकता।

छुट्टी के बारे में उन्होंने कहा कि आज सारे हिन्दुस्तान में यह प्रेक्टिस है कि उस दिन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज़ (औद्योगिक उपक्रमों) में यह होता है कि उस दिन छुट्टी कर देते हैं और मजदूर इतवार को काम कर लेते हैं। जब यह प्रेक्टिस सारे देश में मौजूद है तो

[श्री राधा रमण]

फिर उसको कानून में रखने में क्या दिक्कत है । जैसा अभी श्री द्विवेदी जी ने कहा हम २६ जनवरी को सारे देश में छुट्टी कर लेते हैं । यह इलेक्शन भी पांच साल में एक दिन के लिये होता है, और हम देश में डिमाक्रेसी को चलाना चाहते हैं, इसलिये यह आवश्यक है कि उस दिन छुट्टी रखी जाये ।

इसके अलावा यह बात भी यहां रखी गयी कि इलेक्शन कमीशन (चुनाव आयोग) के सामने यह विचार है कि सारे हिन्दुस्तान में एक दिन ही चुनाव कराये जायें । उस अवस्था में तो उस दिन छुट्टी करना और भी जरूरी होगा । तो मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय को और इलेक्शन कमीशन को भी इस पर विचार करना चाहिये । इस छुट्टी के बारे में सारे हाउस ने अपनी राय दी है । इसलिये इस पर अवश्य विचार करना चाहिये । अगर आप इसको नहीं मानते और चुनाव के दिन छुट्टी की व्यवस्था नहीं करते तो इसका परिणाम यह होगा कि कुछ कारखानों में झगड़ा होगा । कुछ कारखानों में यह होता है कि मजदूरों को मालिक छुट्टी नहीं देते और मजदूर काम बन्द करके बैठ जाते हैं, तब घंट दो घंटे के बाद उनको एम्पलायर छुट्टी देते हैं ।

यह बात भी कही गयी कि इंगलैंड में चुनाव के दिन छुट्टी नहीं दी जाती । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कहां इंगलैंड और कहां हिन्दुस्तान । इंगलैंड एक छोटा सा मुल्क है और इसके अलावा वहां सदियों से डिमोक्रेसी चली आ रही है और हर एक आदमी के दिल में घर कर गयी है । इसलिये इंगलैंड का हिन्दुस्तान से मुकाबला नहीं किया जा सकता । और चूंकि वहां के कानून में चुनाव के दिन छुट्टी की व्यवस्था नहीं है इसी लिये यहां पर भी इस तरह का सुझाव न मानना ठीक नहीं होगा । इसके लिये सदन के चारों तरफ से मांग की जा रही है । इसलिये मंत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिये ।

एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब आप एक कानून बनाते हैं लाउड स्पीकर और दूसरी बहुत सारी चीजों के बारे में तो फिर स्टेंसिलिंग के लिये कानून में व्यवस्था करना क्यों उचित नहीं समझते । ऐसा तो नहीं कि अगर स्टेंसिलिंग बन्द कर दिया जायेगा तो पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा का दरवाजा ही बन्द हो जायेगा । और देशों में भी दुनिया में यह सुविधा नहीं है । तो फिर हिन्दुस्तान ही क्या सारी दुनिया से अलग है । हिन्दुस्तान में भी लोग बसते हैं । अगर तमाम दुनिया में बगैर स्टेंसिलिंग के काम हो सकता है तो क्या यहां नहीं हो सकता ।

आपने फरमाया कि जिनकी दीवारों पर पोस्टर आदि लगाये जायें उन मकानदारों को अदालत में जाना चाहिये । कौन मकान मालिक इस छोटी सी बात के लिये अदालत में जायेगा । और अगर कोई जायेगा भी तो जज को उस मुकदमे को फैसला करने में एक दो दिन लग जायेंगे और खर्चा होगा । तो ऐसी सूरत में इस छोटी सी बात को ही क्यों न मान लिया जाये । यही बात बैनर्ज़ की है । मेरा ख्याल है कि ये बहुत छोटी बातें हैं और उन से प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी खत्म नहीं हो जायगी । लेकिन बात यह है कि कहा गया है कि हमें टेक्निकल आबजेक्शन है और अगर टेक्निकल आबजेक्शन है, तो सही बात हो, तो उसको भी लात मारनी चाहिये । मुझे तो यही बात समझ में आती है । इसलिये, जनाब, जैसा हश्र और सब का होता है, वैसा ही मेरा भी हश्र समझना चाहिये ।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक

†**श्री उ० च० पटनायक** (गंजम): श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि शस्त्र, गोलाबारूद और सैनिक सामान संबंधी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को श्री महावीर त्यागी, सरदार अमर सिंह सहगल, श्री भक्त दर्शन, श्री नरेन्द्रभाई नथवानी, श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया, श्री श्रद्धाकर सूपकार, श्री राधा रमण, श्री रघुनाथ सिंह, श्री राम गरीब, श्री अजित सिंह भटिण्डा, श्री रघुवीर सहाय, श्री दीनबन्धु परमार, श्री दीवान चन्द शर्मा, श्री कुट्टिकृष्णन् नायर, श्री तिरुमल राव, श्री इलयापेरूमाल, श्री जगन्नाथ राव, श्री राधा चरण शर्मा, श्री वोडयार, श्री बदकुमार प्रताप गंगदेव बामरा, श्री केशव, श्री नौशीर भरूचा, श्री सतीश चन्द्र सामन्त, श्री प्रमथनाथ बनर्जी, श्री सुगंधी, श्री हेम बरुआ, श्री मोती सिंह, बहादुर सिंह ठाकुर, श्रीमती कृष्णा मेहता, श्री अ० मु० तारिक, शेख मोहम्मद अकबर, श्री कोडियान, श्री वारियर, श्री बैरो, श्री दिनेश सिंह, श्री सुबोध हंसदा, श्री रामेश्वर साहू, श्री म० ला० द्विवेदी, श्री श्रीनारयण दास, रानी मंजुला देवी, डा० सामन्तसिंहार, श्री वैष्णव चरण मलिक, श्री कृष्णचन्द्र तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और उसे मई, १९५९ के अन्त तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाय।

[श्री मोहम्मद इमाम पीठासीन हुए]

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये मैं १८६० के इस अधिनियम के संबंध में जिसका संशोधन १८७८ में किया गया था, कुछ कहना चाहता हूं। आपको १८५७ के स्वतंत्रता युद्ध के इतिहास का स्मरण होगा। उसके बाद अंग्रेजों ने भारतीयों के हाथों से सब तरह के शस्त्रास्त्र छीन लिये ताकि भविष्य में भारतीय पुनः ऐसा आन्दोलन न कर पायें। सेना में इस प्रकार से पुनर्गठन किया गया कि भारतीय सैनिकों को बिल्कुल शक्तिहीन बना दिया गया। साधारण जनता के संबंध में भी अंग्रेजों ने यह कानून बना दिया कि उन्हें किसी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र रखने की अनुमति न रही। महात्मा गांधी ने भी इस अधिनियम की बड़ी निन्दा की थी।

यह अधिनियम १८६० ई० में पारित किया गया था। बाद में १८७० और फिर १९१९ में उसमें संशोधन किये गये। १९०८ ई० में केंद्रीय विधान सभा में श्री कापर्डे ने एक संकल्प रखा था कि भारतीय शस्त्र नियमों में कुछ सुधार किया जाये। पर उस समय की सरकार इस बात से सहमत नहीं हुई। बाद में १९२० और १९२४ में कुछ नियम बनाये गये, जिनके अधीन केन्द्रीय तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों को हथियार रखने की छूट दे दी गयी।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद २८ अप्रैल, १९५० को भारत सरकार के एक आदेश द्वारा इन नियमों में कुछ परिवर्तन किये गये और धारा २७ को जिसमें कुछ लोगों को छूट दी गयी थी, उसे और भी कड़ा बना दिया गया। इस परिवर्तन द्वारा केन्द्रीय विधान सभा तथा राज्य विधान सभाओं के सदस्यों को शस्त्र रखने की जो छूट थी, वह भी छीन ली गयी। इसी बीच १९५०–५३ के बीच इस सभा के अध्यक्ष, श्री मावलंकर ने नेशनल रायफल एसोसियेशन की स्थापना की। १९५१ और १९५३ के बीच इस संस्था के कुछ प्रदर्शन भी हुये और जिन्हें बहुत पसंद किया गया। १९५४ में इस सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कि रायफल संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अब रायफल एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे गृह-कार्य मंत्री हैं और इस संस्था को काफी प्रोत्साहन देने का विचार है।

उस समय प्रतिरक्षा संगठन मंत्री श्री त्यागी ने असैनिक व्यक्तियों को रायफल प्रशिक्षण देने की योजना राज्य सरकारों के सामने रखी थी पर राज्य सरकारों ने उस पर कुछ विशेष

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० च० पटनायक]

काम नहीं किया। उसके बाद १९५३ में मैंने एक विधेयक पुरःस्थापित किया था जिसका उद्देश्य था कि शस्त्र अधिनियम विधान मंडलों के सदस्य, होम गार्डों, गजेटेड पदाधिकारियों, प्रादेशिक सेना के सदस्यों तथा असैनिक प्रतिरक्षा संगठन के लोगों पर लागू न हो। सभा में उस विधेयक का पूर्ण समर्थन भी हुआ था। २६ मार्च और ९ अप्रैल, १९५४ को सभा ने निर्णय किया कि विधेयक पर जनता की राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये। इस प्रकार जनता की राय जानने के लिए विधेयक को परिचालित किया गया और जनता की राय उस पर प्राप्त हो गयी। १०–१२–५४ को माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि हम एक नया विधेयक इस संबंध में प्रस्तुत करेंगे। प्रसन्नता की बात है कि गत सत्र में सरकार ने वह विधेयक प्रस्तुत कर दिया है। अब हमें दोनों विधेयकों के उपबन्धों पर विचार करना है।

जहां तक मेरे विधेयक का प्रश्न है यह विधेयक दूसरों द्वारा दी गयी राय के आधार पर बनाया गया है, इसका उद्देश्य यह है कि देश भक्त लोगों को शस्त्र तथा बारूद वगैरह आसानी से मिल सके तथा समाज विरोधी लोगों को ये चीजें न मिलें। कुछ पिछले वर्षों में देखने में आया है कि देश भक्त नागरिकों को शस्त्र रखने के लाइसेंस तथा शस्त्र बारूद मिलने में कठिनाईयां होती रही हैं।

आये दिन पत्रों में आप बम विस्फोट की घटनायें पढ़ते हैं। आप देखते हैं कि समाज-विरोधी लोगों को और डाकुओं को सामान्य ०.१२ बोर की बन्दूकें ही नहीं बल्कि ०.३०३ की ब्रेनगन तथा स्टेन गनें भी मिल जाती हैं। इससे चारों तरफ त्राहि–त्राहि मची हुई है। अतः हमें इस बात पर विचार करना है कि समाज विरोधी लोगों को ऐसे शस्त्र न मिलने पावें तथा देशभक्त नागरिकों को शस्त्रास्त्र मिल सकें। मैं चाहता हूं कि डाकुओं और चोरों को ये शस्त्रास्त्र कदापि न मिल सकें तथा इनके अनिधिकृत उपयोग पर कड़े दण्ड का उपबन्ध किया जाये।

इन शस्त्रों को २ भागों में बांट दिया जाये। सामांन्य प्रकार की १२ बोर की बन्दूकें तथा .२२ बोर की रायफलों का लाइसेंस आसानी से दिया जाये पर ऊंचे बोर की रायफलों तथा पिस्तौलों व रिवालवरों का लाइसेंस व्यक्ति के पूर्व–चरित्र की जांच करने के बाद ही दिये जायें।

पुराने अधिनियम की धारा २७ के अधीन कुछ व्यक्ति तथा कुछ श्रेणी के व्यक्ति इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। उनके पास अनेक प्रकार के आग्नेयास्त्र हैं। यह भी सुना गया है कि इन लोगों में से कुछ लोग इन शस्त्रों को डाकुओं तथा लुटेरों के हाथ बेचते भी हैं। अतः मैंने अपने विधेयक में यह उपबन्ध रखा है कि इन लोगों पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ किया जाये अर्थात् आग्नेयास्त्र रखने के इनके अधिकारों को सीमित कर दिया जाये और सरकार के पास इस प्रकार का कोई अभिलेख रहे जिसमें इनके पास के आग्नेयास्त्रों तथा बारूद आदि का उल्लेख रहे। ताकि सरकार यह जान सके कि किन–किन लोगों के पास कितने–कितने आग्नेयास्त्र तथा बारूद है। अन्यथा इन शस्त्रास्त्रों के कारण अनेक स्थानों पर अनुचित कार्य हो रहे हैं।

देश में शस्त्र तथा बारूद आदि के संभरण के संबंध में भी मैंने अपने विधेयक में एक उपबन्ध किया है। जब से इनके आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है तब से इनके दाम बहुत बढ़ गये है। पहले से १० गुने दाम पर अब ये चीजें मिल रही हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात पर भी विचार करे कि शस्त्रास्त्रों का निर्माण युद्धास्त्र कारखानों में ही हों।

यह भी देखने में आया है कि यह सिद्ध न हो पाने के कारण कि लाइसेंस केवल एक व्यक्ति के ही उपयोग के लिए था, अनेक व्यक्ति कानून के हाथों से बच गये हैं। अतः मैं चाहता हूं कि आग्नेयास्त्रों को रखने की अनुमति परिवार के अन्य वयस्क व्यक्तियों को भी दी जाये। पर कानून के हाथों से बचने की जो गुंजाइश है उसे समाप्त कर दिया जाये।

मैं चाहता हूं कि इस विधेयक या उस विधेयक की प्रवर समिति में इन बातों पर अच्छी तरह विचार किया जाये।

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य अब अपना भाषण अगले दिन जारी करें।

इस के पश्चात् लोक सभा सोमवार, ९ मार्च, १९५९/१८ फाल्गुन, १८८० (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, ६ मार्च, १९५९]

१५ फाल्गुन, १८८० (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—		२४३७—६२
तारांकित प्रश्न संख्या		
९६४	सीमेंट का उत्पादन	२४३७—४०
९६५	जहाजों के डीजल इंजन	२४४०—४१
९६६	चमड़ा उद्योग के लिये विशेषज्ञों की तालिका	२४४१—४२
९६७	रेलों के ठेके के मजदूर	२४४२—४३
९६८	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	२४४३—४४
९६९	दक्षिणी अफ्रीका के भारतीय	२४४५—४७
९७०	सूती कपड़ा मिलें	२४४७—५०
९७३	सूती कपड़ा सम्बन्धी औद्योगिक समिति	२४५०—५२
९७४	पंजाब में तकुए और करघे	२४५२
९७५	एम्बुलेंस गाड़ियां	२४५२—५३
९७७	लंका में भारतीय उद्भव के व्यक्ति	२४५४—५६
९७८	आन्ध्र प्रदेश में उर्वरक कारखाना	२४५६—५८
९७९	भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापार समझौता	२४५८—६०
९८०	कपास का व्यापार	२४६०—६१
९८१	टायरों का उपादन	२४६१—६२
प्रश्नों के लिखित उत्तर—		२४६२—२५०१
तारांकित प्रश्न संख्या		
९७१	तांबे का आयात और वितरण	२४६२
९७२	हथकरघा उद्योग	२४६३
९७६	पूर्वी यूरोप के देशों को शिष्टमण्डल	२४६३
९८२	कस्टोडियन के विभाग को बन्द करना	२४६३—६४
९८३	आंध्र प्रदेश में बुनकर सहकारी समितियां	२४६४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

९८४	द्विपक्षीय संयुक्त परामर्श व्यवस्था .	२४६४–६५
९८५	इंजन आदि चलाने का तेल .	२४६५
९८६	काफी का उत्पादन .	२४६५
९८७	धर्म सम्बन्धी अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र का प्रतिवेदन .	२४६५–६६
९८८	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्ति .	२४६६
९८९	दण्डकारण्य परियोजना .	२४६६
९९०	कारतूस बनाना .	२४६६–६७
९९१	सीमेंट उद्योग के लिये मशीनें	२४६७
९९२	जनरल अयूब खां के साथ जनरल करिअप्पा की बातचीत	२४६७–६८
९९३	वीरापांडी (मद्रास) में सरकारी प्रेस	२४६८
९९४	रियायती सिनेमा शो पर प्रतिबन्ध	२४६८
९९५	नमक पर उपकर	२४६८–६९
९९६	उद्योगों के लिये क्षेत्रीय लघु समितियां	२४६९
९९७	मध्यम उद्योगों के लिये वित्त	२४६९
९९८	भारत में स्कूटरों का निर्माण .	२४७०
९९९	रासायनिक उद्योगों के लिये संयंत्र और मशीनें	२४७०
१०००	भारतीय काग़ज़ का उचित मूल्य .	२४७०–७१
१००१	कच्चे पटसन का निर्यात	२४७१
१००२	मांडले (बर्मा) में तिलक स्मारक	२४७१
१००३	कुर्सिया का प्रादेशिक अस्पताल	२४७२
१००४	कर्मचारी भविष्य निधि .	२४७२
१००५	कार्य-कुशलता और कल्याण संहिता	२४७२
१००६	नाईलान .	२४७३
१००७	हथकरघे के कपड़े का निर्यात	२४७३
१००८	भारतीय इंजीनियरों का प्रशिक्षण	२४७३
१००९	चण्डीगढ़ राजधानी परियोजना	२४७४
१०१०	भवन निर्माण में मितव्ययता	२४७४
१०११	सरकार द्वारा खरीदा गया सीमेंट	२४७५
१०१२	मद्रास में चीनी का सहकारी कारखाना	२४७५

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमश :)

अतारांकित प्रश्न संख्या

१४८२	परियोजना काम दिलाऊ दफ्तर	२४७५–७६
१४८३	राज्य-गृह-निर्माण बोर्डों की स्थापना	२४७६–७७
१४८४	औद्योगिक सम्बन्ध	२४७७
१४८५	पंजाब में प्रेस समाचार ब्यूरो के शाखा कार्यालय	२४७७
१४८६	चाय की खेती	२४७७
१४८७	इंजीनियरी के सामान का निर्यात	२४७८
१४८८	मैंगनीज अयस्क का निर्यात	२४७८
१४८९	रेडियो सैटों का आयात	२४७८
१४९०	अमरीका के लिये पार-पत्र	२४७८–७९
१४९१	गोआ-बम्बई स्टीमर सेवा	२४७९
१४९२	बर्मा में भारतीय	२४७९
१४९३	पटसन की बनी वस्तुओं का निर्यात	२४८०
१४९४	उड़ीसा में मध्यम दर्जे की औद्योगिक बस्तियां	२४८०
१४९५	औद्योगिक अनुज्ञप्तियों का दिया जाना	२४८१
१४९६	विस्थापित दावेदारों को जारी किये गये लेखा-विवरण	२४८१
१४९७	बर्मा को मशीनों तथा संयंत्रों का निर्यात	२४८१–८२
१४९८	क्यानाइट अयस्क का निर्यात	२४८२
१४९९	आन्ध्र प्रदेश में सोडा ऐश फैक्टरी की स्थापना	२४८२
१५००	पकुर क्वेरी (पत्थर की खान) के मजदूर	२४८२–८३
१५०१	मद्रास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के विशेषज्ञ	२४८३
१५०२	पाकिस्तान से आने वाले तथा वहां जाने वाले यात्री	२४८३–८४
१५०३	केल्शियम कार्बाइड	२४८४
१५०४	दिल्ली और नई दिल्ली में मूर्तियों का लगाया जाना	२४८४
१५०५	जापान से व्यापार	२४८४–८५
१५०६	मोटर परिवहन सम्बन्धी मजदूरों के लिये विधान	२४८५
१५०७	विभाजन समिति	२४८५
१५०८	बोरियों की खरीद	२४८६
१५०९	'भारत, १९५८' प्रदर्शनी	२४८६
१५१०	पंजाब में हथकरघा सहकारी समितियां	२४८६–८७
१५११	दिल्ली में श्रमिक कल्याण विभाग	२४८७

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः	
	अतारांकित प्रश्न संख्या	
१५१२	बटाला में औद्योगिक बस्ती	२४८७
१५१३	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	२४८८
१५१४	मनीपुर में सहकारी समितियां	२४८८
१५१५	नेपाल जाने वाले यात्री	२४८८–८९
१५१६	व्यवसाय सम्बन्धी पुस्तिकायें	२४८९
१५१७	कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम	२४८९
१५१८	सिन्दरी फर्टिलाइज़र्स एण्ड कैमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड	२४९०
१५१९	'टंगस्टेन कार्बाइड' का निर्माण	२४९०
१५२०	पश्चिमी बंगाल में रोज़गार	२४९०–९१
१५२१	पश्चिमी बंगाल में शिक्षित लोगों में बेरोज़गारी	२४९१
१५२२	धर्मनगर (त्रिपुरा) में उद्योग	२४९१–९२
१५२३	ग्राम्य उद्योगीकरण योजना	२४९२
१५२४	दिल्ली में काम दिलाऊ दफ्तर	२४९२
१५२५	बिड़ला ब्रादर्स की मिलें	२४९३
१५२६	भारतीय श्रम सम्मेलन	२४९३
१७२७	आस्ट्रेलिया के साथ व्यापारान्तर	२४९३
१५२८	कनाडा के साथ व्यापारान्तर	२४९३–९४
१५२९	काफी बोर्ड के कर्मचारियों को पी० टी० ओ० रियायत	२४९४
१५३०	१९५६ का औद्योगिक नीति संकल्प	२४९४
१५३१	फ्रांसीसी प्रलेखीय चलचित्र	२४९५
१५३२	विस्थापित-व्यक्तियों के बाजारों तथा बस्तियों की भूमि	२४९५
१५३३	अफगानिस्तान को भारतीय वस्तुओं का निर्यात	२४९५–९६
१५३४	नंगल फर्टिलाइज़र्स एण्ड केमिकल्स (प्रा०) लिमिटेड	२४९६
१५३५	कपड़ा मिल, खरगोन	२४९६–९७
१५३६	पाकिस्तान से डाकुओं के हमले	२४९७–९८
१५३७	बर्मा को बोरियों का निर्यात	२४९८
१५३८	कपास का आयात	२४९८
१५४०	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, बंगलौर	२४९८–९९
१५४१	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली	२४९९–२५००
१५४२	कर्मचारी बीमा योजना	२५००

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्नसंख्या

१५४३. पंजाब में योजना प्रचार . २५००

१५४४ प्रधान मंत्री सहायता कोष २५०१

१५४५ उद्योगों की लागत . २५०१

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . . २५०१—०३

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने स्थगन प्रस्ताव रखने की सूचना के उत्तर में ५ मार्च, १९५९ को अंकारा में अमरीका और पाकिस्तान के बीच हुई द्विपक्षीय सैनिक संधि के बारे में एक वक्तव्य दिया।

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५०३—०४

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(एक) इंडियन रेयर अर्थस (प्राइवेट) लिमिटेड की वर्ष १९५७–५८ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे सहित।

(दो) ट्रावनकोर मिनरल्ज (प्राइवेट) लिमिटेड की वर्ष १९५७–५८ का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे सहित।

(२) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, १९४८ की धारा १३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक २१ फरवरी, १९५९ को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २०८ की एक प्रति।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक ७ फरवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २९१ द्वारा संशोधित दिनांक ३१ जनवरी, १९५९ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २५० की एक प्रति।

(४) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड के कार्य की, ३० सितम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाली छमाही के प्रतिवेदन की एक प्रति।

विषय	पृष्ठ
विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	२५०४
नवां प्रतिवेदन उपस्थापित हुआ ।	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	२५०५–०६
श्रीमती इला पालचौधरी ने आसाम में विद्रोही नागाओं द्वारा पुनः उपद्रव आरम्भ करने की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।	
वैदेशिक-कार्य उप-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	२५०६–०७
श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) ने कानपुर की महेश्वरी देवी जूट मिल्स के बन्द होने की सूचना के बारे में एक वक्तव्य दिया ।	
विधेयक पुरःस्थापित .	२५०८
विनियोग (रेलवे), विधेयक १९५९ ।	
कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत .	२५०८
छत्तीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।	
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९५८–५९	२५०८—२१
१९५८–५९ के लिये आय-व्ययक (रेलवे) के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई और समाप्त हुई ; मांगें पूरी की पूरी स्वीकृत हुईं ।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत ।	२५२२
छत्तीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।	
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरःस्थापित . .	२५२२,२५२४–२५
(१) श्री अर्जुन सिंह भदौरिया का तेलों का जमाना (अपराध) विधेयक, १९५९ ।	
(२) श्री राम कृष्ण गुप्त का बैंकिंग समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा ४६ का संशोधन और नई धारा ५३–क का रखा जाना)	
(३) श्री राम कृष्ण गुप्त का बैंक आफ पटियाला विलय विधेयक, १९५९ ।	
गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक––पुरःस्थापन प्रस्ताव अस्वीकृत . .	२५२२—२४
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया का सहकारी समितियां विधेयक, १९५९ ।	
गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—वापिस ले लिया गया .	२५२५–२६
श्री राधारमण के लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, १९५८ (धारा ५६ और १२३ का संशोधन) पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । विधेयक सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।	

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—विचाराधीन	२५३७—३९

श्री उ० च० पटनायक ने भारतीय आग्नेयास्त्र विधेयक, १९५९ को एक प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उन का भाषण समाप्त नहीं हुआ ।

सोमवार, ९ मार्च, १९५९/१८ फाल्गुन, १८८० (शक) के लिये कार्यावलि—

विनियोग (रेलवे) विधेयक १९५९ पर विचार और उसे पारित करना तथा सामान्य आयव्ययक १९५९–६० पर सामान्य चर्चा ।